लोक-सभा

शुक्रवार,
१२ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १— प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५५

(२५ जूलाई से २० अगस्त, १९५५)

Friday 12, August, 1956

दशम सत्र, १९५५

(खण्ड ४ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

	स्तम्भ
अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ४, ६ से १५, १७ से २२, २४, २५, २७, २९ से ३३, ३६ और ३७	१–४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १६, २३, २६, २८, ३४, ३५ और ३८ से ५२ .	४५–४८
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १४ .	१८–६६
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३, ५५, ५६, ५८, ७३, ५९ से ६८, ७०, ७२ से ७५, ७८ और ८० . .	६७–१११
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५४, ५७, ६९, ७१, ७६, ७७, ७९ और ८१ से११७	१११–१३५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५ से ४२, ४४ और ४५	१३५–१५२
अंक ३—बुधवार, २७ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११८ से १२५, १२७ से १२९, १३१ से १३४, १३६ से १३८, १४१, १४२, १४४ से १५५ .	१५३–१९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१९७-२०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३५, १३९, १४०, १४३, १५६ से १६३	२०३–२१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ७३	२१०–२२४
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १६४ से १६९, २०२, १७० से १७२, १७४ से १७७, १७९ से १८१, १८३ से १८५, १८७, १८८ और १९० से १९२	२२५–२६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७८, १८२, १८६, १८९, १९३ से २०१, २०३ से २१६	२६६–२८२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४ से ९१ . . .	२८२-२९२

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २२१, २२३ से २२७, २२९ से २४०, २४२, २४५, २४८ से २५४ . — २६३ ३४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२८, २४१, २४३, २४४, २४६, २४७, २५५ से २७३ . . — ३४४–३५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२५ — ३५८-३८२

अंक ६—सोमवार, १ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७७, २८० से २८२, २८५ से २९२, २९५ से २९९, ३०३ से ३०५, ३०७, ३०९, ३११, ३१२, ३१४, २७६, २८३, २९३, ३०६, ३१३ और ३०८ . — ३८३-४२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७८, २८४, २९४, ३००, ३०१ और ३१० . — ४२१–४२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६ से १४७ . . — ४२४–४३६

अंक ७—मंगलवार, २ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३३२, ३३४, ३३५, ३३७, ३३८, ३४०, ३४२, ३४४ से ३४९, ३५१, ३५२ और ३५४ . — ४३७ ४८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१, ३३३, ३३६, ३३९, ३४१, ३४८, ३५३, ३५५ और ३५६ . . — ४८१ ४८५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६७ . — ४८५-४८९

अंक ८—बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३५९, ३६४ से ३६८, ३७० से ३७५, ३७७, ३७९ से ३८४, ३८६ से ३९२, ३९५, ३९८ से ४०० और ४०२ . — ४८९ ५४५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . — ५४५ ५४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६०, ३६१, ३६३, ३६९, ३७६, ३७८, ३८५, ३९३, ३९४, ३९६, ३९७, ४०३ से ४११ और ४१३ से ४१८ . — ५४९ ५६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १६८ से १९८ — ५६२ ५८४

अंक ९—गुरुवार, ४ अगस्त १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१९, ४२०, ४२४ से ४२९, ४३१, ४३२, ४३४ से ४३७, ४४०, ४४३, ४४५, ४४७, ४५० से ४५६, ४५९ से ४६१ और ४२३ ५८५-६२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२१, ४३०, ४३३, ४३८, ४३९, ४४१, ४४२ ४४४ ४४९ और ४५७ . . ६२५ ६३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९ से २१४ ६३१-६४२

अंक १०—शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६३, ४६२, ४६४ से ४६७, ४९३, ४६९, ४६८, ४७१ से ४७५, ४७७ से ४८१, ४८४ से ४८६ और ४८८ से ४९२ ६४३ ६८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७०, ४७६, ४८३, ४८७, ४९४ से ४९६, ४९८ और ५०० से ५०२ . . ६८९ ६९५

अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ से २२८ ६९५ ७०४

अंक ११—सोमवार, ८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०४ से ५०६, ५०८ से ५१४, ५१६, ५१९ से ५२२, ५२६ से ५३१, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२, ५४४ से ५४६ और ५४८ से ५५० . ७०५ ७४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०३, ५०७, ५१५, ५१७, ५१८, ५२४, ५२५,५३२ से ५३५, ५३९, ५४३, ५४७ और ५५१ से ५६० ७५०-७६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २५७ . . ७६३-७८०

अंक १२—मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६१, ५६२, ५६४ से ५६७, ५६९, ५७०, ५७३ से ५७६, ५७८, ५८१, ५८२, ५८४ से ५९०, ५९७, ६००, ५६८,५९२ ५६३, ५९१ और ५९३ . ७८१—८२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . ८२४—८२६

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५७१, ५७२, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९८ और ५९९	८२६–८३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ से २८३	८३२–८४८
अंक १३—बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०१ से ६०३, ६०५ से ६१५, ६१८, ६२० से ६२२, ६२६, ६२७, ६३१ से ६३३, ६३५ से ६३७, ६३९ से ६४२ और ६४४ . . .	८४९–८९२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६१६, ६१७, ६१९, ६२३ से ६२५, ६२९, ६३०, ६३४, ६३८, ६४३, ६४५ से ६५७, ६५९ और ६६०.	८९२–९०६
अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ से ३०३ .	९०६–९१८
अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६१ से ६६७, ६६९, ६७२ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८८ और ६९० से ६९३ . . .	९१९ ९६०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६८, ६७०, ६७१, ६७९, ६८१, ६८९ और ६९४ से ७०२	९६१–९६९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३०५ से ३०८, ३१० से ३१२ और ३१४ से ३४३ .	९६९–९९४
अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७०४, ७१०, ७०५ से ७०७, ७११, ७१३, ७१५ से ७१७, ७१९, ७२२, ७२४, ७२५, ७३०, ७३१, ७३४, ७३५, ७३७ से ७३९, ७०९, ७२९ और ७३२	९९५–१०३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . .	१०३२ १०३५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०८, ७१२, ७१४, ७१७, ७१८, ७२०, ७२१, ७२३, ७२६ से ७२८, ७३३, ७३६ ७४०, २७९ और ३०२ .	१०३५–१०४३
अतारांकित प्रश्न संख्या ३४४ से ३५६ .	१०४३–१०५०

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४१, ७४५, ७४६, ७४९, ७५३ से ७५५, ७५७ से ७५९, ७६२, ७६७, ७६८, ७७०, ७७२ से ७७४, ७७६ से ७८०, ७८९, ७८२, ७८४ से ७८६, ७८८, ३१८, ४९७ और ७६४. १०५१-१०९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . १०९७–११००

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४२ से ७४४, ७४७, ७४८, ७५० से ७५२, ७५६, ७६०, ७६१, ७६३, ७६५, ७६६, ७६९, ७७१, ७७५, ७८१, ७८३, ७८७ और ३४३ . . . ११००–१११३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७ से ३८१ १११३–११२८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९० से ७९२, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०९, ८११, ८१२, ८१४ से ८१६, ८१८, ८२२, ८२३ और ८२५ से ८२९ ११२९–११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९३ से ९९५, ७९८, ८१०, ८१३, ८१७, ८१९ से ८२१, ८२४, ८३० से ८५१, ३६२ और ४०१ ११७३–११९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८२ से ४३५ ११९३–१२२८

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५३, ८५४, ८५७ से ८६५, ८६९, ८७०, ८७२, ८७३, ८७६, ८७७, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४, ८८८, ८५५, ८७१, ८८०, ८८७ और ८७५ . १२२९-१२७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५२, ८५६, ८६६ से ८६८, ८७४, ८७८, ८८३, ८८५ और ८८६ . . १२७६–१२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३६ से ४५१ . १२८२–१२९२

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८९, ८९३, ८९८, ९००, ९०२ से ९०४, ९०६ से ९१०, ९१२, ९१३, ९१६, ९१७, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६ से ९२८, ९३०, ४८२, ८९९, ८९४, ८९७, ८९५, ९०५ और ९१४ . . १२९३–१३३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९२, ८९६, ९०१, ९११, ९१८, ९१९, ९२१, ९२२, ९२५ और ९२९ १३३६–१३४५

अतारांकित प्रश्न सख्या ४५२ से ४७२ १३४५ १३५८

अंक २०——शनिवार, २० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ से ९३५, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४५, ९४७, ९४८, ९५० से ९५३, ९५७, ९५९ से ९६२, ९६८, ९७०, ९७१, ९७४, ९७५, ९३१, ९३८, ९३६, ९४९, ९५४, ९६५ और ९७२ . १३५९ -१४०३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ १४०३–१४०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ९३२, ९३७, ९३९, ९४२, ९४६, ९५५, ९५८, ९६३, ९६४, ९६६, ९६७, ९६९ और ९७३ . . . . १४०८–१४१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७३ से ५१३ . . . १४१४–१४३८

समेकित विषय सूची . . . . . .

लोक सभा

शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष-महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कृषि फार्म

*६६१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिहीन किसानों को बसाने के लिये छोटे तथा बड़े कृषि फार्म बनाने की योजना में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार नयी योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ; और

(ग) इस प्रकार के फार्म बनाने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों से किस प्रकार के उत्तर मिले हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) उन फार्मों में यान्त्रिक खेती ठीक नहीं पाई गई है, जिन पर बड़ी संख्या में किसानों को हमेशा के लिये छोटे प्लाटों के मौरूसी मालिक बना कर बसाया जाये ।

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक परिचारक पत्र राज्य सरकारों को भेज दिया है जहां वित्तीय सहायता का क्रम सूचित किया गया है। साथ में उत्तर प्रदेश ने इस प्रयोजन के लिये जो योजना अपनायी

है, वह भी भेज दी गई है। अलग अलग योजनायें बनाने का काम, स्थानीय हालतों को दृष्टि में रखते हुए, राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है । राज्य सरकारों को भेजे हुए परिचारक पत्र की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है । [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १]

(ग) अब तक अजमेर, अंडमान निकोबार आयलैंड्स और पांडिचेरी राज्यों से उत्तर मिल चुके हैं । उन में से किसी ने भी इस प्रकार की बस्तियों (कालोनाईजेशन) की योजनाओं को वहां पर कार्यान्वित करने का क्षेत्र नहीं बताया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : में यह जानना चाहता हूं कि भोपाल में जो एक बड़ा फार्म बनाया गया था, उसमें क्या सरकार को हानि हुई है जिस कारण से इसको उचित नहीं समझा गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, हानि का तो अभी कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी काफी सालों के लिये यह स्कीम है और दो, चार साल के बाद ही कह सकेंगे कि इसमें नुकसान होगा या नहीं । जिस स्कीम के मुताबिक हम रिहैबिलिटेशन करने जा रहे थे, वह कुछ ठीक नहीं मालूम हुई, इस वजह से उस में फर्क किया ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि १२० रुपये प्रति एकड़ भूमि ट्रैक्टर से तोड़ने का जो खर्चा पड़ेगा, उसमें से ५० रुपये तो भूमि की कीमत में से वसूल

किया जायगा, शेष रकम किसानों से किस तरह वसूल की जायगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : ५० रुपये के अलावा और कोई रकम उनसे वसूल नहीं की जायेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : तो यह जो सरकार खर्च करेगी यह किस तरीके से पूरा होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो जनता की इच्छा है कि इस तरह के बसाने की कोशिश हो और उसी के मुताबिक हम काम कर रहे हैं ।

डा० रामा राव : क्या किसानों को बेकार भूमि के बड़े बड़े क्षेत्रों में कृषि करने के लिये दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता पांच तथा दस एकड़ वाले क्षेत्रों के लिये भी उपलब्ध होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तो यह उस योजना विशेष तक ही सीमित है । मैं नहीं जानता कि क्या मेरे मित्र किसी अन्य स्थान पर चलाई जा रही किसी अन्य योजना के सम्बन्ध में उत्तर चाहते हैं ।

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं यह भी बता दूं कि हमने राज्य सरकारों को भूमि खंडों के ब्योरे भेजने को लिखा है, और हम इस योजना को पर्याप्त बड़े क्षेत्रों तक विस्तृत करने को तत्पर रहेंगे ।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो फार्म्स के बनाने के लिये योजना बनाई जा रही है, उसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही होंगे या कृषि विद्या के विशेषज्ञ भी उस योजना के बनाने में शामिल किये जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो उनको दिशा बताने के लिये होंगे, कुछ और काम के लिये नहीं होंगे ।

आयुर्वेद मंत्रणा समिति

*६६२. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि आयूर्वेद सम्बन्धी मंत्रणा समिति कब बनाई गई थी और वह कितने समय तक कार्य करेगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : यह समिति सितम्बर, १९५४ में बनाई गई थी और उस समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि आयुर्वेद में गवेषणा किये जाने सम्बन्धी योजनायें भारत सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं इस समिति के सदस्यों के नाम जान सकता हूं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस समिति के कोई सात सदस्य हैं और महा-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें इसके सभापति हैं और वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के प्रतिनिधि, भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् के सचिव, तथा यह तीन अन्य सदस्य हैं, कैप्टिन जी० श्री-निवास मूर्ति, सभापति, वैज्ञानिक मंत्रणा परिषद्, केन्द्रीय गवेषणा संस्था भारतीय चिकित्सा पद्धति, जामनगर, पंडित रामप्रसाद शर्मा, भूतपूर्व आयुर्वेद संचालक, पैप्सू, पटियाला और आयर्वेदाचार्य बी० वी० गोखले, मुख्य अध्यापक, ताराचन्द आयुर्वेद कालिज, पूना ।

श्री डी० सी० शर्मा : अब तक इस समिति द्वारा कौन सी गवेषणा योजनायें स्वीकृत की गई हैं और पूर्णता अथवा निष्पादन के सम्बन्ध में उनकी क्या अवस्था है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : बम्बई, गौहाटी और जोगेन्द्रनगर द्वारा प्रेषित योजनायें मंत्रणा समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, और इन तीनों मामलों में सम्बद्ध संस्थाओं को क्रमशः ६६,३०० रुपये, २४,७७० रुपये और ३४,२४० रुपये के अनुदान स्वीकृत किये गये हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि आयुर्वेद व्यवसायियों को इस समिति में उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जितना कि उनको दिया जाना चाहिये था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मैंने सूची पढ़ कर सुना दी है, और उन नामों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि समिति में तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका आयुर्वेद से सीधा सम्बन्ध है ।

अध्यक्ष महोदय : यह अपनी अपनी सम्मति का विषय नहीं है ; समिति के सदस्यों के नामों से यह स्पष्ट है ।

चावल का निर्यात

*६६३. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक कितने चावल का निर्यात किया गया है ;

(ख) किन देशों को निर्यात किया गया है ;

(ग) किन किन देशों में इसकी बिक्री के लिये प्रयत्न किया गया है ; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा गया है ?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) सभा की टेबिल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें ३० जून, १९५५ तक चावल के देशवार किये हुए निर्यात की मात्रा तथा कीमत दिखलाई गयी है। [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २]

(ग) फ्रांस
जर्मनी
स्वीडन
यूनाइटेड किंगडम
डेनमार्क
सऊदी अरेबिया
जापान
कैनाडा
एडिन
कंबोडिया
तिब्बत
सीलोन्
इंन्डोनेशिया
हांग्कांग्
फिलिपीन्ज़
ब्रिटिश वैस्ट् इंडीज़्, तथा
मारीशस्

(घ) जी नहीं । व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भेजने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष चावल का उत्पादन कम हो गया है, और यदि हां, तो क्या सरकार की खाद्य नीति में कोई परिवर्तन किया जायेगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : कोई ग्यारह महीने पहले हमने दो लाख टन के एक अभ्यंश की घोषणा की थी, और अभी तक देश केवल ६०,००० टन निर्यात कर सका है ; और स्थिति का अगले मास में जबकि निर्धारित तिथि बीत जायेगी पुनरीक्षण किया जायेगा ।

श्री हेडा : आज की प्रेस रिपोर्टों से यह प्रतीत होता है कि ब्रह्मा से एक मंत्री

हमको अपना चावल बेचने के लिये आया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम अपना चावल अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं, मैं जान सकता हूं कि इन रिपोर्टों में सचाई का अंश कितना है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : निस्सन्देह किसी भी देश या किसी भी मंत्री को चावल की खरीददारी के सम्बन्ध में प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त है; परन्तु इसका आवश्यक रूप से यह अर्थ तो नहीं होता है कि हम खरीदने को ही हैं।

श्री सी० आर० चौधरी : अतिरेक चावल की कितनी मात्रा उपलब्ध है और १९५४–५५ में निर्यात की गई प्रतिशतता क्या है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हमने दो तीन लाख टन के अभ्यंश की घोषणा की थी। उस समय हमने यह सोचा था कि इतनी मात्रा निर्यात के लिये उपलब्ध थी।

श्री सारंगधर दास : कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति तथा कुछ राज्यों में अनावृष्टि की स्थिति पर विचार करते हुए क्या अतिरेक चावल को अगले वर्ष की खपत के लिये रखा जाने को है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि देश द्वारा अपेक्षित अनाज का एक दाना भी न भेजा जाये। परन्तु, जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, हम स्थिति का अगले महीने में जब कि अवधि समाप्त होगी पुनरीक्षण करेंगे।

रेल के यात्री डिब्बे

*६६४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पाकिस्तान को बड़ी लाइन के रेलवे यात्री डिब्बे देना स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने यात्री डिब्बे पाकिस्तान सरकार को संभरित किये जायेंगे; और

(ग) प्रत्येक यात्री डिब्बे का कितना मूल्य लिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, केवल अनुपस्कृत खोल ही।

(ख) २८ यात्री डिब्बों के खोल।

(ग) ४६,५२१ रुपये प्रति यात्री डिब्बे का खोल।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हम भी यात्री डिब्बे आयात कर रहे हैं ?

श्री अलगेशन : जी हां, हम कुछ यात्री डिब्बे आयात कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : यदि हम आयात कर रहे हैं, तो हम निर्यात क्यों कर रहे हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री अलगेशन : यह प्रश्न एक संभावित प्रश्न प्रतीत हो सकता है। परन्तु विभाजन के समय हमने पाकिस्तान को ७६ बड़ी लाइन के यात्री डिब्बे आवंटित करना स्वीकार किया था। उसने उक्त आवंटन का लाभ नहीं उठाया था। परन्तु बाद को उसने यह प्रश्न उठाया, और उसने कम से कम पचास यात्री डिब्बे के खोलों की मांग की, और हमने उनको मूल्य मिलने पर देना स्वीकार कर लिया है।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं प्रत्येक खोल के आयात मूल्य और निर्यात मूल्य के अन्तर को जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : हमने उसको बैल्जियम के बने नीचे के ढांचे दिये हैं और हमने पाकिस्तान से वास्तविक मूल्य वसूल कर लिया है।

पौधा

*६६५. **श्री डाभी :** क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास के कृषि विभाग ने शाक का एक ऐसा पौधा खोज निकाला है, जिसमें ए, बी और सी 'विटामिन' बहुत मात्रा में मिलते हैं और जिसकी पत्तियों को कच्चा ही या उबाल कर खाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पौधे की घनी खेती और देश भर में वितरण के लिये कुछ कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) मद्रास सरकार ने बोर्नियो से "चकूर मणिस" नामक एक पौधा मंगा कर लगाया है । इस पौधे में मिलने वाले विटामिन का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है ।

(ख) राज्य सरकार ने यह पौधा परीक्षण के लिये कृषि कालेज कोयम्बटूर के फार्म और कृषि गवेषणा केन्द्र पट्टम्बी और मंगलौर में लगाया है । अग्रेतर कार्यवाही प्राप्त होने वाले परिणामों पर निर्भर रहेगी ।

श्री डाभी : क्या मैं इस पौधे का नाम जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसे 'चकूर मणिस' कहते हैं ।

श्री कामत : क्या मंत्री जी यह आश्वासन दे सकते हैं कि यह खोजा गया नवीन पौधा उसी दुग्ध वृक्ष जैसा तो नहीं होगा, जिसकी उनके पूर्ववर्ती मंत्री श्री के० एम० मुंशी ने इतनी प्रशंसा की थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक असफलता का अर्थ यह नहीं कि हम सदैव असफल रहेंगे ।

दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकारी

*६६६. **श्री नवल प्रभाकर:** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बसें खरीदने के लिये दिल्ली मार्ग परिवहन प्राधिकारी को स्वीकृत ऋण की क्या शर्तें हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : जिन शर्तों पर दिल्ली ट्रान्सपोर्ट अथारिटी को कर्ज़ा दिया गया है उसकी तफ़सील सभा की मेज़ पर रख दी गई है । [देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३]

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसा कि विवरण में दिया गया है कि सन् १९५०–५१ में ३ ३/४ प्रतिशत के हिसाब से कर्ज़ा दिया गया और फिर १९५३–५४ और १९५४–५५ में ४ ३/४ प्रतिशत कर दिया गया, तो इसका कारण क्या है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह वह शर्तें हैं जो पहले तय हुई थीं, उन्हीं शर्तों पर रुपया दिया गया था ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली ट्रान्सपोर्ट अथारिटी को कितना रुपया कर्ज़ दिया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : अभी तक १५५ लाख रुपया दिया जा चुका है ।

श्री बी० एन० मिश्र : जैसा अभी आपने बताया कि सदन के पटल पर जो सूचना रक्खी गई है उसमें है कि ब्याज की दर १९५१ में ३ ३/४ थी और उसको बढ़ा कर बाद में ४ ३/४ कर दिया गया, तो सवाल यह था कि ब्याज जो बढ़ाया गया है वह किन शर्तों पर बढ़ाया गया और उसका कारण क्या है । लेकिन कारण आपने नहीं बताया । मैं जानना चाहता हूं कि कारण क्या था ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : यह जो सूद की दर है उसे

कुछ थोड़ा बहुत फाइनेन्स मिनिस्ट्री बदलती रहती है और हम वही दर उनसे चार्ज करते हैं जो कि फाइनेन्स मिनिस्ट्री तय करती है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि लोक लेखा समिति के १९५३ में प्रकाशित प्रतिवेदन में बताई गई अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए विशेषत: दिल्ली परिवहन प्राधिकार में अनेक वित्तीय अनियमितताओं के बारे में, जिनके सम्बन्ध में उत्तर देने के लिये सभासचिव ३ अगस्त को पूर्वसूचना मांग रहे थे, दिल्ली परिवहन प्राधिकार को दिये जाने वाले ऋणों की शर्तों को सरकार ने संशोधित किया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : माननीय सदस्य दिल्ली परिवहन प्राधिकार की पुरानी लेखाओं का, शायद वर्ष १९५०–५१ और १९५१–५२ का उल्लेख कर रहे हैं । तब से स्थिति बिलकुल बदल गयी है । दिल्ली परिवहन सेवा तब प्रति वर्ष लगभग पांच छ: लाख रुपये के घाटे से चल रही थी । अब यह प्रति वर्ष ३–४ लाख रुपये के लाभ पर चल रही है ।

रेलवे आय

*६६७. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेलवे मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे के निम्नांकित स्टेशनों पर १९४७ से अब तक यातायात के समस्त आंकड़े और आय की राशि का वर्णन हो :—

(१) पंचकुरा
(२) माचदा
(३) कोलाघाट
(४) उलुबेरिया
(५) बौरिया, और
(६) अंदुल ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४]

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से मुझे पता चलता है कि बौरिया, उलुबेरिया और अंदुल इन तीन स्टेशनों पर, जिनकी आय सब में कम है, बिजली लगायी गयी है । मैं जान सकता हूं कि क्या सुविधायें स्टेशनों की आय के अनुसार दी जाती हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : पहले तो मैं यह निवेदन करूंगा कि स्टेशनों की आय के बारे में माननीय सदस्य की बात पूर्णत: ठीक नहीं है । १९५४–५५ में माचदा की आय ४,३७,५२४ रुपये है, जबकि अंदुल की ९,५०,००० रुपये । अत: यह कहना गलत है कि इन तीनों स्टेशनों की आय सब से कम है । दूसरे विद्युत्करण तथा अन्य सुविधायें खंडीय परामर्श समितियों की सलाह पर या कहने पर दी जाती हैं और माननीय सदस्य की भी इन स्टेशनों पर बिजली लगाने में रुचि है । हम उन स्टेशनों पर बिजली लगाते हैं, जहां वह आसानी से और सस्ती दर पर मिल जाती है, और यह जरूरी नहीं है कि हम आय के अनुसार चलें ।

श्री एस० सी० सामन्त : माचदा के सिवाय क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान पंचकुरा की ओर आकर्षित कर सकता हूं ? क्या यह सच नहीं है कि विगत दो वर्षों से जनता और मैं पंचकुरा स्टेशन पर अच्छी रोशनी के प्रबन्ध के लिये आन्दोलन करते रहे हैं । हाल में यह अच्छी तरह किया गया है, परन्तु जब कि ३ और ५ लाख की आय वाले स्टेशनों पर बिजली लगा दी गयी है, वह १२ १/२ लाख की आय वाले पंचकुरा और ११.३४ लाख रुपयों की आय वाले कोलाघाट पर क्यों नहीं लगाई गई है ?

श्री शाहनवाज खां : ये तीन स्टेशन, जहां पर बिजली लगायी गयी है, हावड़ा से सब से अधिक निकट हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ।

पत्तन समुद्रीय जांच समिति

*६६९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई पत्तन समुद्रीय जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन को पूर्णतः कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बम्बई पत्तन न्यास के अधीन सेवाओं से संबंधित अधिकांश सिफारिशों के बारे में फैसले किये जा चुके हैं । कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के अधीन वैसी ही सेवाओं से संबंधित सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री कहते हैं कि पत्तन न्यास के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में कार्यवाही की जा चुकी है । क्या मैं जान सकता हूं कि इन सिफारिशों के लागू करने के बाद चालक-पदाधिकारियों और पत्तन के अन्य कर्मचारियों को क्या लाभ होगा ?

श्री अलगेशन : ये सिफारिशें कुछ सेवा संवर्गों, जैसे चालकों और पत्तन मास्टरों के बारे में हैं । मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा और माननीय सदस्य स्वयं प्रतिवेदन देख सकते हैं । पत्तन मास्टर का वेतन पहले १,७०० रुपये था और यात्रा-भत्ता यात्रा के वास्तविक मीलों के अनुसार दिया जाता था । वह बात पहले थी । अब वेतन में २०० रुपये की वृद्धि कर के उसे १९०० रुपये कर दिया गया है । फिर कई भत्ते मंजूर किये गये हैं : यात्रा भत्ता १७५ रुपये, वर्दी भत्ता २५ रुपये । इसके अतिरिक्त और भी वर्ग हैं ।

गन्ना

*६७२. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की रोग निरोधक किस्मों को भारत में खेती में बड़े पैमाने पर काम में लाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष अनुमान से कितने एकड़ जमीन में ऐसी खेती की जाती है ; और

(ग) इस खेती से उपज में कितनी वृद्धि हुई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). हां । सभी बढ़िया किस्में, जो अब गन्ने के ९० प्रतिशत क्षेत्र में बोई जाती हैं, रोग और या पाला, बाढ़, सूखा आदि को झेल सकती हैं ।

(ग) ४० से ५० प्रतिशत ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि इन रोग निरोधक किस्मों की बड़ी पैमाने पर खेती करने में पुराने तरीके की अपेक्षा कुछ भिन्न तरीका काम में लाना पड़ता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : लोगों द्वारा-अपनाये जाने वाले खेती के तरीकों में स्थान स्थान पर कुछ अंतर है । मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य का अभिप्राय किस पहलू से है ?

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये रोग निरोधक किस्म गन्ने की

रेलवे स्टेशन

*६७५. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री ७ दिसंबर १९५४, को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे के ५० स्टेशनों के भवन-चत्वर (प्लिन्थ) के कब तक ऊंचा कर दिये जाने की आशा है ?

रेलवे और परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : इस मामले की ब्यौरेवार जांच के बाद यह निश्चय किया गया है कि इस काम को एक कार्यक्रम के आधार पर दस स्टेशनों पर किया जाये। ३९ स्टेशनों के प्लेटफार्म इतने नीचे नहीं हैं कि असुविधा हो और एक स्टेशन पर टैकनीकल कारणों से सतह को ऊंचा करना संभव नहीं है।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या मैं इन दस स्टेशनों के नाम जान सकता हूं ?

श्री शाहनवाज़ खां : कचला ब्रिज, डोमिन-गढ़, मातीगारा, कटाखल, जोगिआरा, कमतौल, परमानंदपुर, नयानगर, अवतारनगर और रूपनगर।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस विशेष रेलवे-खण्ड के लोगों में यह भावना बढ़ती जा रही है कि रेलवे के इस भाग में विशेषतः गोरखपुर से कटिहाल के खंड की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और वहां पर यात्रियों की सुविधायें बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती ?

श्री शाहनवाज़ खां : मैं निवेदन करूंगा कि यह भावना गलत है। हम हालतों को सुधारने के लिये भरसक यत्न कर रहे हैं। वस्तुतः मेरा विश्वास है कि पूर्वोत्तर रेलवे को यात्रियों की सुविधा के लिये बहुत सारी राशि मिल रही है।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पटना के दैनिक समाचार पत्रों म छपा हुआ यह समाचार विदित है कि रेलवे के माल-डिब्बे चूते हैं और रेलवे स्टेशन उचित रूप में काम नहीं कर रहे हैं और रेलगाड़ियां सदैव लेट रहती हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम स्थिति को यथा संभव शीघ्र सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री कामत : प्लेटफार्म की सतह ऊंची करने में किन टैक्नीकल कारणों से रुकावट पेश आ रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इसका संबंध केवल एक स्टेशन से था। इसका निर्माण काफी ठोस है और प्लेटफार्म तक ऊपर के पुल से जाते हैं। वहां आप प्लेटफार्म ऊंचा नहीं कर सकते।

उपनगरीय रेलवे सेवा

*६७६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की उपनगरीय रेलवे सेवा से संबंधित बातों की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जा रही है जो अत्यधिक भीड़ की समस्या के हल सम्बन्धी सिफारिशें करेगी और ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक नियुक्त होने की संभावना है और इसमें कौन-कौन व्यक्ति होंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की उपनगरीय रेलवे सेवाओं में दिन के दौरान में अधिक भीड़ के घंटों में अत्यधिक भीड़ की समस्या की जांच करने के लिये और उपाय सुझाने के लिये एक समिति बनाने का विचार है।

(ख) समिति बनाने और व्यक्तियों के चुनने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है और आशा है, वह शीघ्र ही पूरी हो जायेगी

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह समिति केवल इन तीन नगरों का ही दौरा करेगी या अन्य ऐसे शहरों का भी, जहां उपनगरीय यातायात के बारे में कुछ दिक्कत है ?

श्री अलगेशन : अभी तो इन्हीं तीनों शहरों के आस पास के उपनगरीय यातायात का अध्ययन करने का इरादा है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस समिति से द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार होने के पहले ही यह प्रतिवेदन दे देने को कहा जायेगा?

श्री अलगेशन : उस समिति और पंचवर्षीय योजना में विशेष संबंध नहीं है । वस्तुतः इस समिति से कुछेक महीनों में ही प्रतिवेदन दे देने को कहा जायेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : चूंकि यह मानी हुई बात है कि देश में सब से अधिक सवारी यातायात वाले स्यालदा स्टेशन वाले क्षेत्र में ज्यादा भीड़ रोकने का एकमात्र उपाय बिजली से गाड़ी चलाना ही है, सरकार बतायेगी कि क्या वह स्यालदा डिवीजन में बिजली लगाने के कार्य में जो काम काफी अनिश्चित समय से स्थगित होता रहा है, जल्दी करेगी ?

श्री अलगेशन : मैं इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दे सकता कि स्यालदा डिवीजन में बिजली कब लगेगी । माननीय सदस्य ने देखा होगा कि इस का संबंध बंबई और मद्रास के उपनगरीय यातायात से है, जहां बिजली लगी हुई है । यद्यपि वहां के उपनगरीय विभागों में बिजली से गाड़ियां चलती हैं, तथापि वहां पर भी अधिक भीड़ होती है, और यह समिति इस बात की जांच करेगी ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या समिति के बनाते समय उसमें राष्ट्रीय रेलवे प्रयोगकर्ता परामर्श परिषद् के भी सदस्य होंगे ?

श्री अलगेशन : विचार ऐसा है कि यह समिति केवल सरकारी समिति हो । उसमें कुछ अवकाश-प्राप्त रेलवे पदाधिकारी ही होंगे ।

बम्बई-मंगलौर रेलवे लाइन

*६७७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई तथा मंगलौर को रेलवे लाइन से मिलाने की कोई योजना विद्यमान है;

(ख) यदि ऐसा है, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस लाइन को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के बारे में सरकार ने कोई फैसला किया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). दीवा और दासगांव के बीच एक भू-सर्वेक्षण किया गया है तथा दासगांव और मंगलौर के बीच वैमानिक सर्वेक्षण किया जा चुका है परन्तु अभी तक कोई निश्चित प्रस्थापना तय नहीं हो पाई है ।

(ग) अभी नहीं, श्रीमान् ।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ?

श्री अलगेशन : हां, श्रीमान् । दीवा तथा दासगांव के बीच सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : सर्वेक्षण कई प्रकार के होते हैं उदाहरणार्थ वैमानिक सर्वेक्षण, प्राथमिक सर्वेक्षण, यातायात सर्वेक्षण तथा अन्तिम रूपसे स्थिति सर्वेक्षण । मैं जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार का सर्वेक्षण है तथा किस स्थिति पर है ?

श्री अलगेशन : यह यातायात सर्वेक्षण है ।

श्री जोकीम आल्वा : माननीय मंत्री जी, आप बहुत मेहनत कर के उत्तर कन्नड़ जिले

में गए थे । क्या यह लाइन उत्तर कन्नड़ में जायगी या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को जो सवाल पूछना हो, वह चेयर की मार्फत पूछना चाहिये ।

श्री जोकीम आल्वा : माफ कीजिये, अध्यक्ष जी, मैं अपने प्रश्न को दोहराऊंगा ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं दौरे में कई दिन माननीय सदस्य के साथ रहा हूं । इसलिए इनकी हिन्दी ज्यादा समझ जाता हूं ।

यह लाइन कन्नड़ पूरिमा में जायेगी या नहीं इसका फैसला आप ही कर सकते हैं ; लेकिन दीवा-दासगांव बम्बई प्रदेश में है और जैसा कि कहा गया, इसका सरवे पूरा हो चुका है और इसके बाद आगे का फैसला होगा ।

श्री एम० डी० शास्त्री : मैं जान सकता हूं कि क्या दीवा-दासगांव रेलवे बम्बई मंगलौर रेलवे लाइन का प्रथम खण्ड है अथवा कि इसे ऐसा समझा जाता है तथा इसी विचार से यह सर्वेक्षण पूरा किया जा रहा है

श्री एल० बी० शास्त्री : दीवा-दासगांव रेलवे लाइन का इस समय बम्बई-मंगलौर की बड़ी रेलवे लाइन के भाग के रूप में सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है । यह एक स्वतन्त्र रेलवे लाइन है तथा हम बड़ी परियोजना पर बाद में विचार करेंगे ।

"अधिक चारा उपजाओ" आन्दोलन

*६७८. **श्री बी० के० दास :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "अधिक चारा उपजाओ" आन्दोलन के लिए कोई राशि पृथक् रूप से रखी गई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो १९५५–५६ के लिए कितनी राशि पृथक रक्षित की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बी० के० दास : क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है कि राज्य सरकारें प्रथम पंच वर्षीय योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार चारा उगाने के लिए कार्यवाही करती हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् । कुछ प्रारम्भिक योजनायें हैं जो कार्यान्वित की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि बोर्ड तथा पशुपालन विभाग के पशुपालन भाग की हाल में रांची में हुई बैठक में एक बड़ी योजना बनाई गई थी जिस पर ४,१७,००,००० रुपये का व्यय हो सकता है ।

श्री बी० के० दास : क्या सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि क्या राज्यों में भूमि सुधार विधान में चरागाहों के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री एन० बी० चौधरी : जिस योजना पर कदाचित ४ करोड़, आदि रुपये व्यय होंगे मैं उसका व्यौरा जानना चाहता हूं और वह देश के विभिन्न भागों में कैसे चलाई जायगी?

डा० पी० एस० देशमुख : योजना अभी विचार विमर्श की स्थिति में है और अभी कोई भी बात बताना सम्भव नहीं है ।

श्री बी० के० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने चारे के बारे में यह निश्चित करने के लिए कि कौन सी भूमि किस फसल और किस प्रकार की चरागाह के लिए उपयुक्त है, कोई अनुसंधान योजना बनाई गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा ख्याल है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कुछ ऐसी योजनायें हैं जिनका संबंध घास के मैदानों और चराई के मैदानों से है ।

कृषि ऋण

*६८०. **श्री राम शंकर लाल** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़िया प्रकार के कृषि बीजों को खरीदने के लिए राज्यों को १९५५-५६ में अभी तक कोई ऋण दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋण देने के लिए क्या मुख्य शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां। ७६·३१ लाख रुपये।

(ख) ऋण लेने के दिनांक से १८ मास में, राज्य सरकारों को उनका भुगतान करना पड़ेगा। ब्याज केवल १५ मास के लिए ३ १/८ प्रतिशत की दर से, या जब तक ऋण रखा जाये, दोनों में से जो भी काल कम हो, लिया जाता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि साड़े तीन परसेंट जो सूद मांगा जाता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट भी वही वसूल करती हैं या वह ज्यादा वसूल करती हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: बिना पूर्वसूचना के मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

श्री कामत : कृषकों को तकावी ऋण देने से पूर्व, जिन पर अधिक दर पर सूद लिया जाता है जैसा कि यहां मेरे मित्र ने उल्लेख किया है, क्या राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से परामर्श करती हैं या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों की, कृषकों को ऋण देने में सहायता करना है। मैं बता चुका हूं कि मेरे पास इसकी विस्तृत सूचना नहीं है कि राज्य सरकारें कितना ब्याज लेती हैं। यदि पूर्व सूचना दी जाती है तो मैं अपेक्षित सूचना दे सकूंगा।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५४-५५ में कितना लोन दिया गया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : १९५४-५५ की फिगर्ज नहीं हैं--१९५५-५६ की फिगर्ज मेरे पास हैं।

रूसी प्रकाशनों का विक्रय

*६८२. **डा० रामा राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब रेलवे के विभिन्न पुस्तक स्टालों में रूसी साहित्य के विक्रय की क्या स्थिति है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : रेलवे पुस्तक स्टालों में रूसी साहित्य के विक्रय पर ऐसा कोई सामान्य प्रतिबन्ध नहीं है। फिर भी, अनाभीष्ट तथा अनिच्छित प्रकार की पुस्तकों के विक्रय की अनुमति नहीं है।

डा० रामा राव : क्या प्रधान मंत्री की हाल की रूस की यात्रा के विचार से क्योंकि जनसाधारण में रूस के बारे में अधिक बातों के जानने का सामान्य चाव है, मैं यह जान सकता हूं कि क्या रेलवे मंत्रालय इन रूसी पुस्तकों से यदि सरकारी प्रतिबन्ध नहीं तो--कोई सरकारी प्रतिबन्ध है भी नहीं--कम से कम अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध को हटायेगा ?

श्री अलगेशन: मेरा ख्याल है कि यह कोई उचित या संगत प्रश्न नहीं है। मैं ने बताया था कि हमें टालस्टाय, मार्क्स या एंजिल्स आदि जैसे लेखकों की रचनाओं के जो अब उच्चकोटि की मानी जाती हैं, रेलवे पुस्तक स्टालों पर बेचे जाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

डा० रामा राव : जैसा कि अभी माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि कुछ पुस्तकों के लिए अनुमति है, क्या रेलवे मंत्रालय ऐसी रूसी रचनाओं की एक नामावली बनायेगी जिनका विक्रय रेलवे पुस्तक स्टालों पर नहीं होना चाहिए ?

श्री अलगेशन : हमें केवल एक ही देश की रचनाओं में इतनी अभिरुचि नहीं रखनी चाहिए। परन्तु जिस समय पुस्तक स्टाल कोई नामावली प्रस्तुत करेंगे तो निश्चय ही उसकी जांच की जाएगी और वे समस्त रचनाएं जो किसी प्रवृत्ति विशेष पर आधारित नहीं हैं, उनके विक्रय की अनुमति दी जाएगी।

श्री रघुरामैया : डा० रामा राव द्वारा उठाए गए प्रश्न की दृष्टि से, क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रधान मंत्री की रूसी यात्रा के पश्चात् इस देश में प्रवृति विशेष की रचनाओं के आने में कोई कमी हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। हम अगला प्रश्न लेंगे।

शटल रेलवे सेवा

***६८३. श्री पी० रामस्वामी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत युद्ध के मध्य तक सिकन्दराबाद और महबूब नगर के बीच एक शटल रेल सेवा थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सेवा को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) १-१०-१९४६ से सिकन्दराबाद और द्रोणाचलम् के बीच शटल रेल आरम्भ हो गई है और इसलिए सिकन्दराबाद महबूबनगर क्षेत्र में अब भी यह सुविधा है।

श्री पी० रामस्वामी : क्या यह सही नहीं है कि इसके पेश्तर भी—शटल ट्रेन चलाने के पेश्तर भी—एक सबर्बन रेल चलाई गई थी ?

श्री शाहनवाज़ खां : १ अक्तूबर, १९४६ से पहले एक शटल ट्रेन सिकन्दराबाद और महबूबनगर के बीच चलती थी। वही गाड़ी अब द्रोणाचलम तक चला दी गई है।

श्री पी० रामस्वामी : क्या इस सिलसिले में जनता की तरफ से—आंध्र और हैदराबाद सरकारों की तरफ से—कोई मांग हुई थी कि एक गाड़ी और बढ़ाई जाय ?

श्री शाहनवाज़ खां : कुछ मांगें भी हुई थीं और रेलवे मिनिस्ट्री भी उन मांगों से इत्तिफ़ाक करती है और उसने सिकन्दराबाद से महबूबनगर तक के लिए एक शटल ट्रेन को बड़ी ऊंची प्रायर्टी दे रखी है। उम्मीद है कि जैसे हमारे पास पैसंजर होंगे, वैसे ही एक शटल ट्रेन चला दी जायगी।

श्री पी० रामस्वामी : इंटीग्रेशन के पहले जब सबरबन ट्रेन चलायी जा सकती थी तो आज की हालत में, ६ साल के बाद, जल्दी से जल्दी चलाने में क्या तकलीफ है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं गाड़ियों की तादाद में कोई कमी नहीं की गयी है बल्कि वह गाड़ी महबूब नगर से द्रोणाचलम तक एक्सटैंड कर दी गयी है। जैसे ही हमारे इंजिनों की तादाद बढ़ती है हम उसे बढ़ायेंगे।

चीनी का परिवहन

***६८४. श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे क्षेत्रों में जहां गन्ने भेजने के लिये सुगम साधन नहीं हैं, गन्ने भेजने

के लिये सुविधा देने के हेतु ट्रामवे लाइन डालने के लिये धन दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य को कितना-कितना धन दिया गया है; और

(घ) जिन क्षेत्रों में ट्रामवे लाइन डाली जाने वाली है क्या उनके सम्बन्ध में कोई योजना बनाई गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है, सभा की टेबल पर रख दिया गया है । [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६]

श्री विभूति मिश्र : विवरण को देखने से पता चलता है कि सरकार ने जो रुपया दिया है वह एक ही प्रोप्राइटर को १९ लाख रुपया दे दिया है । क्या सरकार और फैक्टरी वालों को भी, जो दूर देहात से गन्ना लाने के लिए दरख्वास्त दे चुके हैं, रुपया देगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमने रुपया स्टेट गवर्नमेंट को दिया ह और स्टेट गवर्नमेंट ने एडवांस किया है । एक ही प्रोप्राइटर को दिया गया है इससे मालूम होता है कि उसके पास कुछ ऐसी स्कीम है जिससे कि काश्तकारों का और वहां के रहने वालों का फायदा होगा।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि एम० पी० शुगर मिल, मझौलिया, और बघा शुगर मिल्स ने रोड ट्रांस्पोर्ट के लिए अपनी स्कीम बहुत पहले से बनाकर दे रखी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : फिलहाल मेरे पास यह इन्फारमेशन नहीं है । अगर मेम्बर साहब फिर से सवाल करेंगे तो इसका जवाब दिया जायगा ।

श्री विभूति मिश्र : ऐसे एरिया वाले लोग, जहां पर कि दूर से केन लाना होता है, अगर सरकार से ट्राम्वे लाइन चलाने के लिए अनुदान मांगें तो क्या सरकार उनको अनुदान देगी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि ऋण राज्य सरकारों के लिए है । यह राज्य सरकारों का काम है कि वे निश्चय करें कि ऋण कैसे बांटा जाये ।

श्री विभूति मिश्र : चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट केन डेवेलपमेंट का काम करती है इसलिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : सेंट्रल गवर्नमेंट तो लोन स्टेट गवर्नमेंट को देती है और स्टेट गवर्नमेंट रुपया बांटती है ।

श्री विभूति मिश्र : अगर बिहार सरकार इस तरह का अनुदान मांगें तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): जब कभी ऐसा प्रश्न उठेगा तो मैं उस पर हमदर्दी से विचार करूंगा ।

भविष्य निधि अधिनियम, १९५२

*६८५. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २६९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा १७ के अन्तर्गत मुक्त रखी गई फैक्टरियों के सम्बन्ध में एक प्रन्यासी बोर्ड की स्थापना की प्रक्रिया के बारे में सरकार ने कोई फैसला किया है; और

(ख) यदि नहीं तो फैसला करने में कितनी देर लगेगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) (क) और (ख) : राज्य सरकारों

तथा न्यास के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में बहुत अन्तर है, अत: सरकार समझती है कि राज्य सरकारों से अग्रेतर परामर्श के बिना किसी फैसले का करना उचित नहीं होगा। मैं यह ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि फैसला कब तक हो सकेगा।

श्री तुषार चटर्जी : मैं जान सकता हूं कि फैसला करने में क्या रुकावट है ?

श्री आबिद अली : मैंने इसका अभी उत्तर दिया है।

श्री तुषार चटर्जी : प्रश्न यह है कि इतने मतभेद की परिस्थिति में सरकार इस मामले पर गम्भीरतापूर्ण विचार करके कोई फैसला क्यों नहीं करती ?

श्री आबिद अली : हम राज्य सरकारों से पुन: परामर्श कर रहे हैं। इसके बिना किसी फैसले का करना सम्भव नहीं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : कौन-कौन से राज्य इस विधान के विरुद्ध हैं ?

श्री आबिद अली : ऐसा बताना सम्भव नहीं है।

रेलवे इंजन तथा डिब्बे आदि

*६८६. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **रेलवे मंत्री** २६ जुलाई, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की इस नीति के विचार से कि हमें यथाशीघ्र शत प्रति शत भारतीय इंजन बनाने चाहियें, इंजनों के 'बैड-फ्रेमों' तथा 'कास्ट सिलिन्डरों' को बाहर से प्राप्त करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या 'तैल्को' के 'डब्ल्यू-जी' इंजनों के तत्स्थानी भागों के आयात की अनुमति दी जाती है।

(ग) क्या कोई नए आर्डर (क्रयादेश) विदेशों में दिए गए हैं अथवा उनके दिए जाने का विचार है; और

(घ) क्या उनकी भारत में ढलाई के कोई प्रयत्न किए गए हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७]

श्री एस० वी० रामस्वामी : इस विषय के एक पहले प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि इस्पात के मूल ढाँचे का मूल्य इंजन के मूल्य के लगभग ६६ प्रतिशत के तुल्य होता है। यदि ऐसा है तो इसका आयात क्यों किया जाता है ?

श्री अलगेशन : कारण बता दिया गया है। जहाँ तक ढांचे के मूल्य का सम्बन्ध है, एक ढांचे का मूल्य रेलभाड़ा सहित १,१३,००० होता है। इसका आयात क्यों किया जाता है इसका कारण बताया जा चुका है। हम इसके अतिरिक्त और आयात करने का विचार नहीं कर रहे हैं। यह केवल प्रयोगात्मक है जिससे अनुभव हो सके।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इस समय मूल ढांचों तथा लोहे के सिलेन्डर को सीमित संख्या में ढाला जाता है। क्या इनमें सुधार किया जायेगा जिससे इन मूल ढांचों तथा इस्पाती सिलेन्डरों का विदेशों से आयात न हो सके ?

श्री अलगेशन : हम इन इस्पाती ढांचों तथा इस्पाती सिलेन्डरों को ढालने का सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं, परन्तु इस समय तो हम केवल लोहे के सिलेन्डरों को ही ढाल रहे हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या एकस्व विधि निर्बन्धनों के कारण प्रश्न में बताई गई वस्तुओं का उत्पादन हम नहीं कर सकते तथा यदि हाँ तो क्या इन कुछ एकस्व निधियों की, अन्य देशों के समान, हम परिवंचना नहीं कर सकते जिससे हम आत्मनिर्भर हो जायें ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य ने जिन निर्बन्धनों का वर्णन किया, वह कुछ ही हैं, सभी हीं।

सागर जिले में पुल

*६८७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **परिवहन** मंत्री १४ सितम्बर, १९५४ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश के सागर जिले में राष्ट्रीय पथ संख्या छब्बीस पर चार छोटे पुल बनाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नहीं ।

(ख) चारों पुलों के स्थानों का निर्णय हो गया है। देहार नाले का रूपांकन परिवहन मंत्रालय के सड़क विभाग में तैयार किया जा रहा है। बाकी तीन पुलों की विस्तृत योजनायें और प्राक्कलन अभी राज्य के जन कार्य विभाग से प्रतीक्षित हैं।

श्री के० सी० सोधिया : सरकार की तरफ से पिछली बार जवाब दिया गया था कि सन् १९५५ में यह काम शुरू हो जायगा। इस देरी का क्या कारण है ?

श्री शाहनवाज़ खां : देहार नाले के ऊपर जो पुल है उसके लिए एस्टीमेट्स वगैरह तैयार होंगे। जिस जगह पर पुल बनना है वह भी तै हो गयी है। उसका नमूना यहां पर मिनस्ट्री आफ ट्रांसपोर्ट, रोड विंग्स में तैयार हो रहा है। बाकी तीन पुलों के बारे में स्टेट पी० डब्लू० डी० से कुछ और बातें आनी हैं। उसका इन्तिजार किया जा रहा है।

श्री के० सी० सोधिया : कब तक यह एस्टीमेट वगैरह बन जायगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह तो हमारे बस की बात नहीं है। वह तो स्टेट पी० डबल्यू० डी० से आयगा। हम तो उसका जवाब नहीं दे सकते, वही दे सकते हैं।

श्री० के० सी० सोधिया : एक पुल का जो एस्टीमेट बन गया है उसका काम कब शुरू होगा ।

श्री शाहनवाज़ खां : बहुत जल्दी शुरू हो जायगा । मैं आनरेबिल मेम्बर की तसल्ली के लिए यह बताना चाहता हूं कि ६ लाख रुपया सैंक्शन हो गया है और यह जितने भी पुल हैं वह सब मौजूदा पंच साला योजना में बन जायगे। बहुत ज्यादा इन्तिजार नहीं करना पड़ेगा ।

गुन्टूर रेलवे लाइन के ऊपर पुल

*६८८. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुन्टूर की लाइन पार करने के स्थान अर्थात् लैवल क्रासिंग पर ऊपरी पुल बनाने का कार्य कब प्रारंभ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : गुन्टूर की वर्तमान लैवल क्रासिंग पर ऊपरी पुल बनाने का कार्य तभी प्रारंभ होगा जब गुन्टूर नगरपालिका अधिकारी इसके निकट की सड़कों पर, अपने हिस्से का कार्य प्रारंभ कर देंगे।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : क्या मैं जान सकता हूं कि मूल प्राक्कलन क्या था तथा क्या इस पुल के निर्माण के प्राक्कलन में कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री शाहनवाज़ खां : समय बीतने के साथ-साथ इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है। १९३९ से यह प्राक्कलन कई बार बनाये गये

हैं। १९५० में हमने मद्रास सरकार को सलाह दी थी कि इस ऊपरी पुल को बनाने में लगभग ५ लाख रुपया व्यय होगा। अब ब्यौरेबार जाँच के पश्चात् हम इस निश्चय पर पहुँचे हैं यह व्यय १२·१५ लाख रुपये होगा।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस कार्य का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के अधीन होगा अथवा अंशतः नगर पालिका तथा अंशतः रेलवे अधिकारियों के हाथ में होगा ?

श्री अलगेशन : रेलवे केवल ऊपरी पुल अपने व्यय से बनायेगी तथा नगरपालिका इसके निकट की सड़कें अपने व्यय से बनायेगी।

राजस्थान में अभाव परिस्थिति

*६९०. **श्री कासलीवाल** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान, पश्चिम तथा दक्षिण राजस्थान में, वर्षा न होने कारण विद्यमान अत्यधिक अभाव की परिस्थिति की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार जानती है कि भूसे के अभाव के कारण, सूखे क्षेत्रों से पशुओं को अधिक संख्या में अन्य स्थानों पर ले जाया जा रहा है;

(ग) क्या अभी राजस्थान में अनाज के मूल्य एकदम बहुत चढ़ गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८]

श्री कासलीवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को अभाव परिस्थितियों के कारण, इन क्षेत्रों में पशुओं की हानि की भी कोई सूचना मिली है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं। जो कुछ मैं जानता हूं मैंने अपने उत्तर तथा विवरण में बता दिया है। जोधपुर से लगभग ४००० पशु अन्य स्थानों पर ले जाये गये हैं। मैं नहीं जानता कि और कोई भी आंकड़े प्राप्य हैं।

श्री कासलीवाल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को राज्य सरकार से अनावृष्टि की विद्यमान परिस्थिति के कारण अनाज की अनुमानित उत्पादन मात्रा में हानि की प्रतिशतता का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : अब तो वहाँ पर वर्षा हो गई है और कुछ चिन्ता की बात नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह महता : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आपतकालीन दशा में, सरकार, क्रय मूल्य पर ही राजस्थान की जनता को अनाज देने का विचार कर रही है ?

श्री ए० पी० जैन : जो मदद दी जाती है अनाज को सस्ता बेचने में, उसके लिये तो नियम बना हुआ है कि अगर दो करोड़ रुपये तक उसमें खर्च होगा तो पचास प्रतिशत केन्द्र से दिया जायेगा और जी २ करोड़ से ऊपर का खर्चा होगा तो जितना ऊपर का खर्चा होगा, उसमें ७५ प्रतिशत केन्द्र से दिया जायेगा।

श्री बलवन्त सिंह महता : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि फौडर डिपोज़ कायम करने की जो हमारी पुरानी पद्धति थी उसके नष्ट हो जाने से पशुओं का बहुत ह्रास हो रहा है तो क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसी राय दी है कि वे पुरानी पद्धति को फिर जारी करें ?

श्री ए० पी० जैन : राज्य सरकारें अपनी बुद्धि रखती हैं और जो मुनासिब होगा, वह वे करेंगी।

श्री कर्णी सिंह जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राजस्थान में वर्षा के बार-बार कम होने के कारण सरकार 'राजस्थान नहर' को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बनाने का विचार करेगी ?

श्री ए० पी० जैन : इस प्रश्न को मेरे मित्र सिंचाई और विद्युत मंत्री से पूछना ठीक होगा, फिर भी मेरी सूचना के अनुसार राजस्थान में नहरें बनाने की कुछ प्रस्थापनाएं की गई हैं।

भारतीय नौवहन

*६९१. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तटयात्रा तथा विदेश, जाने वाले जहाजों में, अलग अलग कितने विदेशी 'मास्टर' तथा मुख्य पदाधिकारी के पदों पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन पदों के लिये, इस समय भारतीय पदाधिकारी पर्याप्त संख्या में प्राप्य नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पदाधिकारियों तथा इंजिनियरों को, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९]**

(ख) जी हाँ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : विवरण से ज्ञात होता है कि तटीय नौवहन में भी १३ मास्टर तथा ३ मुख्याधिकारी विदेशी हैं जबकि वह भारतीय नागरिकों के लिये ही निश्चित हैं। क्या सरकार बता सकती है कि इस कार्य को भारतीय पदाधिकारी कब तक अपने हाथ में ले लेंगे ?

श्री अलगेशन : जहां तक तटीय नौवहन का सम्बन्ध है यह सत्य है कि उसमें १३ विदेशी मास्टर हैं परन्तु इस समय भी २८ भारतीय मास्टर उसमें कार्य कर रहे हैं। जहां तक मुख्याधिकारियों का प्रश्न है, केवल ३ विदेशी मुख्याधिकारी हैं जब कि ४१ भारतीय मुख्याधिकारी तटीय नौवहन में कार्य कर रहेहैं। एक पदाधिकारी के इंजीनियरो तथा नौ-परिवहन में प्रशिक्षण देने में काफ़ी अधिक समय लगभग ७ से ९ वर्ष, लग जाते हैं। हम तीन वर्षों में अपने व्यापारिक नौबल में भारतीय पदाधिकारियों के नियुक्त करने में समर्थ होंगे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि १९४९ में ९० लड़के आपातकालीन तौर पर प्रशिक्षित किये गये थे जब कि प्रशिक्षण पोत "डफरिन" पर सामान्य प्रशिक्षण जारी था। यदि ऐसा है तो सरकार, यहाँ प्रशिक्षण सुविधायें देने तथा 'डफरिन' के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण जहाजों पर प्रशिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है जिससे एक निश्चित तिथि तक सभी भारतीय जहाजों पर भारतीय नागरिक ही रहें।

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य विवरण से देख सकते हैं कि 'डफरिन' में केवल नेवीगेशनल प्रशिक्षण ही होता है तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण, जहाज इंजीनियरिंग प्रशिक्षण के निदेशन कार्यालय में होता है; तथा अब हम १० लड़कों को दोनों भागों में भरती कर रहे हैं। इससे अधिक लड़कों को भरती करने पर हमें, उनको नियुक्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब यह लड़के उत्तीर्ण होंगे, उनको भारतीय जहाजों पर नियुक्त भी करना पड़ेगा। मेरे विचार से इस समय ५० पर्याप्त हैं।

टेलीप्रिंटर की लाइनें

*६९२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **संचार** मंत्री २३ दिसम्बर, १९५४ को उनके द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीप्रिंटर लाइनों के दुरुपयोग के लिये कितने लोगों को अब तक दंड दिया गया; और

(ख) उन्हें किस प्रकार का दंड दिया गया ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). कुछ ऐसे टेलीप्रिंटर की लाईनें जिन पर दु पयोग देखने में आया था, उन्हें सम्बन्धित समाचार-एजेन्सियों से हटा लिया गया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी टेलीप्रिंटर की लाइनें हैं जिन पर दुरुपयोग देखने में आया था और जिनको सरकार ने बंद कर दिया है और जिन्होंने कि यह आश्वासन दिया था कि वह उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे ?

श्री राज बहादुर : पी० टी० आई० और यू० पी० आई० इन समाचार एजेंसियों के पास टेलीप्रिंटर थे। यू० पी० आई० के पास न्यु देहली से भटिंडा, न्यू देहली से मुजफ्फ़नगर और न्यू देहली से लुधियाना के सर्किट्स थे जिनको कि इस समाचार एजेंसी से हटा लिया गया है। पी० टी० आई० के पास बम्बई, इन्दौर की टेलीप्रिंटर लाइन थी, उसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। यह एक्शन इन सर्किटों पर दुरुपयोग बंद करने के ख़ातिर लिया गया।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दुरुपयोग हुआ है, वह किस प्रकार से हुआ और उससे सरकार को क्या हानि हो रही है ?

श्री राज बहादुर : जो नियम और जो उनके साथ मुआहिदा है, उनके अनुसार जो कुछ भी मैसेजेज़ इन सर्किट्स के ऊपर भेजे जा सकते हैं, वह केवल पत्रों में प्रकाशन के लिए समाचार होंगे और वह ऐसे होंगे जो प्रेस टेलीग्राफ़ मैसेजेज़ की परिभाषा में आते होंगे।

इन एजेंसियों ने इन टेलीप्रिंटर लाइनों का इस तरह मिसयूज़ किया कि बजाय ख़ाली समाचारपत्रों को मैसेजेज़ भेजने के उन्होंने प्रेस में पबलिकेशन के पहले सब्सक्राइबर्स को मिनट टु मिनट मार्केट कमर्शियल कोटेशंस और रेट्स भेजे और कुछ कमर्शियल फर्म्स को भी दिये, टिकर कनैक्शन्स व्यापार के फर्मों को देना कहाँ तक कानूनी था या ग़ैरक़ानूनी था, या कहां तक ठीक था या ठीक नहीं था, यह दूसरा सवाल है लेकिन उन पर बाज़ार का भाव और मिनट टु मिनट रेटस के कोटेशंस दिये गये और बहुधा उनके प्राइवेट मैसेजेज भी भेजे। इस दुरुपयोग को रोकने के लिये मोनिटरिंग उन सर्किट्स की की गई और इस तरह का मिसयूज़ डिटैक्ट किया गया और वह उपरोक्त आवश्यक ऐक्शन लिया गया।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या सरकार को इनके दुरुपयोग से जो हानि हुई है, वह उनसे मांगा जा रहा है और क्या वे समाचार एजेंसियां दुबारा टेलीप्रिंटर लाइनें मांग रही हैं ?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह दोनों समाचार एजेंसियां अपनी बड़ी महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियां हैं जो देश

के विभिन्न समाचारपत्रों को समाचार देती हैं और हमारी यह इच्छा है कि उनको हम अधिक से अधिक सुविधा दे सकें और इस कारण टेलीप्रिंटर सर्किट्स की उनकी मांग पर विचार करते समय हमें उन सारी चीज़ों को अपनी दृष्टि के सामने रखना पड़ता है।

इंजिन डिब्बे आदि

*६९३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैनाडा की किसी फर्म के साथ रेलवे इंजिन प्राप्त करने के लिये कोई संविदा किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस फर्म का नाम क्या है;

(ग) उस फ़र्म द्वारा बनाये जाने वाले इंजिनों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनका मूल्य कितना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १२० इंजिन कैनाडा सरकार से प्राप्त होंगे।

(ख) मेसर्स कैनाडियन लोकोमोटिव कम्पनी, लिमिटेड, किंग्सटन, कैनाडा।

(ग) १२०।

(घ) रेलवे मंत्रालय को भाड़े के भुगतान सहित प्रत्येक इंजिन का मूल्य लगभग ४·४ लाख रुपये पड़ेगा।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने अन्य देशों की अन्य फर्मों से भी ऐसा संविधा किया है और यदि हाँ तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह एक बड़ा प्रश्न है। इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्राविधिक विशेषज्ञों ने यह बताया है कि जिन रास्तों पर हमारी रेल की पटरियाँ बिछी हुई हैं उनके लिये ये इंजिन ठीक नहीं हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : हमारे प्राविधिक विशेषज्ञ भिन्न-भिन्न देशों के निर्माण केन्द्रों में इन इंजिनों का निरीक्षण करने जाते हैं। जब तक वे संतुष्ट न हों, ये इंजिन स्वीकार नहीं किये जाते।

श्री डी० सी० शर्मा : प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में कितने इंजिनों के निर्माण का लक्ष्य था और क्या द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के लिये भी लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : पहले तो चित्त-रंजन लोकोमोटिव्ज का लक्ष्य १२० इंजिन प्रति वर्ष था। अब उसे २०० इंजिन प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

श्री मुहीउद्दीन : यह कहा गया है कि कैनाडा के इंजिन का मूल्य ४·४ लाख रुपये होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी तुलना में चित्तरंजन के एक इंजिन का मूल्य कितना होगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे अनुमान से उसका मूल्य लगभग ५ लाख रुपये है, किन्तु हो सकता है कि मेरा अनुमान ठीक न हो।

श्री सारंगधर दास : मैं जानना चाहता हूँ कि कैनाडा के इंजिनों की तुलना में चित्तरंजन के इंजिन कैसे हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : व भी काफी अच्छे हैं।

प्रश्नों के लिखित्त उत्तर

रेडियो की अनुज्ञप्तियां

*६६८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न प्रकार की रेडियो की अनुज्ञप्तियां देने के लिये उनके नियमों का पुनरीक्षण करना चाहती है; और

(ख) यदि हाँ, तो वे प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वर्तमान नियमों में इस समय कोई सारवान परिवर्तन करने का विचार नहीं है। रेडियो की वर्तमान प्रणाली तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर प्रक्रियात्मक परिवर्तन किये जाते हैं और किये जायेंगे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इमारती लकड़ी सुधारने का संयंत्र

*६७०. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान १५ मई, १९५५ को ऊटकमंड में आयोजित केन्द्रीय वन विद्या बोर्ड की बठक में पारित इस संकल्प की ओर गया है कि रेलवे के लिय इमारती लकड़ी सुधारने और उसका परिरक्षण करने के लिये संयंत्र स्थापित किये जायें; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस विषय में सरकार द्वारा विचार किया गया ह और कोई निणय किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हाँ, श्रीमान्।

(ख) आशानुसार सामान भेजने के लिये स्लीपरों (शहतीरों) को सुधारने के संयंत्र यथेष्ट समझे जाते हैं जो पहले से ही चल र हैं या जो संस्थापित किये जा रहे हैं। केन्द्रीय वन विद्या बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों से अतिरिक्त संयंत्रों के सुझाव प्राप्त करने की प्रतीक्षा की जा रही है।

अखिल भारतीय आम्र प्रदर्शनी

*६७१. **श्री के० जी० देशमुख :**
श्री जेठालाल जोशी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २१ और २२ मई, १९५५ को बम्बई में अखिल भारतीय आम्र प्रदर्शनी के आयोजन हेतु कृषि गवेषणा की भारतीय परिषद् की आम्र प्रदर्शनी समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) इस प्रदर्शनी पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित आमों की मुख्य किस्मों के नाम क्या हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अखिल भारतीय आम्र प्रदर्शनी समिति, बम्बई के सदस्यों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०]**

(ख) लगभग १७,००० रुपये।

(ग) उक्त प्रदर्शनी में प्रदर्शित आमों की मुख्य किस्मों का विवरण भी सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०]**

प्रसूति तथा शिशु कल्याण योजनायें

*६७९. **श्री अमर सिंह डामर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २६ जुलाई, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रसूति तथा शिशु कल्याण योजनाओं के क्रियान्वित करने में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों ने कितना कितना सहयोग दिया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : जापा और बालहित केन्द्र स्थापना सम्बन्धी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने अपने अपने पिछड़े इलाकों में जितने जापा और बालहित केन्द्र खोले हैं या उनका जितने खोलने का विचार है उनकी संख्या बताते हुए एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११]** इससे यह पता चलेगा कि प्रत्येक राज्य सरकार ने कहां तक सहयोग दिया है।

यूरोपीय देशों को रेलवे शिष्ट मंडल

*६८१. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री १४ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस रेलवे शिष्टमंडल ने पिछले वर्ष कुछ यूरोपीय देशों का भ्रमण किया था, क्या उसने तब से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी सिफारिशों में से कौन-कौन सी कार्यान्वित की जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख). प्रतिवेदन पर अब भी विचार किया जा रहा है, किन्तु इस बीच कुछ सिफारिश स्वीकार कर ली गई हैं और कार्यान्वित भी की गई हैं।

रेलवे यातायात

*६८९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे के प्रत्येक खंड में यातायात में किस अनुपात से वृद्धि होने की आशा है और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस समय पूर्वी रेलवे में अधिक यातायात होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) योजना आयोग की सलाह से दूसरी पंचवर्षीय योजना का ब्योरा अभी तैयार किया जा रहा है।

(ख) यातायात केवल पूर्व रेलवे में नहीं, आम तौर पर सभी भारतीय रेलों में बढ़ा है। ऐसा जान पड़ता है कि उत्पादन और व्यापार में सब कहीं जो बढ़ती हुई है, उसकी वजह से रेल-यातायात बढ़ गया है।

औषधि नियंत्रण

*६९४. **श्री डाभी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २६६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की इस सिफारिश पर विचार कर लिया है कि औषधि अधिनियम का इस प्रकार संशोधन किया जाय कि औषधि निर्माण पर नियंत्रण-अधिकार केन्द्र का हो सके; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या अंतिम निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). यह विषय अभी विचाराधीन है।

दिल्ली नगरपालिका समिति

*६९५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जल संभरण तथा नाली योजना के लिये दिल्ली नगरपालिका समिति की ५० लाख रुपये के अनुदान की मांग की प्रार्थना स्वीकार कर ली है; और

(ख) क्या दिल्ली नगरपालिका समिति ने इस सम्बन्ध में कोई सविस्तार योजना भेजी है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) राष्ट्रीय जल संभरण तथा स्वच्छता योजना (नगरीय जल संभरण तथा नाली योजना) के अन्तर्गत दिल्ली राज्य सरकार के लिए ५७ लाख रुपये का कर्ज देना मंजूर किया है। यह दिल्ली नगरपालिका समिति की जल संभरण व नाली योजनाओं के लिये है।

(ख) जी, हां।

अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था, बंगलौर

*६९६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री सभा-पटल पर इन बातों का विवरण रखने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५५ में अभी तक अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्था, बंगलौर में कितनी कार्य प्रगति हुई है; और

(ख) राज्य सरकारों ने इस संस्था को कितनी आर्थिक सहायता दी है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या १२]**

अस्पताल

*६९७. **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री राधा रमण :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बुकारो और करनपुरा-रामगढ़ कोयला क्षेत्रों में अस्पताल बनवाने की योजनाओं तथा प्राक्कलनों को सरकार ने स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां।

(ख) भूमि प्राप्त की जा रही है और भवन-निर्माण के लिये टेंडर मांगे गये हैं। ज्योंही भूमि प्राप्त होगी, निर्माण आरम्भ कर दिया जायगा।

इमारती लकड़ी पर भाड़े की दरें

*६९८. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान १५ मई, १९५५ को ऊटकमंड में केन्द्रीय वनविद्या बोर्ड की बैठक में पारित इस संकल्प की ओर गया है कि इमारती लकड़ी पर रेलवे भाड़े की दर कम की जाय ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त संकल्प पर विचार किया गया है; और

(ग) इस पर क्या निश्चय किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हाँ श्रीमान्।

(ख) और (ग). इस प्रश्न पर विचार करने के लिये केन्द्रीय कृषि-मंत्री तथा कुछ राज्यों के सदस्यों की एक उप-समिति बनाई गई है और जब तक यह समिति अपने प्रस्ताव सरकार को न दे, इस विषय में कोई निश्चय नहीं किया जा सकता।

भूमिहीन श्रमिक

*६९९. **श्री राम शंकर लाल** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री उन राज्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें भूमिहीन श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सरकार ने अनुदान दिये हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : उत्तर प्रदेश और आंध्र राज्यों को।

गोचर हवाई अड्डा

*७००. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) के गोचर स्थान में हवाई अड्डा बनाने के बारे में जांच पड़-ताल की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां, श्रीमान्। उत्तर प्रदेश सरकार के संकेत पर १९५१ ईसवी में असैनिक उड्डयन विभाग द्वारा गोचर की विमान पट्टी का निरीक्षण किया गया था।

(ख) इस जगह की भूमि की स्थिति के कारण यह विमान पट्टी इसके लिये अनुप-युक्त पाई गई कि इसे वायु यातायात चालन के लिए पूर्णतया असैनिक विमान-क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाय।

भारतीय नौवहन टनभार

*७०१. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के व्यापारिक माल का कितना प्रतिशत भारतीय जहाज़ों में ले जाया जाता है; और

(ख) जहाज़ी व्यापार में नौवहन वाले विश्व के देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय भारतीय जहाजों में विश्व के जल-व्यापार का जो माल ले जाया जाता है उसके प्रतिशत से है। इसकी ठीक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं है। विश्व के नौवहन वाले कुल देशों द्वारा लिये जाने वाले दस करोड़ टन जहाज़ी माल में से हमारे जहाज़ों में केवल पांच लाख टन माल ले जाया जाता है, अतः भारतीय जहाज़ों में विश्व व्यापार का अंश बहुत ही कम है।

हवा और पानी से कटाव

*७०२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ३० मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में हवा और पानी के कटाव को रोकने के लिये कौनसी योजनायें मंजूर की गई हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : केन्द्रीय भूमि रक्षण बोर्ड के पास कांगड़ा जिले के कुल्लू उपखण्ड में कटाव-अवरोध योजना तथा पंजाब राज्य के त्रस्त क्षेत्रों में भूमि सुधार योजनायें आईं थीं और चाल वर्ष के लिये

क्रमशः ५५,००० रुपये तथा २५,००० रुपये की सहायतायें दी गई हैं ।

शयन-स्थान

३०५. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर से दिल्ली, मारवाड़ जंकशन, जयपुर और भटिंडा जाने वाली डाक गाड़ियों में तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिये सोने के स्थान की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक दी जाने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) कुछ रेलगाड़ियों में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये प्रयोगात्मक रूप में सोने के स्थान की व्यवस्था की गई है और यह बताना संभव नहीं है कि प्रश्न के भाग (क) में कथित रेलगाड़ियों में यह सुविधा कब तक दी जायेगी ?

चीन को डाक भेजना

३०६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि चीन से तो पंजीयित (रजिस्टर्ड) वस्तुयें डाक द्वारा भारत में भेजी जाती हैं किन्तु यहां से चीन को पंजीयित पत्र तथा पैकेट भेजने की अनुमति नहीं दी जाती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : जी, हां ।

रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर

३०७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में ऐसे रेलवे गार्डों की संख्या कितनी है, जिन्हें ३१ जुलाई, १९५५ तक क्वार्टर (निवास स्थान) मिल चुके हैं ; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें निवास स्थान नहीं मिले हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १००२ ।

(ख) ७४९ ।

भारतीय नौवहन टनभार

३०८. **श्री डी० सी० शर्मा :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र पार के नौवहन में (समवायवार) भारतीय नौवहन का कुल कितना टनभार है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस टनभार में कुल कितनी वृद्धि हुई ;

(ग) क्या यह समुद्र पार के व्यापार की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त समझा जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कितनी वृद्धि की आवश्यकता है तथा उस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ख) लगभग ४०,००० कुल पंजीयित टन ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) देश की नौवहन आवश्यकता का कोई यथार्थ अनुमान नहीं लगाया गया है ; किन्तु १९४७ में नौवहन की पुनर्निर्माण नीति की उपसमिति ने, यह अनुमान लगाया

था कि नौवहन के २० लाख कुल पंजीयित टन, समस्त तटीय व्यापार तथा पर्याप्त अंश तक निकट तथा दूरवर्ती व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। उक्त २० लाख टन में से लगभग साढ़े चार लाख टन तो तटवर्ती तथा आसपास के देशों से व्यापार के लिये आवश्यक होगा, अवशेष समुद्र पार के व्यापार के लिये।

नौवहन ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में है, इसलिये टनभार के अर्जन तथा विस्तार को प्रोत्सहान देने का काम भारतीय नौवहन समवायों पर ही निर्भर है। समुद्र पार के व्यापार में, भारतीय नौवहन के टन भार की वृद्धि करने के लिये सरकार ने इस प्रकार की महत्वपूर्ण कार्यवाही की है :

(१) ईस्टर्न शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें सरकार के अधिकांश अंश तथा नियंत्रण हित हैं, को टनभार की प्राप्ति तथा समुद्र पार के व्यापार में कार्य संचालन के लिये स्थापित किया गया है।

(२) टन भार बढ़ाने के लिये भारतीय नौवहन समवायों को रियायती दर पर ऋण स्वीकार किया जाता है।

(३) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन समुद्र पार के व्यापार में भारतीय नौवहन को विस्तार देने का अग्रेतर कार्यक्रम विचाराधीन है।

(४) मुख्यतः फुटकर चीजों के व्यापार का कार्य करने के लिये एक अन्य नौवहन निगम स्थापित करने की योजना विचाराधीन है।

दिल्ली मार्ग परिवहन सेवा

३१०. **श्री डाभी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई और जून १९५५ के दौरान दिल्ली मार्ग परिवहन सेवा की बसें कितनी बार ठप्प हुईं अथवा नियमित सेवा में नहीं चलीं ; और

(ख) पिछले तीन महीनों की तुलना में, इस मामले में यदि सुधार किये गये तो वे क्या सुधार किये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

	अप्रैल १९५५	मई १९५५	जून १९५५	योग
बसें कितनी बार ठप्प हुईं	३८५	४००	३३९	११२४
बसें कितनी बार नहीं चलीं	९,५७१	१०,३९९	९,४६८	२९,४३८

(ख) पिछले तीन महीनों की तुलना में, अप्रैल से जून १९५५ के दौरान, बसों के ठप्प होने तथा नियमित रूप से न चलने की संख्या में क्रमशः ३४८ और ५,९२९ की कमी हुई है।

क्षय नाशक औषधि

३११. **श्री डाभी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में हाल ही में फेफड़े के क्षय की प्रभावशाली चिकित्सा के लिये स्ट्रेप्टो हाइड्रेज़िड नाम की एक औषधि की खोज की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस औषधि को यहां के क्षय रोगियों को उपलब्ध करने की कोई कार्यवाही की है, अथवा करने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) 'स्ट्रेप्टो हाइड्रेज़िड' अमरीका में कुछ समय से फेफड़े के क्षय की चिकित्सा के निमित्त उपयोग में आ रही है ।

(ख) यह औषधि १९५३ से बाज़ार में उपलब्ध है ।

दिल्ली मार्ग परिवहन सेवा

३१२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० टी० एस० बसों के लिये कितने शेड हैं ; और

(ख) उसमें कितने सरकारी हैं तथा कितने किराये पर लिये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तीन ।

(ख) देहली मार्ग परिवहन प्राधिकार के दो अपने शेड हैं और एक किराये पर लिया हुआ है ।

रेलवे क्वार्टर

३१४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये १९५४ में कितने क्वार्टर बनाये गये ; और

(ख) इस कालावधि में इन में से कितने मकान कर्मचारियों को दे दिये गये ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) क्वार्टर बनाने का हिसाब पत्री वर्ष के अनुसार न रख कर वित्तीय वर्ष के अनुसार रखा जाता है । १९५४–५५ में चौथे दर्जे के कर्मचारियों के लिये दिल्ली में १२५ क्वार्टर बनाये गये ।

(ख) सभी १२५ क्वार्टर चौथे दर्जे के कर्मचारियों को दे दिये गये हैं ।

कोयला खान भविष्य निधि

३१५. **श्री इब्राहीम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कोयला खान भविष्य निधि का कुल वार्षिक संग्रह कितना है ;

(ख) इस समय निधि में कुल कितनी राशि है ;

(ग) कितने व्यक्ति इसमें अंशदान दे रहे हैं ; और

(घ) कितने लेखे समाप्त हो चुके हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य उस कोयला खान भविष्य निधि की ओर निर्देश कर रहे हैं जिसका मुख्यालय बिहार में है । आंकड़े इस प्रकार हैं :

(क) लगभग ६६ लाख रुपये ।

(ख) ३० जून, १९५५ को लगभग ४६६ लाख रुपये ।

(ग) लगभग ३·२ लाख रुपये ।

(घ) लगभग ६६,००० रुपये ।

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली

३१६. **डा० सत्यवादी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली तथा केन्द्रीय सरकार की अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को डाक्टरी सुविधायें प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे सुविधायें किस प्रकार की हैं ;

(ग) यह योजना कब से चालू है ;

(घ) वर्ष १९४५ से अब तक इस योजना पर कितना वार्षिक व्यय हुआ है ; और

(ङ) कितने व्यक्तियों को इस योजना से लाभ पहुंचा है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली तथा दिल्ली के बाहर स्थित केन्द्रीय सरकार की अन्य गवेषणा संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी केन्द्रीय सेवायें (डाक्टरी चिकित्सा) नियम, १९४४ के अधीन निःशुल्क डाक्टरी सेवा और चिकित्सा पाने के अधिकारी हैं। दिल्ली और नई दिल्ली स्थित संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अधीन डाक्टरी सुविधायें प्रदान की जाती हैं ।

(ग) १ जनवरी, १९४४ से।

(घ) केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर कुल वार्षिक व्यय इस प्रकार हुआ :

वर्ष	व्यय
१९४५—५२	इस अवधि के दौरान कोई व्यय नहीं हुआ, क्योंकि कर्मचारियों की स्थानीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा हुई ।
१९५२–५३	२१७—४—३
१९५३–५४	९१५–१४—६
१९५४–५५	१५१०—५—०

अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली के २१६ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अब तक इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ है । अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं ।

केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली

३१७. **डा० सत्यवादी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगी कि :

(क) १९४७ से १९५४ तक केन्द्रीय गवेषणा संस्था, कसौली में जहरीली दवाओं के उपयोग से या जहरीले जानवरों के काटने से संस्था के कितने कर्मचारियों को हानि पहुंची ; और

(ख) उन की चिकित्सा पर तथा उन्हें क्षति पूर्ति देने में कितना वार्षिक व्यय किया गया ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) किसी को भी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

डाक तथा तार घर

३१८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४–५५ के दौरान हैदराबाद राज्य में कुल कितने डाक तथा तार घर खोले गये ?

संचरा उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : ५५९ डाक-घर तथा ९ संयुक्त डाक तथा तार घर ।

ग्रामीण डाक घर

३१९. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण डाक-घरों के कर्मचारियों का वेतन-स्तर क्या है ; और

(ख) क्या सरकार उन के द्वारा किये गये कार्य के अनुसार उनके वेतन स्तर बढ़ाने का विचार कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अनुमान किया जाता है कि विभागातिरिक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछा गया है । ऐसे कर्मचारियों को दिये जाने वाले

भत्तों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) अधिकांश विभागातिरिक्त अभिकर्त्ता या तो स्थानीय निकायों के कर्मचारी हैं अथवा अन्य निकायों अथवा सरकार के निवृत्ति प्राप्त कर्मचारी हैं । उनके वेतन का कोई नियमित स्तर नहीं है किन्तु उनको एक आधारभूत भत्ता तथा महंगाई भत्ते की एक निश्चित दर दी जाती है । ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों तथा निबन्धकों का सामान्य प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

यात्री जलयान

३२०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने भारतीय यात्री जलयान हैं और वे किन मार्गों पर चलते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५]**

चीनी की खपत

३२१. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में, जून के अन्त तक चालू वर्ष में अनुमानतः चीनी की कितनी खपत हुई ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): चीनी की खपत १९५४–५५ के दौरान नवम्बर १९५४ से ३० जून, १९५५ तक अनुमानतः ११·०८ लाख टन हुई, जबकि १९५३–५४ के मौसम में तत्स्थानी अवधि में कुल उपभोग १२·११ लाख टन हुआ था ।

डाक व तार विभाग के भवन

३२२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ से ३१ मार्च, १९५५ तक डाक व तार विभाग के भवन निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितनी राशि निर्धारित की गई थी; और

(ख) उक्त कालावधि में प्रति वर्ष कितनी राशि का उपयोग किया गया और कितनी राशि व्यपगत हुई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क)

	राशि लाखों में
१९४७–४८ (विभाजन के पश्चात्)	८०·०४
१९४८–४९	१३६·२२
१९४९–५०	१४६·१८
१९५०–५१	१८४·९१
१९५१–५२	१७६·२५
१९५२–५३	२०३·५१
१९५३–५४	२७८·८६
१९५४–५५	३५८·०१

(ख)

	प्रयोग में लाई गई राशि	व्यपगत राशि
१९४७–४८	२६·९३	५३·११
१९४८–४९	१०३·३५	३२·८७
१९४९–५०	११०·९७	३५·२१
१९५०–५१	११७·०६	६७·८५
१९५१–५२	१२७·००	४९·२५
१९५२–५३	१५४·७५	४८·७६
१९५३–५४	१४४·३७	१३४·४९
१९५४–५५	१५६·२५	२०१·७६

खाद्य फसलें

३२३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में कुल कितने एकड़ भूमि

खाद्य फसलों और कितने एकड़ भूमि वाणिज्य फसलों के उत्पादन के लिये उपयोग में लाई गई ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : प्रमुख खाद्य फसलों और वाणिज्य फसलों के उत्पादन के लिये १९५४–५५ में खेती में लायी हुई कुल एकड़ भूमि निम्न प्रकार की है :

खाद्य फसल	क्षेत्र
	(हजार एकड़ों में)
अनाज	२०८,८२३
दालें	५२,३६८
आलू	५४४*
गन्ना	३,९३२
अदरक	४४
काली मिर्च	२०८
मिर्च	१,४७२
वाणिज्य फसल	
मूख्य तिलहन	२९,३१६
तमाखू	८३७**
कपास	१८,३४६
जूट	१,२७३
मेस्ता	५७१

भूमि अधिरक्षण

३२४. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को भूमि अधिरक्षण तथा कटाव विरोधी योजनाओं के लिये कितना अनुदान तथा ऋण दिया गया ; और

(ख) उक्त अवधि में वर्ष वार, उन्होंने कितनी राशि का उपयोग किया ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) केन्द्रीय भूमि अधिरक्षण बोर्ड दिसम्बर, १९५३ में निर्मित किया गया था। राज्य सरकारों को भूमि अधिरक्षण तथा कटाव विरोधी योजनाओं के लिये १९५४–५५ से अनुदान दिये गये। जुलाई १९५५ के अन्त तक जो अनुदान तथा ऋण मंजूर किये गये वे इस प्रकार हैं :

(१) १९५४–५५ के दौरान––

४,३६,६३५रुपये अनुदान के रूप में; तथा

२७,३२,३७५ रुपये ऋण के रूप में ; और

(२) १९५५–५६ के दौरान––

२२,८५,८७५ रुपये अनुदान के रूप में ; तथा

२४,६०,०९६ रुपये ऋण के रूप में।

(ख) राज्य सरकारों से जानकारी मांगी जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल रखी जायेगी ।

रेलवे पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत

३२५. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से चिकित्सा पदाधिकारी के मामले की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) आरोप निराधार सिद्ध हुये ।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र में दुर्घटनायें

३२६. **डा० रामा राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों

*यह पहले अनुमान के आंकड़े हैं। अन्तिम अनुमान के आंकड़े अब तक नहीं मिले हैं।
**यह तीसरे अनुमान के आंकड़े हैं। अन्तिम अनुमान के आंकड़े अब तक नहीं मिले हैं।

में कोलार स्वर्णक्षेत्र में कितनी दुर्घटनायें हुई और उन में कितने व्यक्ति हताहत हुये ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जानकारी नीचे दी जाती है :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या		व्यक्तियों की संख्या	
	घातक	गंभीर	मृत	घायल
१९५२	१२	७०४	४०	७१६
१९५३	३	८६५	६	८७२
१९५४	१३	९७८	२०	९९८

सम्पत्ति का प्राप्त करना

३२७. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्व रेलवे के कितने कर्मचारियों ने सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के अन्तर्गत अपने प्राप्त धन से मकान बनवाने अथवा अन्य सम्पत्ति प्राप्त करने के बारेमें जनवरी १९५५ से रेलवे अधिकारियों को सूचना दी है ;

(ख) गोरखपुर के कितने रेलवे कर्मचारियों ने अपने नाम में अपनी पत्नियों अथवा अन्य रिश्तेदारों के नाम में मकान बनवाये हैं और क्या उन्होंने इस बात की सूचना अपने अधिकारियों को दी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई जांच की गई है कि सम्बन्धित कर्मचारी अपनी आय है उन मकानों को बनवा सकते थे ; और

(घ) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने नियमों के अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त करने की सूचना सरकार को नहीं दी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई नहीं ।

(ख) गोरखपुर के किसी रेल कर्मचारी ने अभी तक इस तरह की सूचना नहीं दी है कि उसने अपने, अपनी पत्नी या रिश्तेदारों के नाम पर कोई मकान बनवाया है । फिर भी जो सूचना इकट्ठी की गई है उससे नीचे दी गई बातें मालूम हुई हैं :—

(१) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने अपने नाम पर मकान बनवाये हैं . . . १२

(२) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने अपनी पत्नियों के नाम पर मकान बनवाये हैं . . . १

(३) उन कर्मचारियोंकी संख्या जिन्होंने दूसरों के साथ (भाइयों के साथ) मिल कर मकान बनवाये हैं . . . २

(४) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने अपने नाम पर ज़मीन ख़रीदी है . . . ४

(ग) एक मामले को छोड़ कर, जिसमें किसी बाहरी आदमी की शिकायत पर एक ट्रेफिक इंसपेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच की गई थी, दूसरे मामलों में अब तक जांच नहीं हुई है ।

(घ) इस पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे मिस्त्रीखानों में चोरियां

३२८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ के दौरान रेलवे मिस्त्रीखानों से चोरी गये माल का मूल्य क्या है ;

(ख) उक्त अवधि में मिस्त्रीखानों से सामान चुराते हुये कितने यक्ति पकड़े गये;

(ग) कितने व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमे लम्बित हैं ; और

(घ) कितने व्यक्तियों को सजायें दी गईं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में पेश की जायेगी ।

माल-डिब्बों की कमी

३२९. **श्री तुलसीदास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के वाडी बन्दर और करनैक बन्दर स्टेशनों से अभी हाल में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वहां पर सामान भेजने की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें कैसी हैं ; और

(ग) उन कठिनाइयों को हटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

रलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). वाडी बन्दर में माल के डिब्बों के संभरण में विलम्ब और यहां के माल गोदाम से कुछ स्थानों को माल भेजने की बारम्बारता की कमी और करनैक ब्रिज के माल गोदाम पर स्थानीय जगहों को भेजे जाने वाले सामान को देर में लेने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आई थीं ।

(ग) वाडी बन्दर के मामले में मालगाड़ी के डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गई है और सामान से भरे आये हुये डिब्बों को जल्दी खाली करने के विचार से माल गोदाम की जगह को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि बाहर माल ले जाने के लिये अधिक डिब्बे उपलब्ध हुआ करें । जहां तक करनैक ब्रिज की बात है, वहां की दशा में अब सुधार हो गया है और स्थानीय स्टेशनों को भेजे जाने वाले माल को स्वीकार करने की बारम्बारता को भी बढ़ा दिया गया है । अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

इंजिन, डिब्बे, आदि

३३०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ और चालू वर्ष के प्रथम चतुर्थांश में चित्तरंजन इंजिन कारखाने में कितने इंजिनों और वाष्प-यंत्रों (ब्वायलरों) का निर्माण किया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इंजिन (वाष्प-यंत्रों सहित पूर्ण)

१९५४	८६
१९५५ (१–१–५५ से ३१–३–५५ तक)	३०

वाष्प-यंत्र (अलग) एक भी नहीं ।

जनता गाड़ी

३३१. **श्रीमती इला पालचौधरी** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की 'प्रथम संपथ गाड़ी', जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह केवल तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये होगी और जो २ अक्टूबर, १९५५ से दिल्ली और कलकत्ता के बीच चलेगी, एक यात्री या तेज जाने वाली यात्री या एक्सप्रेस गाड़ी होगी ;

(ख) उस गाड़ी में कितने यात्रियों के बैठने की जगह होगी ;

(ग) गाड़ी में कितने डिब्बे होंगे ;

(घ) क्या इस गाड़ी में कोई सोने का डिब्बा भी होगा ; और

(ङ) क्या दूर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये कोई अलग डिब्बा होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक्सप्रेस (तेज जाने वाली गाड़ी) ।

(ख) लगभग ६४० व्यक्तियों के बैठने की जगह ।

(ग) १२ डिब्बों की गाड़ी ।

(घ) जी हां, एक ।

(ङ) जी हां, ३०० मील और उससे अधिक यात्रा करने वालों के लिये ।

खाद्य भंडार

३३२. **डा० रामा राव** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५५ को सरकारी भंडार में कितना चावल और गेहूं था ;

(ख) १९५३–५४ में बर्मा से आयात किये गये चावल में से भंडार में अभी कितना शेष है ;

(ग) उस पर अनुमानतः कुल कितना घाटा हुआ; और

(घ) १९५५–५६ में कितना गेहूं और चावल खरीदे जाने की आशा है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १,३६६ हज़ार टन चावल और ३०३ हज़ार टन गेहूं ।

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये, यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

(घ) चावल का आयात करने की आशा नहीं है और यह बताना समय से बहुत पूर्व होगा कि क्या मूल्य को स्थिर रखने के लिये क्रय करना आवश्यक होगा । सरकार मूल्य संधारण नीति के अधीन अभी तक ७७ हज़ार टन देशी गेहूं खरीद चुकी है । यदि गेहूं की अग्रेतर खरीद होगी तो वह बहुत थोड़ी मात्रा में होगी । यह अभी नहीं तय हो पाया है कि यदि गेहूं का आयात किया जाये तो कितनी मात्रा में ।

चीनी के नये कारखाने

३३३. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी मौसम में चीनी के नये कारखाने स्थापित करने की अनुमति के लिये जिन लोगों ने आवेदन पत्र दिये हैं उनके नाम राज्यवार क्या हैं ;

(ख) उन में से कौन कौन से

(१) व्यक्तिगत उद्योगपतियों,

(२) उद्योगपतियों के समवायों, और

(३) सहकारी समितियों,

में से हैं ;

(ग) जिन आवेदकों को अनुमति दी गई है उन के नाम, राज्यवार, क्या हैं; और

(घ) चीनी के नये कारखाने चालू करने की अनुमति देने के लिये कौन-कौन सी शर्तों को पूरा करना होता है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के लागू होने के बाद चीनी के नये कारखाने खोलने के लिये प्राप्त हुये आवेदन पत्रों का विवरण और आवेदकों को अब तक दी गई अनुज्ञप्तियों का एक विवरण संलग्न है । [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६] तारांकित उद्यम १९५५–५६ के आगामी मौसम में उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे ।

(घ) चीनी के नये कारखानों के खोलने के आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय निम्न में दी गई बातों का ध्यान रखा जाता है :—

(१) निम्न में दी गई बातों का ध्यान रखते हुये प्रस्तावित स्थान की उपयुक्तता—

(क) गन्ने की उपलब्धता और गन्ने को कारखाने तक पहुंचाने की सुविधा ;

(ख) सिंचाई की सुविधाओं, मौसम की दशा और अन्य आवश्यक बातों को ध्यान में रख कर उस क्षेत्र में गन्ने की कृषि के विकास की संभावना ;

(ग) क्या कारखाने के पास खुद खेती के लिये भूमि है ताकि अधिक अच्छे प्रकार का गन्ना तैयार किया जा सके और उत्पादन की लागत घटाई जा सके ।

(घ) क्या प्रस्तावित कारखाने के स्थापित करने से उस क्षेत्र में अधिक भीड़भाड़ हो जायेगी ; और

(ङ) जल संभरण, चूना, चूने का पत्थर, विद्युत और संचार की कितनी सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(२) आवेदकों के वित्तीय संसाधन और इस काम में उनका अनुभव ।

(३) क्या लगाई जाने वाली मशीन से अपेक्षित उत्पादन होगा और क्या सामान पूरा तथा आधुनिक ढंग का है ताकि काम खूब सुचारू रूप से चले ।

चीनी

३३४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयात की गई चीनी के वितरण के सम्बन्ध में पिछले साल जो व्यवस्था थी उसमें कोई परिवर्तन करने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो किये जाने वाले परिवर्तनों का स्वरूप क्या है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). पिछले साल आयात की हुई चीनी के वितरण की व्यवस्था यह थी कि सरकार द्वारा नियत की हुई एकसमान दरों पर बिक्री के लिये टेन्डर मंगवाये जाकर डिलीवरी बन्द्रगाह से दी जाती थी । अथवा भारत के किसी भी स्थान पर जहां खरीदार माल मंगवाता वहां की, स्टेशन तक रेल किराया न वसूल कर (एफ० ओ० आर०), डिलीवरी दी जाती थी । यह व्यवस्था जिस के अनुसार रेल किराया न ले कर माल स्टेशन तक पहुंचा दिया जाता था (एफ० ओ० आर०), १ फरवरी, १९५५ से बन्द कर दी गई । आयात की हुई चीनी जो अब बिक्री की जाती है, उसमें डिलीवरी बन्दरगाह से या गोदामों से दी जाती है । इस व्यवस्था में परिवर्तन करने का इस वक्त विचार नहीं है ।

विशेष गाड़ियां

३३५. **श्री वीरस्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ७ जुलाई, १९५५ को चिदाम्बरम् के महा कुम्बाभिषेकम् मेले के सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे ने कितनी विशेष गाड़ियां चलाईं;

(ख) किन स्टेशनों से किन स्टेशनों तक विशेष गाड़ियां चलाई

(ग) क्या यह सच है कि इस अवसर पर एक विशेष समय-सारणी छपाई और जारी की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो छपाई पर कितनी लागत आई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) ४–७–५५ से ११–७–५५ तक

मेले की अवधि के दौरान ७१ विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं ; इसमें से ७-७-५५ को १९ गाड़ियां चलाई गई थीं ।

(ख) ये विशेष गाड़ियां इन स्टेशनों के बीच चलाई गई थीं :—

मायवरम् और विलुपुरम ।
मद्रास, एगमोर और चिदम्बरम् ।
मदुरा और चिदम्बरम् ।
कारैक्कुडी और चिदम्बरम् ।
त्रिचिनापल्ली और चिदम्बरम् ।
मायवरम् और तिरुवाहट जंक्शन ।
मायवरम् और तंजौर ।

(ग) जी हां ।

(घ) विशेष समय सारणी की ६५० प्रतियों और स्टेशनों पर रखी जाने वाली समय सारणी की ७५० प्रतियों की छपाई की लागत लगभग १२८ रुपये थी ।

गाड़ियों का देर से चलना

३३६. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (१) मसुलीपटाम और नरसरावपेट और (२) रेपल्लि और गुन्टूर के बीच चलने वाली गाड़ियों के चलने में १९५४-५५ में औसतन कितना विलम्ब हुआ ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : अपने पहुंचने के स्थान पर कभी ठीक समय से और कभी बहुत देर में पहुंचने का प्रति गाड़ी दैनिक औसत निम्न प्रकार है.

(१) मसुलीपटाम—नरसरावपेट खण्ड :

(क) मसुलीपटाम—वेजवाडा खण्ड २९ मिनट;

(ख) वेजवाडा—नरसरावपेट खण्ड १० मिनट।

(२) रेपल्लि—गुन्टूर खण्ड : ९ मिनट

भारत में डाक्टरी शिक्षा के कालिज

३३७. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २९ नवम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में किन डाक्टरी शिक्षा के कालिजों को केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलता है ;

(ख) उन में कितने विद्यार्थी भर्त्ती किये जाते हैं ; और

(ग) प्रत्येक कालिज में कुल संख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की संख्या क्या है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) (१) लेडी हार्डिंज मेडिकल कालिज, नई दिल्ली;

(२) क्रिस्चियन मेडिकल कालिज, लुधियाना

(३) क्रिस्चियन मेडिकल कालिज, वेल्लोर।

(ख) और (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७]

कोढ़ियों की बस्तियां

३३८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मनीपुर में सरकारी और ग़ैर-सरकारी संगठनों द्वारा कोढ़ियों की कितनी बस्तियों का प्रबन्ध किया जा रहा है ;

(ख) प्रत्येक बस्ती में कोढ़ियों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि बस्तियों के अधिकांश कोढ़ी टामेनलांग उपखण्ड के हैं : और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने वहां पर इस रोग को रोकने के लिये क्या उपाय किया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

मनीपुर में डाकघर

३३९. श्री रिशांग किशिंग : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर में १९५२ के बाद अब तक कितने शाखा डाकघर खोले गये ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : १-४-१९५२ से ३१-७-१९५५ तक की अवधि में ४१ ।

इम्फाल में चावल के भाव

३४०. श्री रिशांग किशिंग : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल में आजकल चावल और धान के क्या भाव हैं ; और

(ख) सरकार ने इस बात का प्रबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि धान उगाने वालों को अपने धान का उचित या अधिक मूल्य मिले ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख) यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तारघर (बीनपुर)

३४१. श्री सुबोध हासदा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के बीनपुरा नामक स्थान पर एक तारघर खोलने की प्रस्थापना मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो यह तार घर कब खोला जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं मिली । परन्तु वर्तमान नीति यह है कि जिन राज्यों में तहसीलें नहीं हैं उन में थाने वाले स्थानों पर तारघरों की सुविधायें दी जायें । इस नीति के अनुसार वहां पर तारघर खोलने के प्रश्न पर विचार किया गया था । चूंकि इस योजना को कार्यरूप में परिणत करने में बहुत हानि होगी, इसे स्थगित कर दिया गया है और अगले वर्ष इस पर विचार किया जायेगा ।

अनुसूचित आदिमजातियां

३४२. श्री सुबोध हासदा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे में आजकल विभिन्न कर्मचारी वर्गों में अनुसूचित आदिमजातियों के कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस रेलवे में अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों की भर्त्ती का कोई अभ्यंश (कोटा) निश्चित कर रखा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या १९५४ का अभ्यंश (कोटा) पूरा किया जा चुका है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) १-१-१९५२ को कुल संख्या इस प्रकार थी :

श्रेणी १—
श्रेणी २—
श्रेणी ३ . . . २३६
श्रेणी ४ . . . ५३६१

(ख) जी, हां । श्रेणी १, २ और ३ की नौकरियों में जिन का वेतन स्तर ३०० रुपये या अधिक तक जाता है और जो प्रत्यक्ष भर्ती

द्वारा दी जाती हैं, उन में अनसूचित आदिम-जातियों का कोटा ५ प्रतिशत है। श्रेणी ३ की नौकरियों में जिन का वेतन स्तर ३०० रुपये तक नहीं जाता और जो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा दी जाती हैं और श्रेणी ४ की नौकरियों में यह कोटा १४ प्रतिशत है।

(ग) सारे वर्ष की पूरी जानकारी अभी नहीं प्राप्त हुई है। यह इकटठी की जा रही है और तैयार होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गोदी श्रमिक संघ—कलकत्ता पत्तन

३४३. श्री सुबोध हासदा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन के गोदी श्रमिक संघ ने वेतनों में वृद्धि के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन भारत सरकार को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लोक-सभा

वाद - विवाद

शुक्रवार,
१२ अगस्त, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ५, १९५५

(२५ जुलाई से १३ अगस्त, १९५५)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

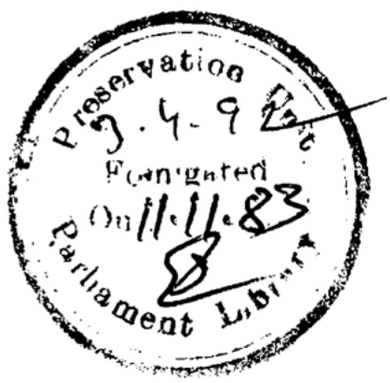

दशम सत्र, १९५५

(खंड [redacted] में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

अंक १—सोमवार, २५ जुलाई, १९५५	सतम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर प्रदेश में बाढ़ें	१–३
श्री एन० एम० जोशी तथा श्री पतिराम राय का निधन .	३
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३–४
सभा पटल पर रखे गये गये पत्र—	
भारतीय विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना .	
केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम . .	४–५
नवम सत्र की समाप्ति पर प्रख्याप्ति अध्यादेश	५–६
सरकार द्वारा आश्वासनों, आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण .	६–७
प्रथम साधारण निर्वाचन का प्रतिवेदन, खण्ड २ .	७
भारतीय आय कर अधिनियम के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की प्रगति का विवरण	७
सोदपुर ग्लास वर्कस सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय का संकल्प	८
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचनायें .	८
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें	९
पुनर्वास वित्त प्रशासन के विवरण और प्रतिवेदन .	९–१०
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१०
गोआ की स्थिति	१०–२०
अष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०
अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित .	२०–२१
हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक—संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव— संशोधित रूप में स्वीकृत . . .	२१–१०७
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७–१२८
अंक २—मंगलवार, २६ जुलाई, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव—	
त्रावनकोर खनिज व्यापार-संस्था, चवारा में हड़ताल .	१२८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन—	
(१) इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के लिये कोयला खान खण्ड मानने के सम्बन्ध में; . .	१२९–१३१

	स्तम्भ
(२) कैलशियम क्लोराइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
(३) सोडा ऐश उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में ;	१२९–१३१
(४) टिटेनियम डायक्साइड उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में; और	१२९–१३१
(५) हाइड्रोकुनीन उद्योग को संरक्षण चालू रखने के सम्बन्ध में;	१२९–१३१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	१३१
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि .	१३२
सदस्य द्वारा पदत्याग . .	१३२
समय के बंटवारे का आदेश–चर्चा असमाप्त	१३२–१३४
सभा का कार्य . . .	१३४–१३५
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति	१३४–१४९
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पारित.	
विचार करने का प्रस्ताव—	१४९–१७०
खण्ड २ और १,	१७०–१७१
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	१७१–१७३
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक . विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१७३–१७७
श्री ए० सी० गुह	१७३–१७७
गोआ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—समाप्त .	१७७–२३६
अंक ३—बुद्धवार, २७ जुलाई, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश . संख्या २४ से २९ . .	२३७–२३८
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . .	२३८–२३९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति— इकतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . .	२३९
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक. विचार करने का प्रस्ताव–स्वीकृत	२४०–३२६
अंक ४—गुरुवार, २८ जुलाई, १९५५	
सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
प्रशुल्क रियायतों का विश्लेषण विवरण	३२७

	स्तम्भ
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
दसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	३२७–३२८
स्थगन प्रस्ताव—	
महावीर जूट मिल्स लिमिटेड, गोरखपुर .	३२८–३२९
समय के बंटवारे का आदेश .	३२९–३४१
सभा का कार्य	३४२–३८१
औद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—	
खण्ड २ से ६	३४३
खण्ड ७	३४३–३५१
खण्ड ८ से १५	३५६–३५९
खण्ड १६	३५९–३६१, ३७०
खण्ड १७ से २३	३६२–३७०
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७०–३८१
भारतीय टंकन संशोधन विधेयक	३८१–४२०
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३८१–३९४

अंक ५—शुक्रवार, २९ जुलाई, १९५५

सभा–पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों (रेलवे) १९५५–५६, के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . .	४२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	४२१–४२२
भारतीय टंक (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	४२२–४३१
खण्ड २	४३१–४५०
खण्ड १	४५०–४५१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव— स्वीकृत . .	४५१
भू–सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४५१–४६५
खण्ड २ और १	४६५
पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	४६५
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	४६५–४६७
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
इकतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत .	४६८
केन्द्रीय कृषि वित्त निगम के बारे में संकल्प—	
वापस लिया गया	४६८–४९८

	स्तम्भ
वतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प--	
असमाप्त	४६८–५१०
अंक ६--सोमवार, १ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
१९५५–५६ के लिये एयर–इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के आय तथा व्यय के आयव्ययक प्राकलनों का सारांश	५११
बीमा अधिनियम, १९३८ के अन्तर्गत अधिसूचना .	५११–५१२
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) आध्यादेश प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण . .	५२४–५२५
अनुपस्थिति की अनुमति	५१२
समिति के लिये निर्वाचन--	
लोक लेखा समिति	५१२–५१३
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५२--	
वापस लिया गया	५१३–५१४
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९५५-- पुरःस्थापित	
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित . .	५१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--राज्य–सभा को भेजने के बारे में अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य . . .	५१५
मद्यसारिक उत्पाद (अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) संशोधन विधेयक--	५१५–५७०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	
खंड २ से १४ तथा १	५३९–५६९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	५७०
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--पारित	५७०–५९५
खंड २ से १० तथा १ . . .	५९२–५९९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--	
स्वीकृत .	६००–६०२
अंक ७--मंगलवार, २ अगस्त, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव--	
पुर्तगाली पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार . . .	६०३–६०४
संसद् भवन की सीमा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग	६०४–६०६
एयर-इंडिया इंटरनेशनल विमान के दक्षिण चीन सागर में गिरने के बारे में वक्तव्य	६०६–६०९

	स्तम्भ
उत्तर प्रदेश में बाढ़ों के बारे में वक्तव्य . . .	६०६–६१२
दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक-- .	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	६१२–६१७
खण्ड २ से ६ और १	६३७
संशोधित रूप में पारित .	६३७–६३८, ६६१
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--अपमाप्त	६३८–६६१, ६६१–६८६

अंक ८--बुधवार, ३ अगस्त, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघटन के अभिसमय संख्या ५ के अनुसमर्थन के बारे में वक्तव्य	६८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
बत्तीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	६८७
पुर्तगाली पुलिस द्वारा सत्याग्रहियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में वक्तव्य	६८८–६८९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित .	६८९
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक	
विधेयक--पुरःस्थापित .	६८९–६९०
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--अपमाप्त	६९०–७९०

अंक ९-- गुरुवार, ४ अगस्त, १९५५

गोआ की सीमा पर घटनाओं के बारे में वक्तव्य	७९१–७९३
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक--	
पुरःस्थापित	७९३
सभा-पटल पर रखा गया पत्र--	
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन अध्यादेश, १९५५ के प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण	७९३
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन)	
विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया	७९३–८१८
श्री पाटस्कर	७९३–८१७
दरगाह ख्वाजा साहब विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८१९–८५१
खण्ड २ से २२ और १	८५१–८८१

	स्तम्भ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८१-८८३
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	८८४-८९६

अंक १०--शुक्रवार, ५ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति--	
बाईसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित	८९७
विधि आयोग के बारे में वक्तव्य	८९७-९००
भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक--	
खण्ड २ से ६ और १	९००-९०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत	९०१-९०५
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--	
असमाप्त	९०५-९३६
तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९३६-९४१
बत्तीसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत	९४१
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४२९ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४१-९४२
बाल विवाह रोक (संशोधन)	
विधेयक (धारा १२ का संशोधन)--पुरःस्थापित	९४२
कारखाना (संशोधन) विधेयक	
(धारा ५९ के स्थान पर नई धारा रखना)--पुरःस्थापित	९४२-९४३, ९५८-९५९
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा ४३५ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वाद-विवाद	
स्थगित	९४३-९४७
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (नई धारा २० क का रखा जाना)	
वापस लिया गया	९४७-९५८
कर्मकर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३क का रखा जाना)	
पुरःस्थापित	९५९
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक--	
(धारा २ और ४ का संशोधन)--	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव--प्रस्तुत नहीं किया गया	९५९
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (धारा १७ का	

	स्तम्भ
संशोधन) विचार करने का प्रस्ताव--अस्वीकृत .	९६२–९७२
भारतीय वयस्कता (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)--	
विचार करने का प्रस्ताव--वापिस लिया गया .	९७२–९७९
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक-.	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	९८०
अंक ११--सोमवार, ८ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखा गया पत्र--	
रक्षित तथा सहायक वायु सेना	
अधिनियम के नियमों में संशोधन	९८१
कार्य मंत्रणा समिति-- . .	
बाईसवां प्रतिवेदन--स्वीकृत . .	९८१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--	
असमाप्त	९८२–१०४८
अंक १२--मंगलवार, ९ अगस्त, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	
सान के पत्थर के उद्योग आदि को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में	
प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	१०४९–१०५०
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	१०५०–१०५१
नागरिकता विधेयक--	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	१०५२–११००
औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११००–११२९
खण्ड २ और ३ और १	११२९–११३०
विचार करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . .	११२९–११३२
समवाय विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त .	११३२–११३४
अंक १३--बुधवार, १० अगस्त, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र--	
नकली रेशम और सूत एवं नकली रेशम मिश्रित रेशा उद्योग आदि को	
संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	११३५–११३६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
तेतीसवां प्रतिवेदन---उपस्थापित . . .	११३६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कलकत्ता पत्तन पर जहाजों से माल उतारने और माल लादने वाले मज-	
दूरों का 'धीरे काम करो' आन्दोलन	११३६–११३८
समवाय विधेयक--	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त	११३८–१२१०

अंक १४—शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेश में बाढ़ें १२११–१२१३

अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—

पुरःस्थापित . . . १२१३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—

विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १२१४–१२४४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . १२४४–१२४५

वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . १२४५–१२८६

वैदेशिक व्यापार पर राज्य एकाधिकार के बारे में संकल्प—असमाप्त १२८७–१२८८

अंक १५—शनिवार, १३ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १२८९–१३४२

अनुक्रमणिका १–८

लोक-सभा

शुक्रवार, १२ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्यान्ह

स्थगन प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में बाढ़ें

अध्यक्ष महोदय : उत्तर प्रदेश की बाढ़ों के सम्बन्ध में मुझे एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं देना चाहता हूं, परन्तु चूंकि यह एक विषय महत्व-पूर्ण है इसलिये मैं चाहता हूं कि, जैसा कि माननीय मंत्री ने पहले कहा था कि वह समय समय पर बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया करेंगे, इस अवसर पर हमें उन बाढ़ सम्बन्धी तथ्यों से अवगत करायें जो कि उन की सूचना में हों ।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : वर्षा ऋतु अभी समाप्त नहीं हुई है और अभी बीच बीच में वर्षा का होना अनिवार्य है । उत्तर प्रदेश के प्राधिकारियों से अभी कुछ ही मिनट पूर्व पता चला है कि हर जगह स्थिति में सुधार हो रहा है । उस

के बाद से कहीं कहीं स्थानीय रूप से कुछ वर्षा हुई है परन्तु नदियों में फिर से बाढ़ आन का कोई तात्कालिक खतरा नहीं है । फसलों और सम्पत्तियों की हानि का मूल्यांकन किया जा रहा है और सहायता पहुंचाने के सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे है । ऐसे क्षत्रों में तकावी इत्यादि बांटने के लिये ५० लाख रुपये भेजे गये हैं ।

जब मैं ने पिछला विवरण सभा पटल पर रखा था तथा मौखिक वक्तव्य दिया था तब से कोई एसी घटना नहीं हुई है जिस के सम्बन्ध में और अधिक ब्यौरा प्रस्तुत किया जाये । परन्तु माननीय सदस्यों की चिन्ता को देखते हुए हम उत्तर प्रदेश सरकार से सारी अग्रेतर जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री विभूति मिश्र (सारन व चम्पारन) : क्या मंत्री महोदय बिहार के बारे में भी बताने की कृपा करेंगे ? मैं ने रूल २१६ के अधीन उन का एटेन्शन कॉल किया था ३ तारीख को और आज १२ तारीख हो गई ।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैं ने उन से कहा कि वह वक्त वक्त पर स्टेटमेन्ट दें तो ठीक होगा ।

श्री नन्दा : आगामी दो तीन दिनों में मैं आसाम, बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखने वाला हूं । पहले जब मैं ने वक्तव्य दिया था तो परिस्थिति बहुत खराब थी

[श्री नन्दा]

परन्तु उस के बाद से भारी वर्षा नहीं हुई है और स्थिति में सुधार हो रहा है ।

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर—उत्तर) : देश की बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस के लिये तय्यार है कि सारे देश की बाढ़ की स्थिति पर विचार करने के लिये एक दिन आवंटित किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव वर्षा की दूसरी किस्त के सम्बन्ध में है । इसलिये पहले हमें वाद-विवाद के लिये आवश्यक जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिये क्योंकि अभी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है ।

अपहृत व्यक्ति (पुनःप्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम, १९४९ को एक अग्रेतर अवधि तक चालू रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) अधिनियम, १९४९ को एक अग्रेतर अवधि के लिये चालू रखने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

समवाय विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा समवाय विधेयक पर अग्रेतर चर्चा करेगी ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व) : अपनी अर्थव्यवस्था पर विदेशी आधिपत्य तथा प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के सम्बन्ध में मैं कल कह चुका हूं । मैं ने बताया था कि प्रबन्ध अभिकरण, किस प्रकार व्यापार के अन्तःपाशन द्वारा, न केवल सरकार को और कर्मचारियों को वरन् समवाय के अंशधारियों को भी धोखा देते हैं । क्रय और विक्रय के लिये प्रबन्ध अभिकरण होते हैं और वहीं समवाय की ओर से क्रय करते हैं और वही समवाय को विक्रय करते हैं । इस प्रकार वस्तुओं की किस्म और मूल्य पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता है । इसी के द्वारा चोरबाज़ारी भी की जाती है । आय कर जांच आयोग प्रशासन प्रतिवेदन को देखने से पता चलता है कि इस सम्बन्ध में गड़बड़ी किस सीमा तक पहुंच गई है । इस प्रतिवदन में बताया गया है कि उत्पादन की लागत को बढ़ाने

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

के लिये वे कौन कौन से हथकण्डे काम में लाते हैं—कभी कभी वे कच्चे माल के जाली क्रय का उल्लेख करते हैं जिस का वास्तव में कभी क्रय नहीं किया जाता है, कभी कभी बहुत से मध्यस्थों द्वारा क्रय किया जाना दिखाया जाता है यद्यपि यह मध्यस्थ केवल बेनामीदार होते हैं और इसी प्रकार जो लाभ समवाय को मिलना चाहिये उसे वे स्वयं हड़प लेते हैं । प्रबन्ध अभिकरण ऐसी सामग्रियों की खपत दिखाते हैं जिन की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और इस प्रकार व्यय को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं । इसी प्रकार की अगणित बुराइयों का इस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है । मैं समझता हूं कि प्रबन्ध अभिकरण में इतनी

अधिक बुराइयां हैं कि जब तक इस प्रणाली का ही मूलोच्छेदन नहीं किया जायेगा यह बुराइयां दूर नहीं हो सकती हैं। ठीक यही बात सेक्रेट्रियों और खज़ांचियों के सम्बन्ध में भी है जिन को इस विधेयक द्वारा वैध मान्यता दिये जाने का प्रयत्न किया गया है। इन का भी मूलोच्छेद किया जाना चाहिये।

संचालकों का पारिश्रमिक ५०,००० रुपये रखा गया है जो हानि उठाने वाले समवायों के लिये बहुत अधिक है। प्रयत्न यह किया गया है कि यह निर्धारित कर दिया जाये कि संचालक कितने समवायों में काम कर सकते हैं और प्रबन्ध अभिकरण कितने समवायों का प्रबन्ध कर सकते हैं। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि हो सकता है कि अन्तःपाशन को रोकने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो परन्तु आर्थिक सत्ता तथा धन के केन्द्रीकरण को रोकने के लिये यह प्रयत्न बेकार साबित होगा। इस के लिये हमें न केवल यह देखना है कि समवायों की संख्या कितनी है वरन् यह भी देखना है कि समवाय छोटे छोटे हैं या बड़े हैं।

यही बात संचालकों के सम्बन्ध में भी लागू होती है। कार्यकुशलता के लिये एक सीमा निर्धारित की जानी आवश्यक है। विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि एक व्यक्ति बीस समवायों तक का संचालक हो सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी व्यक्ति बीस समवायों का कुशलता-पूर्वक प्रबन्ध नहीं कर सकता है। इस का तात्पर्य यह है कि हम हरामखोर संचालकों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और कुप्रबन्ध को बढ़ाना चाहते हैं। कार्यकुशलता के नाते समवायों की संख्या सीमित कर दी जानी चाहिये और साथ ही उन का आकार भी निश्चित कर दिया जाना चाहिये।

मैं इस से तो सहमत हूं कि सरकारी समवायों का लेखा परीक्षण नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा कराया जाये परन्तु मैं इस से सहमत नहीं हूं कि सरकारी समवाय केवल वही हैं जिन में सरकार के नियंत्रण में ५१ प्रतिशत अंश हों। सरकार का पैसा जनता का पैसा है इसलिये सरकार द्वारा लगाया गया धन चाहे कम हो या ज्यादा परन्तु जनता का हित इसी में है कि समवाय की कार्यवाही पर कड़ी निगाह रखी जाये। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समवाय ऋण लेता है और सरकार उस के ऋण की प्रतिभूति देती है। ऐसे समवायों के कार्यों पर भी कड़ी निगाह रखे जाने की आवश्यकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम समवायों का लेखा परीक्षण नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा कराया जाये जिन में सरकार का पैसा लगा हो, या सरकार ने ऋण के लिये प्रतिभति दी हो या जिन को सरकार ने ऋण दिया हो। किसी समवाय को सरकारी समवाय समझने के लिये अंशों की जो प्रतिशतता निर्धारित की गई है उसे भी घटाया जाये क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से विदेशी तैल समवाय ऐसे हैं जिन में सरकारी अंशों की संख्या कम है और विदेशियों के अंशों की संख्या बहुत अधिक है इसलिये इस विधेयक के उपबन्धों के अनसार महा-लेखा परीक्षक इन समवायों की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकेगा। हम चाहते हैं कि इन विदेशी समवायों पर कड़ी दृष्टि रखी जाय।

मेरा एक और सुझाव यह है कि हम देखते हुए कि हमारे देश की जनता की ग़रीबी बढ़ रही है और लाभांश सौ सौ प्रतिशत तक होते हैं हमें लाभांशों पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाना चाहिये जिससे कि लाभांश बैंक दर से दो तीन प्रतिशत से अधिक न होने पायें। इसलिये लाभांशों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

[श्री साधन गुप्त]

जहां तक इस बात का संबंध है कि समवाय विधि का प्रशासन किस के हाथ में हो किसी संविहित प्राधिकार के हाथ में रहे या केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहे, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बुराइयां तो दोनों में हैं परन्तु हम अपने अनुभव से जानते हैं कि संविहित निगम तो प्रायः ऐसे मामलों में बड़े व्यापारियों का प्रतिनिधित्व ही करता है। इस के साथ साथ एक और दोष यह है कि उन की किसी प्रकार की आलोचना भी नहीं की जा सकती है। इसलिये उसका भी वही हाल होगा जो औद्योगिक वित्त निगम तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं का हुआ है परन्तु यदि अधिकार केंद्रीय सरकार के हाथों में रहे तो हम इस के सम्बन्ध में समय समय पर प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उस के दोषों की सभा में चर्चा करके आलोचना कर सकते हैं। इस से लाभ अधिक होगा इसलिये मैं केन्द्रीय सरकार के प्रशासन के पक्ष में हूं।

उचित संशोधनों के पश्चात् अब भी इस विधेयक से लाभ उठाया जा सकता है। इस में ऐसा संशोधन किया जाना चाहिये जिस से कि विदेशी अधिपत्य की पकड़ कुछ ढीली पड़े क्योंकि हम विशेषतः यह चाहते हैं कि विदेशी साधारण अंश पूंजी पर पूर्ण निषेध लगा दिया जाये। यदि ऐसा नहीं हो सकता ह तो उसे केवल उन क्षेत्रों तक सीमित रखा जाय जिन में राष्ट्रीय उद्योग भाग नहीं ले सकते हैं। यदि यह भी नहीं किया जा सकता है तो हम यह चाहते हैं कि विदेशी विनियोजन के लिये बहुत ही कम प्रतिशतता निर्धारित कर दी जाय और उस का पूर्ण रूप से विनियमन किया जाय। हम प्रबन्ध अभिकर्ताओं, मंत्रियों, कोषाध्यक्षों और संचालकों के प्रस्तावित पारिश्रमिकों में कमी करना चाहते हैं। हम लाभांशों की भी एक सीमा निर्धारित कर देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी समवायों का लेखा परीक्षण सरकार द्वारा किया जाय।

अन्त में मैं उन तरीकों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन के द्वारा सरकार इन बुराइयों पर नियंत्रण रखना चाहती है चाहे वे बुराइयां प्रबन्ध अभिकर्ताओं की हों या सेक्रट्रियों की हों या खजांचियों की हों। उदाहरण के लिये विधेयक में एक उपबन्ध यह किया गया है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को क्रय विक्रय अभिकरण देने के लिये यह आवश्यक होगा कि इस के लिये सामान्य बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया जाये। परन्तु यह बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि जैसाकि बम्बई अंशधारी संस्था ने भाभा समिति के सामने प्रस्तुत किये गये अपने ज्ञापन में कहा है कि सारे देश में फैले होने के कारण अंशधारी तो इन बैठकों में भाग ले नहीं पाते हैं इसलिये यदि प्रबन्ध अभिकर्ताओं को ३० प्रतिशत मत भी मिल जायें तो वे कोई भी संकल्प पारित करा सकते हैं। पहले ऐसा करने के लिये पच्चीस प्रतिशत मतों की आवश्यकता होती थी अब हो सकता है इसे बढ़ा कर तीस या तेतीस प्रतिशत कर दिया जाये। अब मान लीजिये कि पचास प्रतिशत अंशधारी बैठक में भाग लेते हैं तो भी किसी संकल्प को पारित करने के लिये केवल ३७$\frac{1}{2}$ प्रतिशत मतों की आवश्यकता होगी। इसलिये विशेष संकल्प सम्बन्धी यह प्रतिबन्ध बिल्कुल व्यर्थ है।

इसलिये मैं एक बार वित्त मंत्री से पुनः प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय पर इस दृष्टिकोण से भी विचार करें कि क्या वह इन बुराइयों को दूर करने के लिये ऐसे निरर्थक उपायों का सहारा लेंगे या इन बुराइयों के मूल को ही नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : जब पिछली बार इस विधेयक पर संयुक्त समिति को सौंपे जाने से पूर्व इस सभा में विचार हुआ था, तो यह आशा की गई थी कि प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का उत्पादन कर दिया जायगा—किन्तु वर्तमान विधेयक में ऐसा नहीं किया गया है । केवल एक उपबन्ध रखा गया है कि सरकार यदि चाहे तो कुछ उद्योगों में इस प्रणाली के उत्सादन के सम्बन्ध में एक घोषणा कर सकती है—यदि सरकार न चाहे तो सारा धंधा उसी प्रकार चलेगा । मेरे विचार से यह बात सभा की राय के विपरीत है और देश की जनता भी इसे नहीं चाहती है । इस प्रश्न पर १९३४ तथा १९३६ में भी विचार किया गया था और उस समय भी यही राय प्रकट की गई थी कि जितना शीघ्र इस प्रणाली की समाप्ति की जाये उतना ही ठीक है—किन्तु समस्त प्रयत्न असफल रहे हैं क्योंकि जहां पूंजी का प्रश्न आ जाता है वहां सुधार करना इतना सरल नहीं होता है ।

पहले कुछ भी हुआ हो, किन्तु अब इस सभा ने यह निर्णय कर लिया था कि हमारे समाज का ढांचा समाजवादी ढंग पर होगा, तो संयुक्त समिति को इस पर अग्रेतर विचार करना ही चाहिये था । समाजवाद इस प्रकार कभी भी नहीं आ सकता कि देश के धन को कुछेक लोगों के हाथों में केन्द्रित होने दिया जाये । जो शक्तियां प्रबन्ध अभिकर्ताओं को दी गई हैं वे बहुत ही अधिक हैं । यह कहा गया है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं का पारिश्रमिक कम कर देने से उन की शक्ति भी कम हो जायेगी, किन्तु यह बात गलत है । यदि हमें अपने समाज को समाजवादी ढांचे में ढालना है तो शक्ति का विकेन्द्रीकरण करना ही होगा । एक तर्क यह भी उपस्थित किया गया है कि इस प्रणाली का समाजवादी ढंग से कोई सम्बन्ध नही है—क्योंकि कई पूंजीवादी देशों में यह प्रणाली नहीं है । यह जो तरीका है यह गलत है—इसलिये समाजवाद लाने के लिये यह आवश्यक है कि देश के ढांचे में परिवर्तन किये जायें । इस प्रश्न पर विचार ही वास्तव में नहीं किया गया है । कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है बल्कि यह कहा गया कि यदि सीमा निर्धारित कर दी जाये तो प्रबन्ध अभिकर्ता थोड़े समय में और अधिक भ्रष्टाचार करना आरम्भ कर देंगे । किन्तु यह तर्क भी गलत है क्योंकि यदि नियंत्रण प्रभावपूर्ण हो तो कुछ नहीं हो सकता है और समवायों को हानि नहीं पहुंच सकती है ।

मैं यह बात भी नहीं मानता कि यदि इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये तो उद्योग प्रबन्ध के बिना रह जायेंगे । ये लोग फिर भी समाप्त नहीं होंगे, लिक जिस प्रकार के प्रबन्ध को हम निर्धारित करेंगे, ये लोग उसी रूप में आने का प्रयत्न करेंगे । यदि आप मंत्रियों तथा कोषाध्यक्षों का उपबन्ध करेंगे, तो ये लोग मंत्री तथा कोषाध्यक्ष बनने का प्रयास करेंगे इत्यादि । इसलिये स्थान खाली नहीं रहेगा । मैं समझता हूं कि इस अवस्था में इस प्रणाली की देश को कोई आवश्यकता नहीं है । वित्त मंत्री ने कृषि वित्त तथा औद्योगिक वित्त के मामले में कई परिवर्तन किये हैं जिसे से यह बात सिद्ध हो गई है कि केवल यह प्रबन्ध अभिकर्ता ही पूंजी का सम्भरण नहीं करते हैं । थोड़ी बचतों को भी सरकार ने ही प्रोत्साहन दिया है और धन इकट्ठा कर के ऋण दिये हैं । वास्तव में समस्त पूंजी का ढांचा ही बदल चुका है । रक्षित बैंक के प्रतिवेदन में भी यह बात लिखी हुई है कि इन प्रबन्ध अभिकरणों की ओर से १९५१-५२ में केवल २५ प्रतिशत पूंजी ही आई थी । जिस से स्पष्ट होता है कि अन्य क्षेत्र अधिक पूंजी सम्भरण करते हैं—इसलिये अब

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

समय आ गया है कि इस प्रणाली की समाप्ति की जाये ।

प्रकटतया लोग अब इस प्रणाली से घृणा करते हैं और उन्हें इस में कोई भी विश्वास नहीं रहा है । लोग अंश नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि उस बाजार पर इन ही लोगों का कब्जा है । जब तक इन लोगों को वहां से हटाया नहीं जाता है तब तक नये विनियोजक नहीं आयेंगे । इसलिये इस प्रणाली के उत्सादन के लिये एक समय-सीमा रखी जानी चाहिये थी । यदि यह प्रणाली देश में जीवित रही तो कोई अन्य प्रणाली पनप नहीं सकती है । यदि उन्हें यह ज्ञान हो जाये कि उन को अमुक समय के बाद समाप्त हो जाना है तो वे दूसरा रूप धारण करने की चिन्ता भी करेंगे । यदि वे यह समझ जायें कि सरकार पर दबाव डालने से ही काम चल जायेगा, तब बात ही दूसरी है ।

हम जानते हैं कि सरकार पर कई प्रकार का दबाव डाला जायगा—इसलिये सभा को इस प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिये कि क्या इस प्रणाली की समाप्ति के लिये कोई समय सीमा रखी जाये अथवा नहीं ।

कुछ लोगों का विचार है कि इस देश में प्रबन्ध सम्भालने के योग्य कर्मचारियों की कमी है । वास्तव में कोई कमी नहीं है किन्तु समवायों के प्रबन्ध अभिकर्ताओं तथा बैंकों के प्रबन्धकों में संसक्ति होने के कारण ऐसा प्रयत्न किया गया है कि समवायों की प्रबन्ध व्यवस्था कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथों में ही रहे । यदि इस दबाव को कम कर दिया जाये तो प्रबन्धकों की कोई भी कमी नहीं रहेगी । हमारे बहुत से व्यक्ति इस उत्तरदायित्व को सम्भाल सकते हैं । यदि पर्याप्त व्यक्ति न भी हों, तो यह सरकार का कर्तव्य है कि संस्थायें खोले और लोगों को वहां प्रशिक्षण दें ।

यदि यह सच है कि हमारे पास पर्याप्त व्यक्ति प्रबन्ध सम्भालने योग्य हैं और पूंजी प्रबन्ध अभिकर्ताओं के द्वारा नहीं आती है तो हमें इस प्रणाली को बनाये रखने से क्या लाभ है ?

इन परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यदि हम इस प्रणाली को समाप्त कर दें तो देश के उद्योगों की व्यवस्था खराब नहीं होगी ।

हमें अपने समाज को समाजवादी ढांचे में ढालना है, किन्तु उस के तत्व हमारे समाज में कहां आ रहे हैं ? श्रमिकों के प्रश्न को छुआ तक नहीं गया है । अनेकों उत्तरदायी व्यक्ति यह कह रहे हैं कि श्रमिक उद्योगों के अंशधारी हैं, परन्तु कैसे ? सरकार ने अल्पसंख्यक अंशधारियों में से तो दो निदेशक नामनिर्देशित करने का अधिकार रखा है—किन्तु श्रमिकों के बारे में यह सब कहां है ? यदि वास्तव में ही हम चाहते हैं कि यहां समाजवादी समाज हो, तो हमें यह अधिकार भी लेने चाहियें कि जिन जिन उद्योगों में सुसंगठित कार्मिक संघ चल रहे हैं उन में से सरकार उचित अनुपात में निदेशक नियुक्त कर सके यह बहुत लाभप्रद बात होगी । इस से बहुत सा भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा और समवाय तथा उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचेगा ।

इस समय श्रमिकों को केवल मजूरी के अतिरिक्त और कुछ पाने का अधिकार नहीं है । जो भी लाभ होता है उसे प्रबन्ध अभिकर्त्ता ही ले उड़ते हैं । आशा थी कि न्यायाधिकरण अपने विनिर्णयों से कोई ऐसे परिवर्तन करेंगे जिन से कि श्रमिकों को लाभ में भाग मिलेगा किन्तु उन्होंने दुर्भाग्य से ऐसे निर्णय दिये हैं जिन से कि श्रमिकों को लाभ में भाग मिलने से बिल्कुल ही आशा नहीं रही है । उन्हें केवल निर्वाह मजूरी प्राप्त करने

का ही अधिकार है और निर्वाह मजूरी न मिलने पर उन्हें बोनस का अधिकार होता है। निर्वाह मजूरी दिये जाने पर उन्हें लाभ में भाग प्राप्त करने का अधिकार है, किन्तु न्यायाधिकरणों के विनिर्णयों ने सब पर पानी फेर दिया है। सरकार ने भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया है। सरकार केवल प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं एवं प्रबन्ध निदेशकों के पारिश्रमिकों पर ही ध्यान देती रही है। समाजवादी ढांचे में हमें इन बातों पर विचार करना होगा। नियोजकों ने अंशधारियों आदि के लिये लाभांश समकारी निधियां बना सभी कुछ हड़प कर लिया है। मजूरी के लिये कोई समकारी निधि नहीं है। जब भी कोई संकट आता है तो मजूरियां कम कर दी जाती हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि अंशधारियों के लिये ऐसी कोई निधियां बनाई जाती हैं तो उन में श्रमिकों का भाग भी होना चाहिये। अब तक तो यही देखा गया है कि इन समस्त रक्षित निधियों को बोनस अंशों में बदल लिया जाता है और फिर उस पर नियोजक का कब्ज़ा हो जाता है। इन में श्रमिकों का कोई भाग नहीं रहता। इसलिये ऐसे सभी रक्षित निधियों में सरकार को बताना चाहिये कि उन में श्रमिकों का भाग कितना है।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारे चाय बागान बड़े अधिक मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं और बेचने वालों को मूल्य से चार गुना अधिक मूल्य स्टर्लिंग में मिल रहा है जोकि हमारे देश से बाहर जा रहा है। इस प्रकार हमें एक महान राष्ट्रीय हानि हो रही है। माननीय मंत्री एक तो स्टर्लिंग संसाधनों के कम होने के प्रश्न पर विचार करें और उस के निर्गमन को रोकने का प्रयास करें और दूसरे यह बात भी देखी जाये कि समवायों में पूंजी का आधिक्य हो जाने से से श्रमिकों का अंश कम न हो।

माननीय मंत्री को चाहिये कि कोई विधि बना कर चाय बागानों के अधिक मल्यों पर किये जा रहे विक्रय को रोका जाये। आज के समाचार पत्र में ही मैं ने पढ़ा है कि इंगलैण्ड के उच्चायुक्त ने भारत सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि यदि मैसूर राज्य ने कोलार की सोने की खानों का राष्ट्रीयकरण किया तो उस से ब्रिटिश विनियोजकों को हानि होगी और वे सशंकित हो जायेंगे। इसलिये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार विदेशी पूंजी हमारी अर्थ व्यवस्था पर दबाव डालती है जिस से कि हम राष्ट्रीयकरण न कर सकें। खानों के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को अपनाया है —इसलिये कोलार की सोने की खानों के राष्ट्रीयकरण के कार्य को शीघ्र पूरा करना चाहिये। कम से कम इंग्लैण्ड वाले तो हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकते क्योंकि उन्हों ने स्वयं अपनी खानों का राष्ट्रीयकरण कर रखा है। ईरान में तैलकूपों के राष्ट्रीयकरण के प्रयत्न को ब्रिटिश सरकार न सफलता से रोका था, किन्तु हमें अपनी नीति से पीछे नहीं हटना चाहिये। यह भारत सरकार की एक परीक्षा होगी और यदि हम ने ठीक कार्यवाही नहीं की तो हमारे ध्येय को धक्का लगेगा।

इस दृष्टिकोण से भी मैं कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री इस बात पर ध्यान दें। मैं ने सुना है कि भारत सरकार मैसूर राज्य को राष्ट्रीयकरण के मामले में धीमी रफ्तार से चलने की सलाह दे रही है। मैं यह कहूंगा कि इंग्लैण्ड के उच्चायुक्त का इस प्रकार का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। मैसूर राज्य की योजना को सफल बनाया जाये। इस दृष्टिकोण से, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में समझौतों में ऐसा कोई खण्ड न रखा जाये जिस से

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

किसी भी समवाय अथवा संस्था के राष्ट्रीयकरण में कोई रुकावट पड़े ।

दूसरे, सरकार ने कई शक्तियां इस प्रकार की रखी हैं कि यदि सरकार चाहे तो नियंत्रण को हटा सकती है । यह तरीका खतरनाक है क्योंकि नियंत्रणों के न रहने से सभी काम चौपट हो सकता है । इस सम्बन्ध में सरकार जो विभाग बना रही है वह एक ठीक कार्यवाही है । क्योंकि यह विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन रह कर इस सभा की देखरेख में ही रहेगा । इसी से वास्तव में हम नियंत्रण लागू कर सकने में सफल भी हो सकेंगे । केवल इस सभा की लगातार देख रेख से ही इस देश की समवाय सम्बन्धी आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण हो सकता है । इसलिये नियंत्रण की व्यवस्था करने वाला अभिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकरण होगा । उसी की सफलता पर इस नीति की सफलता निर्भर है । इसलिये मैं इस विभाग के स्थापित किये जाने का समर्थन एवं स्वागत करता हूं ।

मैं सभा के माननीय सदस्यों से फिर से प्रार्थना करता हूं कि श्रम के सम्बन्ध में दोबारा विचार किया जाये । द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग देने की योजना भी है ।

प्रधान मंत्री ने यूगोस्लाविया से वापस लौटने पर कहा था कि इस प्रश्न पर अवश्य ही विचार किया जाये । इस योजना के विरुद्ध यहां पर यह कहा जाता है कि भारत के श्रमिक अशिक्षित हैं और इस भार को उठाने योग्य नहीं हैं । कुछ सीमा तक यह ठीक भी है किन्तु बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन में यह उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जा सकता है । मुझे आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी । द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत हमें उद्योगों के प्रबन्ध तथा लाभ के विषय में श्रमिकों के भाग का उपबन्ध अवश्य ही करना चाहिये । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर योजना आयोग भी विचार कर रहा है । यदि आप ने इसे समवाय विधि में स्थान न दिया तो यह किस प्रकार लागू किया जायेगा ? इस देश के उत्पादन का देशनांक १६५ तक पहुंच गया है—इस से यह प्रकट होता है कि देश का श्रमिक यहां के विकास के लिये आतुर रहा है । थोड़ी बचतों म श्रमिकों ने भी अपना हिस्सा दिया है । इन सब बातों से यह साबित होता है कि छोटे किसान तथा श्रमिक देश के हित के लिये किस प्रकार उद्यत हैं । इसलिये इन को प्रबन्ध में भाग दिया जाये । वास्तव में नियोजकों के दिलों में बहुत सी गलत धारणायें हैं जिन्हें उस समय तक नहीं दूर किया जा सकता जब तक कि उन के बुनियादी कारणों को समाप्त न कर दिया जाये ।

संतुलन पत्रों के सम्बन्ध में रखे गये उपबन्धों का मैं स्वागत करता हूं । किन्तु सरकार ने जो यह शक्ति अपने पास रखी है कि किन्हीं मामलों में संतुलन पत्र प्रकाशित न करने की अनुमति सरकार दे सकती है, यह उचित नहीं है । क्या कारण है कि संतुलन-पत्र प्रकाशित न किये जायें ? वास्तव में संतुलन पत्रों के प्रकाशित न होने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही । इसलिये यह कार्यवाही एक गलत कार्यवाही है । किसी ने यहां पर कहा था कि उद्योग कोई निजी सम्पत्ति तो होते नहीं हैं, ये तो सार्वजनिक सम्पत्ति हैं इसलिये संतुलन पत्रों का प्रकाशित किया जाना आवश्यक है । इस से ज्ञात होगा कि समवाय किस प्रकार से कार्य कर रहा है और किस ओर जा रहा है । भ्रष्टाचार को हम उसी समय रोक सकेंगे यदि सभी समवायों को संतुलन पत्र प्रकाशित कराने पर बाध्य किया जायेगा

विदेशी समवायों के बारे में, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें भारत में एक अंश पंजी रखनी चाहिये ताकि उन का सौदा भारत में किया जा सके। चाय बागानों के सम्बन्ध में यह कठिनाई हो रही है—लन्दन में उन के अंशों की एक चौथाई कीमत है और यहां पर कई गुना अधिक मूल्य है। यदि अंशों को दोनों देशों में प्रस्तुत किया जाता तो ऐसी बात न होती। इसलिये इस विधेयक द्वारा यह उपबन्ध कर दिया जाये कि विदेशी व्यापारिक संस्थायें अपने आप को पंजीबद्ध करायें और भारत में एक पंजी रखें जिस से कि हमारे अंश बाजार का विकास हो सके। आखिरकार जो भी समवाय जिस किसी देश में है उसे वहां ईमानदारी से काम करना चाहिये और उसे चाहिये कि वह यहां एक रजिस्टर इस प्रकार का बनाये। यह एक विवादास्पद मामला है और मुझे आशा है कि भारत सरकार तथा वित्त मंत्रालय मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले सदस्यों को अवसर देना चाहूंगा; यहां सदस्य नहीं रहते हैं इस कारण मैं फिर उन्हें नहीं बुलाऊंगा—फिर मुझे बाद में लिखने से कोई लाभ नहीं होगा—जो यहां आयेगा उसे मैं बुलाऊंगा और यदि कोई खड़ा नहीं होगा तो मैं चर्चा को समाप्त कर दूंगा।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : मैं माननीय वित्त मंत्री के इस कथन से सहमत हूं कि संयुक्त समिति ने एक बड़े कार्य को बड़े ही ठीक तरीके पर किया है। इतना बड़ा विधेयक इस सभा में पहले कभी नहीं आया था। एक आर्थिक पत्रिका ने इस की उपमा एक जंगल से दी है। यह विधान एक विषम विधान है। अतः इस विधेयक के पारित होने पर नये विभाग को सर्वप्रथम काम यह करना चाहिये कि एक पुस्तिका तैय्यार करे जिस में सरल अंग्रेज़ी भाषा द्वारा विधेयक का सारांश दिया जाये और प्रबन्धकों, प्रबन्धक निदेशकों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, अंशधारियों आदि के कर्तव्य तथा अधिकार बता दिये जायें। जब सम्पत्ति शुल्क विधेयक के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का सुझाव दिया गया था, तो वित्त मंत्री महोदय ने एक पुस्तिका जारी की थी जोकि जनता के लिये महान हितकर सिद्ध हुई है। इस के सम्बन्ध में भी ऐसा ही करने के लिये मैं इसलिय कहता हूं कि इस से न ही केवल अंशधारियों को अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, अपितु इस से समवायों का प्रशासन भी पर्याप्त सीमा तक सुधर जायेगा। समवायों का प्रशासन ढीले ढाले ढंग से चल रहा है। इस अधिनियम में १९३६ और १९५१ में जो संशोधन किये गये थे, उन उपबन्धों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इन समवायों के विरुद्ध कई शिकायतें की गई हैं, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जहां कहीं कार्यवाहीं की भी गई है वह भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के विरुद्ध नहीं, अपितु छोटे छोटे निर्धन व्यक्तियों के विरुद्ध की गई है। मैं विभाग को सचेत कर देना चाहता हूं कि वह इस बात की ओर विशेष ध्यान दे।

श्री अशोक मेहता ने इस बात पर जोर दिया है कि इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये एक केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकाय स्थापित किया जाये। परन्तु औद्योगिक समवायों के प्रतिनिधियों की यह मांग है कि वित्त मंत्रालय के अधीन ही एक सुदृढ़ केन्द्रीय निकाय की स्थापना की जाय। श्री साधन गुप्त तथा अन्य साम्यवादी सदस्यों ने भी एक केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना का समर्थन नहीं किया है। प्रारम्भ में तो मैं केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकाय के नाम से अत्यधिक प्रभावित हुआ

[श्री ए० एम० थामस]

था, परन्तु मैं ने जब इस के सम्बन्ध में विस्तार-पूर्वक विचार किया और विधेयक का गहन अध्ययन किया तो मुझे यह सुझाव उचित नहीं प्रतीत हुआ । अतः मुझे इस बात का खेद है कि मैं श्री अशोक मेहता के इस सुझाव का समर्थन नहीं कर सकता । वैसे यह कहना तो बड़ा सुगम है कि समवाय विधि के सम्बन्ध में नीति विषय मुख्य मुख्य बातों का तो सरकार निर्णय करे और उन्हें कार्यान्वित करने का सारा उत्तरदायित्व एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी निकाय को दे दिया जाय । परन्तु इस कथन को वास्तव में कार्यरूप में परिणत करने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । समवाय विधि की व्यवस्था तथा प्रशासन का केन्द्रीय सरकार की अन्य योजनाओं से एक गहरा सम्बन्ध है ।

समवाय-विधि-विभाग को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विभिन्न विभागों के साथ मिल कर काम करना चाहिये । दोनों का आपस में गहरा सम्बन्ध है । अतः यदि आप ने इस के लिये कोई स्वतंत्र स्वायत्तशासी निकाय स्थापित किया और समवाय-विधि के प्रशासन के सारे अधिकार उस निकाय को सौंप दिये तो इस के परिणाम बड़े ही भयानक होंगे ।

वित्त मंत्री महोदय ने भी इस बात की ओर संकेत किया है कि इस विधेयक के ६४६ खण्डों में से ९४ खण्ड तो ऐसे हैं जोकि किसी न किसी रूप में सरकार से सम्बन्ध रखते हैं । अतः मेरा यह विश्वास है कि एक स्वायत्तशासी निकाय को स्थापित करना और उस को समस्त शक्तियां देना सम्भव नहीं है ।

श्री अशोक मेहता ने यह भय प्रकट किया है कि यदि स्वायत्तशासी निकाय की स्थापना न की गई तो राजनीतिक विचार धाराओं का इस पर प्रभाव पड़ता रहेगा और उस से कई प्रकार की उलझनें उत्पन्न हो जायेंगी । हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि अब हम विदेशी शासन के अधीन नहीं हैं । आज तो हमारा अपना राज्य है, यह एक लोक प्रिय सरकार है । अतः इस सरकार के हाथों में अधिकार देने में हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिये ।

सभा में स्वायत्तशासी निकाय स्थापित करन की पद्धति की कड़ी आलोचना की गई है और कहा गया है कि आज तक जितने भी स्वायत्तशासी निकाय स्थापित किये गये हैं, उन पर अब संसद् का कोई अधिकार नहीं है । अतः यदि हम ने इस कार्य को भी एक स्वायतशासी निकाय को सौंप दिया तो इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा । यदि आप यह कहते हैं कि यदि हम ने यह अधिकार सरकार को दे दिये तो इस से पक्षपात होने का भय है, तो मैं कहता हूं कि स्वायत्तशासी निकाय में तो पक्षपात होने का और भी अधिक भय है । अतः हमें यह अधिकार किसी स्वायत्तशासी निकाय को नहीं देने चाहियें ।

संयुक्त समिति ने इस प्रश्न पर गहन सोच विचार किया था और उस ने प्रतिवेदन के पृष्ठ २३ और २४ पर लिखा है कि एक स्वायत्तशासी निकाय को स्थापित करने की अपेक्षा एक मन्त्रणा-आयोग की स्थापना की जाय । समवाय विधि समिति ने इस के सम्बन्ध में दो विकल्प दिये हैं । प्रथम तो यह कि संयुक्त पूंजी समवायों——अर्थात बैंकों, बीमा समवायों आदि——से सम्बन्ध रखने वाला एक केन्द्रीय निकाय स्थापित किया जाय । द्वितीय यह कि एक केन्द्रीय संविहित निकाय की स्थापना की जाय जिस में स्थानीय पंजीयक प्रादेशिक कार्यालयों

के प्रभारी हों । वस्तुतः द्वितीय विकल्प ही यहां पर उपयुक्त होगा ।

पृष्ठ १८६ में व्यक्त किये गये विचार स्पष्टतया बताते हैं कि एक स्वायत्तशासी निकाय के हाथों में ये अधिकार सौंपना संभव नहीं है । इसीलिये समवाय विधि समिति ने एक केन्द्रीय निकाय की स्थापना पर इतना बल दिया है । समवाय विधि का प्रशासन करने वाले इस निकाय को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन अनेक विषयों से सम्बन्ध रखना होगा । अतः यह सारा कार्य सरकार के अधीन ही होना चाहिये और यह सरकारी कार्य संसद् के नियंत्रण में रहेगा। यदि हमने यह कार्य किसी स्वायत्तशासी निकाय को सौंप दिया तो हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। सरकार ने संयुक्त समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस से सम्बन्ध रखने वाले विभाग को शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करे, परन्तु इस के साथ ही साथ मैं उस विभाग को भी सचेत कर देना चाहता हूं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

विभिन्न कार्यों के सहयोजन के कारण तथा आर्थिक कृत्यों के केन्द्रीयकरण के कारण सभी अधिकार राजधानी अर्थात् दिल्ली में केन्द्रित हो गये हैं । इस से बड़े बड़े उद्योगों को तो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, परन्तु छोटे छोटे उद्योगपतियों को सम्बन्धित प्राधिकारियों से भेंट करने में ही कई मास लग जायेंगे । रिज़र्व बैंक के लिये बनाई गई श्रौफ समिति ने भी अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ १०० पर इस बात की ओर संकेत करते हुए सरकार को सचेत किया है । अतः हमें इस विभाग की स्थापना के सम्बन्ध में श्रौफ समिति की इस सिफारिश को सदैव ध्यान में रखना होगा । समवाय विधि समिति ने जिन विभिन्न प्राशासनिक सुधारों के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं, वे सभी सुधार वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत बनाये गये समवाय विधि प्रशासन विभाग द्वारा ही कार्यान्वित किये जा सकते हैं ।

इस के साथ ही साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि खण्ड ४०९ से ४१४ के अधीन बनाये जाने वाले मंत्रणा-आयोग का हम को पूरा पूरा लाभ उठाना है । मुझे विश्वास है कि यदि इस मंत्रणा आयोग का उचित उपयोग किया गया तो श्री अशोक मेहता जिन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं, वे सभी लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं । यह सब कुछ कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर निर्भर होगा । स्वायत्तशासी निकाय को प्रस्थापना बहुत सुन्दर है परन्तु तो भी सरकार को इस के प्रशासन का भार उठाना चाहिये । अतः एक स्वायत्त-निकाय की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं ।

अन्य उपबन्धों पर बोलने से पूर्व मैं अधिकृत लेखापाल अधिनियम के संशोधन से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्न पर संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं । ऐसा भय प्रकट किया गया है कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है और यदि इस संशोधन द्वारा कथित अधिकार दिये गये तो इस से देशी अधिकृत लेखापालों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि विदेशियों को इस व्यापार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रविष्ट होने दिया गया तो इस से उन के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । अतः माननीय मंत्री को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये ।

मैं एक और बात की ओर भी निदेश करना चाहता हूं । क्या यह संभव नहीं है कि कला, विज्ञान, धर्म, पूर्तदान आदि की उन्नति के लिये बनाये गये सीमित समवायों को इस के प्रवर्त्तन से मुक्त कर दिया जाय ? प्राचीन अधिनियम की धारा २८९क के

[श्री ए० एम० थामस]

अधीन राज्य सरकारों को ऐसे समवायों को समवाय विधि के प्रवर्त्तन से मुक्त कर देने का अधिकार प्राप्त था । मैं चाहता हूं कि इस बात पर अवश्य विचार किया जाय । इस के अतिरिक्त मैं सरकार का ध्यान राज्यों में पहले से ही चालू कुछ एक अधिनियमों की ओर दिलाना चाहता हूं जोकि बड़े ही हितकर सिद्ध हुए हैं । ऐसी संस्थाओं के पंजीयन के लिये समवाय विधि में विहित प्रक्रिया को निश्चित करना आवश्यक नहीं है । इस प्रकार की संस्थाओं के लिये पृथक् विधि होनी चाहिये । अतः सरकार इस की ओर भी अवश्य ध्यान दे ।

ऐसा कहा जाता है कि इस विधेयक के द्वारा निजी समवायों को प्राप्त कुछ सुविधाओं का अपहरण कर लिया गया है, अतः इस से निजी समवाय निरुत्साहित हो जायेंगे । वास्तव में यह बात है भी ठीक इस से निगमित उपक्रम के विकास में रुकावट पड़ेगी । ब्रिटेन में निजी समवायों की उन्नति का मुख्य कारण यह रहा है कि उन्हें हर प्रकार की सुविधायें प्रदान की गई हैं । अतः हमें छोटे पैमाने के समवायों और मध्यम पैमाने के समवायों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिये । यह बात ठीक है कि निजी समवायों में कई प्रकार की बुराइयां रहती हैं, परन्तु सरकार को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिये । अन्य समवायों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय । कराधान जांच आयोग के प्रतिवेदन में भी निजी समवायों के महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । अतः निजी समवायों को हर प्रकार का प्रोत्साहन किया जाना चाहिये ।

श्री अशोक मेहता का यह कथन भी है कि निदेशक बोड में श्रमिकों के प्रतिनिधि भी नियुक्त किए जाएं । कुछ दिन पूर्व सरकार ने स्वयं यह कहा था कि वह इस मामले पर गभीरतापूर्वक विचार कर रही है । इस का सम्बन्ध तो सरकारी नीति से है और वह इस पर विचार कर रही है ।

श्री त्रिपाठी ने धारा ४०७ की ओर संकेत किया है जिस के अनुसार अव्यवस्था और अन्याय के मामलों का निर्णय करने के लिये दो निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया गय है । वे दो निदेशक इस समवाय के ही सदस्य हो सकते हैं यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिये ।

यद्यपि इस नीति को कार्यान्वित करने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परन्तु औद्योगिक शान्ति की वृद्धि के लिये सब से अच्छा उपाय यही है कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी प्रबन्ध में हाथ बटाने का अवसर दिया जाय ।

अब, मैं प्रबन्ध अभिकरण के प्रश्न को लेता हूं । संयुक्त समिति ने सैक्रेटरियों और कोषाध्यक्षों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपबन्ध बनाये हैं, परन्तु वित्त मंत्री का यह कथन है कि इन विशेष उपबन्धों के बिना भी सचिवों और कोषाध्यक्षों को नियुक्त किया जा सकेगा । परन्तु मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं । बिना किसी सक्षम उपबन्ध को रखे हम सैक्रेटरियों और कोषाध्यक्षों को कदापि नियक्त नहीं कर सकते हैं । विधेयक में दी गई प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं और "सैक्रेटरियों और कोषाध्यक्षों" की परिभाषाओं में और निर्धारित किये गये कृत्यों में महान अन्तर है ।

सैक्रेटरियों और कोषाध्यक्षों के बारे में कोई विशेष सक्षम उपबन्ध नहीं था । सैक्रेटरियों और कोषाध्यक्षों की परिभाषा में "निदेशक बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुए" इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो प्रबन्ध अभि-

कर्ता की परिभाषा में नहीं है। किन्तु खण्ड ३६८ में, प्रबन्ध अभिकर्ताओं के बारे में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं समझता हूं सेक्रेटरियों और कोषाध्यक्षों के बारे में कोई सक्षम उपबन्ध रखना सर्वथा अनिवार्य है, क्योंकि इस बात की कड़ी आलोचना हो रही है कि इन सैक्रेटरियों और कोषाध्यक्षों की व्यवस्था करते हुए प्रोक्ष रुप से प्रबन्ध अभिकर्ताओं को ही लाया गया है।

संयुक्त समिति को विधेयक भेजे जाने से पूर्व मैं ने समवाय विधि समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए कहा था कि वर्तमान अर्थव्यवस्था में हमें प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त नहीं करना चाहिये बल्कि इस की बुराइयों और त्रुटियों को दूर कर के इस प्रणाली में सुधार करना चाहिये। इस समिति ने अनेक साक्षियों के मतों और विचारों तथा वस्तुस्थिति का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् इस प्रणाली को कायम रखने और इस में सुधार करने की आवश्यकता बताई है। हमें बम्बई अंशधारी संघ के मत को स्वीकार करना चाहिये, जिस ने इस प्रणाली में सुधार किये जाने की मांग की है।

हमें तीनों बातों पर विचार करना ह कि क्या इस प्रणाली को तुरन्त समाप्त कर दिया जाये, अथवा कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित कर दी जाये या इस में सुधार कर के इसे रहने दिया जाये, जिस की कि संयुक्त समिति ने सिफारिश की है। अन्य देशों में भी इस प्रकार का काम करने वाली कई संस्थायें हैं, परन्तु भारत में इस प्रणाली के अतिरिक्त और कोई ऐसी संस्था नहीं है। वास्तव में धन विनियोजन करने और उपक्रमों में धन लगाने वाली किसी सुविधा के न होने के कारण ही इस प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली का जन्म हुआ था। यद्यपि अब राज्य द्वारा चलाई गई औद्योगिक वित्त निगम आदि जैसा कुछ संस्थायें धन लगाने और ऋण देने का काम करती है परन्तु फिर भी औद्योगिक गृह निर्माण की सहायता के बिना समवाय स्थापित करने में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। समवायों का प्रबन्ध करने, उन को धन देने तथा अनेक ऐसे कामों के लिए अनुभवी संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है। यदि हम तुरन्त ही इस प्रणाली को समाप्त कर दें, तो व्यापार उद्योगों की प्रगति रुक जायेगी। इसी कारण इस प्रणाली से पूर्णतया असंतुष्ट होते हुए भी संयुक्त समिति ने इस को कायम रखन की सिफारिश की है। इसलिये हमें इस प्रतिवेदन पर ध्यान देना चाहिये और सरकार को आवश्यकतानुसार प्रबन्ध अभिकरणों को घटाने, बढ़ाने अथवा नये प्रबन्ध अभिकरण खोलने के विषय में स्वविवेक से काम करने का पर्याप्त अधिकार दिया जाना चाहिये। इस प्रणाली में जो बुराइयां हैं उन को दूर करने के लिये पर्याप्त उपाय और सुरक्षण रखे गये हैं, जिन का हमें परीक्षण करना चाहिये

प्रबन्ध अभिकर्ताओं, निदेशकों, प्रबन्धकों आदि के लाभ के प्रश्न के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने खण्ड १९७ और ३४७ में संशोधन करने की इच्छा प्रकट की है और कहा है कि कठिन मामलों में सरकार को ढील करने की शक्ति देने का उपबन्ध किया जाना चाहिये। समिति ने १० प्रतिशत लाभ की सिफारिश की है, मूल विधेयक में १२½ प्रतिशत की व्यवस्था थी। अतः पहले जो लाभ मिलता था, उस में कुछ कमी कर दी गई है।

श्री अशोक मेहता का विचार है कि जितना लाभ प्रबन्ध अभिकर्ताओं को अब मिलता है, उतने लाभ की ही संयुक्त समिति

[श्री ए० एम० थामस]

ने सिफारिश की है । वास्तव में उन का विचार ठीक नहीं है । करारोपण जांच आयोग के प्रतिवेदन से, जिस का श्री अशोक मेहता ने उल्लेख किया है, स्पष्ट प्रतीत होता है कि अब तक प्रबन्ध अभिकर्त्ता १२ प्रतिशत से १४ प्रतिशत, बल्कि इस से अधिक लाभ लेते रहे हैं । भारत का रक्षित बैंक के बुलेटिन के नवीनतम जुलाई अंक के पृष्ठ ७२७ पर "भारत में समवाय वित्त, १९५०-५२" शीर्षक लेख में कहा गया है कि इन वर्षों में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के लाभ में अत्यधिक वृद्धि हुई है और १४ प्रतिशत से लेकर २० प्रतिशत तथा इस से भी अधिक प्रतिशत लाभ उन्हों ने कमाया है । इसलिये इस कथन में कोई सार नहीं है कि संयुक्त समिति ने लाभ में उचित कमी नहीं की है । सरकार को कठिन मामलों में कुछ ढील करने की शक्तियां अवश्य दी जानी चाहियें, परन्तु इस अनुपात को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

सर्वश्री मोरारका और नथवानी ने अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने एवं अनुपाततः प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अपनाये जाने की सिफारिश की है । खण्ड २६४ में यह सिद्धान्त अपनाया गया है, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने का विषय समवाय के संस्थापकों की सद्भावना पर छोड़ दिया गया है । अनुपाततः प्रतिनिधित्व से समवाय में विरोधी दल के पैदा हो जाने से समवाय का काम सुचारु रूप से नहीं चल सकता है और हमें अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने के साथ साथ समवाय के सुचारु संचालन की ओर अधिक ध्यान देना होगा । अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से खण्ड ४०७ में एक उपबन्ध किया गया है कि यदि उन के हितों को कुचलने या कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो सरकार को निदेशक नियुक्त करने का अधिकार होगा । इस समय तो हमें इसी उपबन्ध से संतोष करना चाहिये । अमरीका में अल्पसंख्यकों को अनुपाततः प्रतिनिधित्व मिलता है, किन्तु इंगलिस्तान में ऐसा नहीं है । इसलिये हमें यहां २६४ के संचालन का तथा अन्य देशों में इसी प्रकार के उपबन्धों के संचालन का परीक्षण करना चाहिये ।

मैं अनुभव करता हूं कि अधिक परिवर्तन किये बिना हमें संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में इस विधेयक को पारित करना चाहिये ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : संयुक्त समिति ने इस विधेयक में बहुत सुधार किया है और उस के प्रायः सभी सदस्यों ने एकमत से इस की सिफारिश की है । इस में सभी विचारधाराओं का सामंजस्य करने का प्रयत्न किया गया है इसलिये यह विधेयक बहुत संतोषप्रद बन गया है । हमें इस का अनुमोदन करना चाहिये, और यदि बाद में किसी कठिनाई का अनुभव हो तो उन के अनुसार अधिनियम में संशोधन किया जा सकेगा ।

खण्ड २२५(ख) के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक में विदेशी अर्हताओं को अन्योन्यता के आधार पर मान्यता देने का विचार किया जा रहा है । हमें ऐसा करते समय इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि क्या विदेशों में हमारी अर्हताओं को मान्यता दी जाती है अथवा नहीं । यदि नहीं, तो हमें इस संस्था से अर्हताओं को मान्यता देने की शक्ति ले लेनी चाहिये ।

खण्ड २२५ के उपबन्धों में एक बहुत बड़ी त्रुटि यह है कि अधिकृत लेखापाल

संस्था अन्योन्यता के आधार के बिना ही विदेशी अर्हताओं को मान्यता देगी और केन्द्रीय सरकार अन्योन्यता के आधार पर। इस से बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। इसलिये खण्ड २२५ (१) (ख) को निकाल दिया जाना चाहिये, जिस में केन्द्रीय सरकार को अन्योन्यता के आधार पर विदेशी अर्हताओं को मान्यता देने का अधिकार देने का विचार किया जा रहा है।

खण्ड १९७, ३४७ और ३५२ के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि किसी कठिन मामले में उस कठिनाई को दूर करने के लिये विमुक्ति देने की शक्ति लेने का सरकार का विचार उत्तम है परन्तु इस अवसर पर संशोधन करने से विधेयक की उद्देश्यपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो जायेगी। इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद यदि कठिनाइयों का अनुभव किया जाये तब सरकार इन खंडों में संशोधन कर ले। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार को अभी संशोधन नहीं रखने चाहियें। यदि, बाद में किसी को कठिनाई होगी, तब इस में संशोधन किया जा सकेगा।

प्रबन्ध-अभिकरण प्रणाली के बारे में तीन मत हैं, एक तो यह कि इसे तुरन्त ही समाप्त कर दिया जाये, दूसरा यह कि किसी निश्चित तिथि पर इसे समाप्त किया जाये, और तीसरा मत इस प्रणाली के पक्ष में है। जब हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो यह कहा गया था कि जिस दिन से विधेयक लागू हो उसी दिन से संयुक्त हिन्दू परिवार को समाप्त कर दिया जाये। जिस प्रकार संयुक्त हिन्दू परिवार को किसी निश्चित तिथि पर समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रबन्ध-अभिकरण प्रणाली को भी किसी तिथि-विशेष पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रणाली हमारी अर्थ-व्यवस्था और आर्थिक सम्पन्नता के साथ इस प्रकार मिली जुली हुई है कि इसे तुरन्त अथवा किसी निश्चित तिथि तक समाप्त करने का विचार ही गलत है।

भाभा समिति ने इस प्रणाली को समाप्त करने के स्थान पर इसे सुधारने की उपयोगिता की सिफारिश की है। गैर-सरकारी क्षेत्र को उत्पादन कार्य में आगे लाने के लिये उस की अनिवार्यता का अनुभव किया जाता है। इसलिये इस की त्रुटियों और बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति ने इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए विधेयक में उचित संशोधन कर दिया है।

तीसरे अध्याय में प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली और प्रबन्ध अभिकर्ताओं की शक्तियों पर अनेक सीमायें और नियंत्रण लगाये गये हैं। खण्ड ३२३ में उपबन्ध किया गया है कि सरकार अधिसूचना में दी गई तिथि से उपधारा (२) के उपबन्धों को किसी भी समवाय पर लागू कर सकती है।

सरकार यह अधिसूचित करने की शक्ति लेने का उपबन्ध कर रही है कि अमुक उद्योग या व्यवसाय वाले समवायों में कोई प्रबन्ध अभिकर्ता नहीं होगा। संयुक्त समिति के कुछ सदस्यों ने अपने विमति टिपण्णी में इस का विरोध किया है और कहा है कि इस का देश की अर्थ-व्यवस्था पर मनोवैज्ञानिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा और उद्योगपतियों तथा व्यवसाय करने वालों में अनिश्चितता की भावना काम करती रहेगी, जिस के परिणामस्वरूप देश की अर्थ व्यवस्था के अव्यवस्थित हो जाने की भी संभावना है। परन्तु यह मिथ्या विचार है किस उद्योग के सम्बन्ध में अधिसूचना की जायेगी यह हमें ज्ञात नहीं है। विचार यह है कि बुराइयों को रोका जाये। जो लोग बेईमानी करेंगे, अथवा अंशधारियों के लाभांश को खाने का प्रयास करेंगे अथवा और किसी बुराई मे पड़ेंगे, उन को ही इस उपबन्ध से

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

डरने की आवश्यकता है । ठीक तरह से ईमानदारी के साथ रहने वाले लोगों को इस से डरने की किंचित आवश्यकता नहीं है । विधि केवल बेईमानों को दण्ड देगी । मुझे इस में कोई बुराई दिखाई नहीं देती है ।

इस प्रसंग में यह कहना, कि सरकार स्वेच्छाचारितापूर्वक किसी भी उद्योग या व्यवसाय को अधिसूचित कर देगी, और दबाव या प्रभाव में आ कर भी ऐसी कार्यवाही कर सकती है, गलत है । परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार दबाव में आ कर देश के हित को हानि पहुंचाने वाली कोई भी गलत कार्यवाही करने की मूर्खता नहीं करेगी । केवल उसी मामले में इस शक्ति का प्रयोग किया जायेगा, जहां इस का प्रयोग करना सर्वथा अनिवार्य एवं लोकहितकारी होगा ।

बम्बई अंशधारी संघ ने, जिस ने प्रबन्ध-अभिकरण प्रणाली की बुराइयों और त्रुटियों को प्रकट किया है, इस प्रणाली को नष्ट करने के लिये नहीं, अपितु इसे सुधारने की मांग की है, मैं समझता हूं कि हमें इस मांग पर विचार करना चाहिये । देश के औद्योगीकरण के लिये, जब कि धन लगान वाली संस्थाओं की देश में कमी है, इस प्रणाली को कायम रखना, किन्तु इस में अनिवार्य सुधार करना, अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । इसलिये मैं इसे कायम रखने और इस में सुधार किये जाने के पक्ष में हूं ।

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली की बराइयों पर बहुत अधिक ज़ोर दिया गया है । परन्तु ऐसे सार्थ भी हैं जिन्हों ने बड़ी ईमानदारी से अपना कारोबार किया है और कभी अपनी नीयत नहीं बिगाड़ी है । भले बुरे तो सभी जगह होते हैं, परन्तु चंकि बुरे अधिक हैं इसलिये यह विधान बनाया जा रहा है । इसलिये मुझे खंड ३२३ या अन्य खंडों में जिन को संशोधित किया गय है कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई देती है

संयुक्त समिति ने बहुत से निर्बन्धन रखे हैं, और अगर इतने पर भी प्रबन्ध अभिकर्त्ता अपनी पुरानी चालाकियां खेलते रहे तो १९५९ में हम उन की गतिविधियों का पुनरीक्षण करेंगे । मेरे विचार से प्रबन्ध अभिकरण व्यवस्था को समाप्त करने की अभी कोई जल्दी नहीं है । अध्याय ३ में रखे गये उपबन्धों का मैं समर्थन करता हूं ।

खंड २६४ और ४०७ के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शंका किये जाने का मैं कोई कारण नहीं देखता हूं । यह अनुज्ञेय है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की आलोचना केवल इसी आधार पर की गई है कि राजनैतिक अवस्थाओं पर लागू होने वाले सिद्धान्तों को औद्योगिक तथा व्यवसायिक उपक्रमों पर लागू नहीं किया जाना चाहिये । परन्तु मेरा ऐस विचार नहीं है अभी हम प्रयोग और परीक्षण कर रहे हैं । हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने वाली है । हम निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं । हम ने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के सिद्धा त को स्वीकार किया है और हम निजी क्षेत्र को समा त नहीं कर रहे हैं । यदि परीक्षण करने के बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व से उद्योग के विकास में रुकावट पड़ती मालूम होगी तो हम इस खड का संशोधन कर देंगे ।

खंड ४०७ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि सरकार प्रत्येक बात में तो हस्तक्षेप करेगी नहीं और जब कभी करेगी तो इस लिये करेगी ताकि अंशधारियों और जनता के वास्तविक हितों के साथ पूर्ण न्याय हो ।

अब मैं खंड ४०९ को लेता हूं । किसी केन्द्रीय प्राधिकार के रखे जाने के लिये

सभा समिति ने पांच कारण बताये हैं। पहला कारण यह बताया गया है कि विधि केवल तभी प्रभावी हो सकती है जबकि परिभाषायें ठीक प्रकार से दी गई हों। दूसरा कारण यह बताया गया है कि परिभाषायें तो सामान्य शब्दावलि में होती है, सीमान्त मामलों का निर्णय करने के लिये कोई उपयुक्त प्राधिकार होना चाहिये जिसे उपयुक्त मामलों में अधिनियम या विनियमों में कुछ छट देने का अधिकार प्राप्त हो। तीसरा कारण यह बताया गया है कि शोधन का नियंत्रण करने के लिए विधि एक पर्याप्त लचीला साधन नहीं होती है। चौथा कारण यह बताया गया है कि यदि विधि को कार्यान्वित करने के लिये कोई नियमित शासन तंत्र न हो तो उत्तम से उत्तम विधि भी प्रभावहीन हो जाती है। पांचवां कारण यह बताया गया है कि इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिये कि देश में वित्तीय ज्ञान का सर्वथा अभाव है और विनियोजकों तथा सामान्य जनता में चेतना की कमी है।

मेरे विचार से यद्यपि यह पांचों कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं परन्तु तो भी देश की वर्तमान अवस्था को देखते हुए इन से मेरा समाधान नहीं होता। मैं समझता हूं कि औद्योगिक विकास की वर्तमान अवस्था को देखते हुए मंत्रणा निकाय का सुझाव सब से उचित है। यथच्छाकारिता का सुझाव एक चरम सीमा का सुझाव है दूसरा चरम सीमा वाला सुझाव यह है कि हर वस्तु का नियंत्रण करने वाला एक केन्द्रीय प्राधिकार हो। दोनों की अपेक्षा मंत्रणा आयोग वाला यह मध्यवर्ती सुझाव मैं अच्छा समझता हूं। पांच वर्ष के पश्चात् १९५९ में प्रबन्ध अभिकरण के प्रश्न पर जब फिर से विचार किया जाय तो इस पर भी फिर से विचार किया जा सकता है। यदि इसे अपर्याप्त समझा गया तो हम विधि में संशोधन कर सकते हैं।

अन्त में मैं राजकीय समवायों सम्बन्धी खण्ड ६१४ के सम्बन्ध में कहूंगा। राजकीय समवाय तीन प्रकार के हैं: एक तो वह जिन में जितना भी पैसा लगा है वह सब का सब भारत सरकार का है, दूसरे वह जिन में अधिकांश पैसा भारत सरकार का लगा है और कुछ गैर सरकारी पैसा भी लगा है और तीसरे वे समवाय हैं जिन में सरकार का पैसा तो कम लगा है परन्तु सरकार का हित बहुत महत्वपूर्ण है, या जिन को सरकार ने ऋण दिये हैं या उन के सम्बन्ध में प्रतिभूति दी है और किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की है और कुछ गैर सरकारी समवायों के निदेशक बोर्डों में सरकार ने कुछ संचालक नामनिर्देशित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है।

ऐसे सरकारी समवायों पर संसद् के नियंत्रण के सम्बन्ध में कई बार चर्चा हुई है और यह सुझाव दिया गया है कि इस के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त कर दी जाये जो समय समय पर इन समवायों के कार्यकरण की जांच करती रहे। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में, जैसाकि श्री हर्बर्ट मॉरसन का विचार है, इन गैर-सरकारी निगमों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन सम्बन्धी कार्यों या इन की नीति में हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है।

मैं चाहता हूं कि खण्ड ६१३क में जो संशोधन मैं ने रखा है वह स्वीकार कर लिया जाय जिस से कि हमारे सामने न केवल लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वरन् इन समवायों के कार्यकरण प्रतिवेदन भी हमारे सामने प्रस्तुत किये जा सकें

गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेतीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा गैर-सरकारी

[श्री आल्तेकर]

सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेतीसवें प्रतिवेदन से, जो १० अगस्त, १९५५ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

मैं सभा से इस प्रतिवेदन को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तेतीसवें प्रतिवेदन से, जो १० अगस्त १९५५ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

वेतन आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब सभा श्री डी० सी० शर्मा के २९ जुलाई, १९५५ के संकल्प तथा उस के संशोधनों पर अग्रेतर विचार प्रारंभ करेगी ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : नई दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र की प्रतिनिधि होने के कारण, जहां कि सरकारी कर्मचारियों का सब से बड़ा समूह निवास करता है, मुझे ज्ञात है कि सरकारी कर्मचारियों की यह सब से बड़ी मांग है कि उन की वर्तमान वेतन रचना तथा सेवा की शर्तों की अनियमितताओं की जांच करने के लिये एक दूसरा वेतन आयोग नियुक्त किया जाये

वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में एक दूसरे वेतन आयोग की तत्काल नियुक्ति किये जाने के पर्याप्त और अकाट्य कारण हैं । पिछला वेतन आयोग १९४६ में नियुक्त किया गया था तथा उस में काम करने वाले सदस्यों के सामने स्वतंत्र भारत का आर्थिक स्वरूप भली प्रकार से स्पष्ट नहीं था । युद्ध तभी समाप्त हुआ था इसलिये आर्थिक स्थिति भी डांवाडोल थी । उस की जांच का क्षेत्र भी केवल केन्द्रीय सेवाओं तक ही सीमित था । यद्यपि सेवाओं का वैज्ञानिकन करने का प्रयत्न करना भी वेतन आयोग का एक कृत्य था, परन्तु उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने पर भी वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है । इसलिये केंद्रीय तथा राज्यों की, दोनों प्रकार की, सेवाओं के लिये एक संयुक्त वेतन आयोग को नियुक्त करना आवश्यक है ।

वेतन आयोग ने स्वयं कहा था कि सामाजिक न्याय की यह मांग थी कि बराबर बर बर काम के लिये बराबर बराबर वेतन होना चाहिये । परन्तु कुछ कारणों से वह विवश था इसलिये वह वह सिफारिशें नहीं कर पाया जिन को कि वह उचित समझता था, इसलिये केन्द्र और राज्यों के वेतनों में बहुत अधिक असमता अभी तक चली आती है । इसलिये इस सारे प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई न कोई निकाय होना ही चाहिये ।

इतना ही नहीं, वरन् दिल्ली में भी कुछ ऐसे दफ्तर हैं जो अधीनस्थ दफ्तर कहे जाते हैं और उन के कर्मचारियों के वेतन क्रम भिन्न हैं । तृतीय श्रेणी के क्लर्कों के वेतन क्रम पर पुनर्विचार किये जाने के लिये चलाये गये आन्दोलन के फलस्वरूप सरकार इस बात पर सहमत हुई कि इन को दो वेतन वृद्धियां दी जायें । परन्तु केवल केन्द्रीय सचिवालय में काम करने वालों को यह वेतन वृद्धियां मिलीं और अन्य अधीनस्थ दफ्तरों में काम करने वालों को यह वेतन वृद्धियां नहीं मिलीं । सभी दिल्ली में रहते हैं, एक ही प्रकार से खर्च करते हैं तथा एक ही प्रकार का काम करते हैं फिर भी कुछ

लोगों को वेतनवृद्धियां मिलीं कुछ को नहीं मिलीं ।

देश की आर्थिक स्थिति १९४६ से बहुत कुछ बदल गई है । सरकार के ही कथन के अनुसार दस वर्ष में राष्ट्रीय आय में ४० प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी । यदि ऐसा होता है तो राष्ट्र की समृद्धि में जनता को भी अनुपातिक भाग मिलना ही चाहिये । बल्कि मेरा तो सुझाव यह है कि वैसे भी दस पन्द्रह वर्ष बीत जाने पर सरकार को चाहिये कि आर्थिक परिस्थिति का पुनर्विलोकन करने और वेतन क्रमों में परिवर्तन के सुझाव देने के लिये वेतन आयोग नियुक्त किये जाया करें ।

पिछले वेतन आयोग ने जब सिफारिशें की थीं उस समय की आर्थिक दशा में और आज की दशा में एक सब से बड़ा अन्तर यह है कि आज आर्थिक स्थिति को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के स्थान पर स्थायित्व स्थापित करने वाली शक्तियां सर्वोपरि हैं । आज खाद्यान्नों के अभाव के स्थान पर उन के उत्पादन में लगभग २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और औद्योगिक उत्पादन में, जो कि पहले घट रहा था, ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है । पहले परिवहन बहुत से गतिरोध थे आज परिवहन की स्थिति बहुत कुछ सुधरी हुई है । पहले मुद्रा स्फीति का दबाव था । अब वह दबाव इतना कम हो गया है कि सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था बना रही है ।

सरकार कह सकती है कि यदि ऐसा हुआ है तो हमें इस का लाभ उठा कर खर्चे को कम करना चाहिये और विभिन्न विकास योजनाओं के लिये पैसा बचाना चाहिये । परन्तु मेरा कहना है कि बचत करने के और ढंग भी तो हैं जैसे सामाजिक सुरक्षा भुगतान, बीमा, भविष्य निधि और यदि और भी आवश्यकता हो तो अनिवार्य बचत । जिस देश ने अपना उद्देश्य ही समाजवादी ढंग का समाज बनाना घोषित कर रखा हो उस के लिये तो और भी आवश्यक है कि वह राष्ट्र की समृद्धि में जनता को भी भाग लेने दे । इसी कारण कराधान जांच आयोग ने भी सुझाव दिया है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन क्रमों में वेतनों का अन्तर १ और ३० के अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिये जब कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह अन्तर १ और १०० का है । अभी अभी प्रधान मंत्री रूस और यगोस्लाविया का दौरा कर के लौटे हैं और उन्हों ने स्वयं वहां की सेवा सम्बन्धी परिस्थितियों के सम्बन्ध में सार्वजनिक वक्तव्य दिये हैं । रूस में यह असमता १ और १२ की और यूगोस्लाविया में १ और ५ की है । इन सब बातों का भी जनता के दिमाग पर कुछ प्रभाव पड़ता है । वेतन आयोग के प्रतिवेदन को यदि हम देखें तो हम पायेंगे कि पदोन्नति के मार्ग में कम से कम २५ विराम स्थल हैं । न्यूनतम वेतन पाने वाला उच्चतम स्थान पर पहुंचने की कभी आशा ही नहीं कर सकता है ।

वेतन आयोग ने इस अनुमान पर काम किया था कि निर्वाह देशनांक बहुत कम हो जायेगा । परन्तु यह अनुमान गलत सिद्ध हुआ है । निम्न तथा मध्य वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को अधिक निर्वाह व्यय करना पड़ता है । औद्योगिक मज़दूरों की स्थिति अच्छी रही है क्योंकि उन के पास सामूहिक संपणन की शक्ति थी और उन्हों ने वेतन क्रम और निर्वाह देशनांक के बीच समायोजन करा लिया । परन्तु सरकारी कर्मचारियों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है ।

जहां तक निर्वाह देशनांक का सम्बन्ध है वेतन आयोग के यह शब्द हैं कि यदि युद्ध पूर्व के देशनांक को १०० माना जाये तो

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

मूल्यों का स्तर ऐसे स्थान पर जाकर स्थायी हो जायगा जिससे निर्वाह देशनांक १६० और १७५ के बीच रहे। उस ने यह भी कहा है कि यदि भविष्य में यह पता चले कि जिन अनुमानों तथा आशाओं पर हमारी सिफारिशें आधारित हैं वे न्यायोचित या ठीक नहीं निकली हैं तो उन के पुनर्विलोकन की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। घाटे की वित्त व्यवस्था के सहारे जो आयोजन किया जा रहा है उस के फलस्वरूप निर्वाह व्यय के बढ़ते चले जाने की प्रवृत्ति हो गई है। इसलिये मूल वेतन और महंगाई भत्ते का विभेद समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इस प्रश्न पर विचार करने के लिये भी एक नये वेतन आयोग की आवश्यकता है

तृतीय श्रेणी के क्लर्क वर्षों से अपने वेतन के सम्बन्ध में आन्दोलन कर रहे हैं और आज उन की दशा ऐसी निराशापूर्ण हो गई है कि उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का नोटिस दे दिया है। १९३१ में उन को ९० रुपये प्रति मास वेतन मिलता था। उस समय निर्वाह व्यय ५०० प्रतिशत कम था। उस के बाद आर्थिक मन्दी के कारण उनका वेतन घटा कर ६० रुपये कर दिया गया। उन के असन्तोष के कारण ही वेतन आयोग की नियुक्ति हुई थी। इस बात का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता है कि वेतन आयोग ने एक असिस्टेंट के वेतन के लिये तो यह सिफारिश की थी कि उस का वेतन १०० रुपये से बढ़ा कर १४० या १६० कर दिया जाय। शीघ्रलिपिक के लिये भी सिफारिश की कि उसे १२५ के स्थान १६० रुपये दिये जायें। चपरासी के लिए सिफारिश की कि उसे १४रु० स्थान पर ३० रुपये दिये जायें परन्तु जब तृतीय श्रेणी के क्लर्कों की बारी आई तो यह सफारिश की कि उन का वेतन घटा कर ५० रुपये के स्थान पर पर ५५ रुपये कर दिया जाये और उनकी वेतन वृद्धि ५ रुपये से घटाकर ३ रुपये कर दी जाये। एक छोटे परिवार का पारिवारिक आयव्ययक २०० और २५० रुपये के बीच रहता है। स्वयं गाडगिल समिति ने सिफारिश की थी कि शिक्षित कर्मचारियों को १०० रुपये से कम वेतन नहीं मिलना चाहिये। ऐसी स्थिति में आप अनुमान कर सकते हैं कि कल उन की क्या दशा होगी।

यही हाल रेलवे में काम करने वालों का है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को ३०–१/२–३५ रुपये अर्ध-कुशल कर्मचारियों को ३५–१/२–५० रुपय, और एक अन्य श्रेणी को ४०–१–६० रुपये मिलते हैं। जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है इतने अधिक दक्षता अवरोध हैं जिन को पार करना अफसरों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वे उन को पदोन्नतियां दें या न दें। सेवाओं की श्रेणियां भी अगणित हैं।

सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त प्राक्कलन समिति ने भी सिफारिश की है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में समता स्थापित करने के लिये एक और वेतन अयोग की नियुक्ति आवश्यक है क्योंकि ऐसा न होने से असन्तोष फैलता है। अतः सारे विषय पर विचार करने और इस सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्त बनाने के लिये एक और वेतन आयोग के स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

अपनी सिफारिशों से वेतन आयोग के सदस्य स्वयं भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हों ने कहा भी है कि आवश्यकता तो "निर्वाह वेतन' निर्धारित करने की है परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण हम को यह सिफारिश करनी पड़ी है कि 'दारिद्रय सीमा' से कुछ ही अधिक वेतन निर्धारित किया जाये।

समझा यह जाता है कि अब देश उन्नति के मार्ग पर है। अपने दृष्टिकोण में भी हम ने भारी परिवर्तन किये हैं, इसलिये इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि वेतनों की संरचना के समूचे प्रश्न पर विचार करन के लिये एक वेतन आयोग की नियुक्ति की जाये ।

श्री टी० बी० विट्ठला राव (खम्मम्) : यह संकल्प केवल सरकारी कर्मचारियों के ही सम्बन्ध में नहीं है वरन् समूचे श्रमिक वर्ग के सम्बन्ध में है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर क्या श्रम मंत्री की उपस्थिति आवश्यकयक नहीं है ? मैं देखता हूं कि यहां इस समय एक भी कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है ।

सभापति महोदय : यह माननीय सदस्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है कि कोई मंत्री विशेष ही उत्तर दे । यह सरकार का काम है। मैं चाहता तो यह हूं कि प्रत्येक मंत्री उपस्थित रहे परन्तु मैं सब मंत्रियों को यहां उपस्थित रहने पर विवश नहीं कर सकता हूं ।

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा—उत्तर पूर्व व जिला बदायूं) : मैं इस संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूं। यह समस्या बहुत पुरानी है । १९२१ में महात्मा गांधी न लार्ड रीडिंग को, जो उस समय वायसराय थे, अपने पत्र में लिखा था कि उन का वेतन २१,००० रुपये मासिक था जबकि एक गांव के चौकीदार का वेतन केवल एक रुपया था । दस वर्ष के पश्चात् कराची में कांग्रेसा का अधिवेशन हुआ । वहां भी इस समस्य पर विचार किया गया । हमारे मूल अधिकारों की घोषणा की गई और यह सिफारिश की गई कि देश के असैनिक विभागों का व्यय कम किया जाये और किसी को भी ५०० रुपये मासिक से अधिक वेतन न दिया जाये। १९३६ में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल बन तो मंत्रियों ने ५०० रुपये मासिक ही वेतन लिया। १९३९ में दूसरे महायुद्ध के छिड़ जाने पर कांग्रेस मंत्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिय। १९४६ में फिर निर्वाचन हुए । कांग्रेस की सरकारें फिर विभिन्न प्रान्तों में बनी । इतने समय में महंगाई बहुत अधिक बढ़ चुकी थी और ५०० रुपये में निर्वाह करना कठिन था इसलिये यह निश्चय किया गया कि सभी प्रान्तों में कांग्रेस के मंत्री १,५०० रुपये प्रति मास वेतन लें । सार्वजनिक कर्मचारियों के वेतन से वह वेतन भी कम था। इस से साबित होता है कि वे १,५०० रुपया प्रति मास वेतन ले कर सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते थे । संविधान में यह उपबन्ध है कि राष्ट्रपति को १०,००० रुपया प्रति मास वेतन मिलना चाहिये। हमें पता है कि राष्ट्रपति ने ५,००० रुपये लेने से स्वयं इन्कार कर दिया है और वह केवल ५,००० रुपये ही लेते हैं । १९५२ में पारित अधिनियम के अनुसार मंत्रियों ने २,२५० रुपये वेतन लेना स्वीकार किया था । इन सब बातों से प्रकट होता है कि इन लोगों को जो कांग्रेस के संकल्प से सहमत हैं, स्वतः अपने वेतन घटाने चाहियें । यह तो ठीक है किन्तु सार्वजनिक कर्मचारियों के वेतन उसी प्रकार हैं । अधिक से अधिक उन का वेतन ४,००० रुपया और कम से कम श्रणी के कर्मचारी का वेतन ५५ रुपये हैं । इस का अर्थ यह हुआ कि १ तथा ८२ का अनुपात है । १९४६ के वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि अधिक से अधिक तथा कम से कम वेतन में १ और २२ का अनुपात होना चाहिये । अधिकतम वेतन २,००० रुपये तथा निम्नतम वेतन ९० रुपये तक होना चाहिये । किन्तु अवस्था आज भी उसी प्रकार है ।

मैं इस बात का समर्थक हूं कि हमारे कर्मचारियों को युक्तियुक्त वेतन दिया जाना चाहिये । उन्हें इतना अवश्य मिलना चाहिये जिस से कि वे सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह

[श्री रघुवीर सहाय]

कर सकें और अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें आदि आदि । हो सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में कुछ वृद्धि हो गई हो—किन्तु अधिकतम तथा निम्नतम वेतनों में जो असमतायें हैं वे न्यायिक नहीं हैं।

यदि हम अपने देश के वेतन ढांचे की तुलना इंगलैण्ड से करें तो हम देखेंगे कि वहां यहां से बिल्कुल विपरीत स्थिति है अर्थात् बड़े अधिकारियों को इतना अधिक वेतन नहीं दिया जाता है और छोटे कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलता है । ग्लैडन की एक पुस्तक में लिखा है कि ऐसे बड़े बड़े अधिकारी, जिन पर राष्ट्र का कल्याण निर्भर करता है, कम वेतन लेते हैं और गैर-सरकारी संगठनों में उसी स्तर के अधिकारी अधिक वेतन लेते हैं । इसलिये यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में ईमानदारी से काम चले और भ्रष्टाचार कम हो, तो हमें अपने छोटे कर्मचारियों को अधिक वेतन देना चाहिये । ये सुविधायें इस तरीके से भी दी जा सकती हैं कि उन के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाये और सस्ती चिकित्सकीय सहायता भी दी जाय इत्यादि । दूसरे लोगों को भी किसी और रूप में ये सुविधायें दी जा सकती हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी कर्मचारियों के मध्य कोई अन्तर न रहे ।

कल ही मैं ने पत्रों में पढ़ा है कि यहां दिल्ली के तृतीय श्रणी के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिये यह निर्णय किया है कि वे दफ्तरों में बनियान पहन कर आयेंगे और जब तक ये असमता रहेगी तब तक बराबर आते रहेंगे । मैं समझता हूं कि अब सरकार को स्थिति की गंभीरता का अनुभव करना चाहिये तथा एक वेतन आयोग की नियुक्ति करनी चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं, इस संकल्प का समर्थन करता हूं

सभापति महोदय : श्री एन० बी० चौधरी ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : मैं कुछ समय बाद बोलना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : बाद में बोलने का कोई प्रश्न नहीं है । अब तीन बजकर तीन मिनट हुए हैं और ३-५९ पर श्री एम० सी० शाह बोलेंगे—कम से कम १५ मिनट संकल्प के प्रस्तावक महोदय भी लेंगे । यदि माननीय सदस्य अब बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ।

श्री अच्युतन (क्रेंगनूर) : भाष देने वाले सदस्यों के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की जाये ।

सभापति महोदय : अब ५९ मिनट शेष हैं और साधारणतया १० मिनट की समय-सीमा निर्धारित ही है । इसलिये मैं उसे कम नहीं करना चाहता—माननीय सदस्यों को भी चाहिये कि वे स्वयं संयम से काम लें ।

श्री एन० बी० चौधरी : श्रीमान्, मुझ से पहले वक्ता न इस संकल्प का महत्व तो बता ही दिया है । १९४६ में जो वेतन आयोग नियुक्त किया गया था उस ने जिन परिस्थितियों में काम किया था वह परिस्थितिय अब बदल गई हैं ।

जहां तक अधिकतम तथा निम्नतम वेतन में असमता होने का प्रश्न है, उस के बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि १९४६ के वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अधिकतम वेतन २,००० रुपये रखा जाये । उस ने श्री गाडगील तथा श्री सन्थानम के अभ्यावेदनों की ओर भी संकेत किया है । श्री के० सन्थानम ने २०० रुपये निम्नतम वेतन रखे जाने की सिफारिश की थी और श्री गाडगील ने लिखा था कि निम्नतम

वेतन स्तर १००–३०० रुपये हो और उच्च स्तर के अधिकारियों के वेतन २०० से ६०० रुपये तक हों। उन्हों ने कहा था कि वर्तमान वेतन स्तरों को समाजवादी नहीं कहा जा सकता। हम ने दिल्ली के तृतीय श्रेणी के क्लर्कों के आन्दोलन के बारे में सुना—यह आन्दोलन सारे देश में हो रहा है। ये लोग निर्वाह वेतन दिये जाने की मांग कर रहे हैं। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि केवल आवश्यकताओं को पूरा करने का ही प्रश्न है।

इस के बाद आयोग ने जीवन निर्वाह दिशनांक के सम्बन्ध में उल्लेख किया—जीवन निर्वाह सम्बन्धी व्यय तो उतना ही है परन्तु वेतन नहीं बढ़े हैं। इस संकल्प के प्रस्तुत किये जाने के तुरन्त बाद ही डाक, तार, रेलवे तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों तनेये संकल्प पारित किये हैं कि एक वेतन आयोग की नियुक्ति शीघ्रातिशीघ्र की जाये।

संविधान के अनुच्छेद ३९ के अनुसार भारत के नागरिकों को जीवन-निर्वाह के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहियें। निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बहुत ही अपर्याप्त है। इस के बाद यह भी एक सिद्धान्त है कि बराबर काम के बराबर पैसे मिलें—किन्तु राज्यों में केन्द्र से भी कम वेतन उसी काम के लिये दिया जाता है। इसलिये इन असमानताओं को दूर करने के लिये हमें कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी। माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि योग्य व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिये हमें अच्छा वेतन देना पड़ेगा। उन्हों न यह बात राज्य बैंक के प्रधान की नियुक्ति के सम्बन्ध में कही थी। किन्तु वेतन आयोग ने ठीक इस के उलट बात कही है। उस न कहा है कि अधिक वेतन दे कर भी योग्य व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं। ऐसे आदमी से क्या लाभ हो सकता है जोकि दूसरों का ध्यान न रख कर स्वयं अधिक वेतन लेना चाहता हो। माननीय मंत्रियों के भाषणों से पता चलता है कि माननीय मंत्रीगण इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिये कि एक वेतन आयोग की नियुक्ति इसलिये अवश्य ही की जाये ताकि इस समय की वेतन की असमनताओं का अध्ययन किया जाये।

मैं अपने संशोधन द्वारा केवल नये वेतन आयोग की नियुक्ति पर ही जोर नहीं देता हूं बल्कि यह भी कहना चाहता हूं कि उसे यह हिदायत की जाये कि कम से कम वेतन १०० रुपया और अधिकतम वेतन १,००० रुपया रखा जाये। १०० रुपया निम्नतम वेतन है—इस में बड़ी कठिनाई से निर्वाह हो सकता है। १,००० रुपये का अधिकतम वेतन भी ठीक है क्योंकि कराधान जांच समिति ने यह सिफारिश की है कि १,००० रुपये से अधिक मासिक आय नहीं होनी चाहिये। हमें राष्ट्रीय निर्माण के प्रश्न को दृष्टि में रखते हुए भी अधिकतम वेतन, १,००० रुपये ही रखना चाहिये। जो लोग हजारों रुपया ले रहे हैं, उन्हें अब अपने वेतन घटाने पर राजी होना चाहिये और इन सब अनुदेशों के साथ एक नये वेतन आयोग की नियुक्ति की जाये।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालन्धर): मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्त श्री डी० सी० शर्मा ने जो प्रस्ताव इस संसद् के सामने रक्खा है, वह प्रस्ताव बिल्कुल समयानुकूल है और उस की बहुत अधिक आवश्यकता थी। मैं समझता हूं कि वह लोग जो आज लो पेड हैं, बावजूद उन आशाओं के कि हम एक नया समाज समाजवाद के सिद्धान्तों पर बना रहे हैं, लेकिन वह देखते हैं कि उन की सैलरीज़, उन की उजरतें बहुत कम हैं। उन को बहुत आशा हुई है इस प्रस्ताव को सुन कर और उस के समाचार को जान

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

कर । मुझ से कई लो पेडे सवट्स ने पूछा कि क्या पार्लियामेंट इस प्रस्ताव को पास करेगी ? मैं आशा करता हूं कि हम लोग इस प्रस्ताव को पास करेंगे और गवर्नमेंट इस प्रस्ताव को स्वीकार कर के उन की आशाओं को पूरा करेगी ।

पे कमीशन जिस समय बनाया गया था उस समय हालात बिल्कूल दूसरे थे और उन्होंने खुद इस बात को तसलीम किया है कि उन्हों ने जो सिफारिशें उस जमाने में की थीं, जोकि एक बिलकुल दूसरा जमाना था और बिलकुल दूसरे किस्म के हालात थे, उन के सामने एक दूसरी तरह के स्टेंडर्ड्स थे । आज स्टेंडर्ड्स हमारे बदल गये हैं, हमारे आदर्श बदल गये हैं और जो लोग देश में थोड़ी तनख्वाह पाने वाले हैं, उनकी आवश्यकताये और उनके आदर्श बदल गये हैं । हम जो सब से लोएस्ट ग्रेड है, ५५-१३० का, इस ग्रेड के एम्पलाइज के फैमिली बजट को देखें कि आखिर इतनी कम तनख्वाह में वह केसे अपना गुजारा कर सकते हैं । उस तनख्वाह के भीतर उन के लिये बिलकुल कोई आशा नहीं, कोई उनके सामने रास्ता नहीं जिससे कि वह उसक अन्दर गुजारा कर सके । आप उनक घरलू बजट उठा कर देखें, हमेशा उन के अन्दर घाटा ही घाटा दिखलाई देगा । कई दफेह तो मैं हैरान होता हूं कि आखिर वह किस तरह से इस तनख्वाह के अन्दर अपना गजारा करते हैं । जिस समय हम उन का डेपुटेशन ले कर अधिकारियों के पास जाते हैं और उन के ग्रेड्स की तबदीली की मांग करते हैं तो जवाब मिलता है कि देश के पास पैसा नहीं है, स्टेट क पास पैसा नहीं है । हमें बहुत से काम करने हैं और तरक्की के कामों के लिये पैसे की जरूरत है । मैं ने देखा है कि लो पेड सर्वेंट्स इस बात के लिये तैयार हैं कि देश के फायदे के लिये अगर सारा देश कुर्बानी करे और सारा देश त्याग से काम करे तो वह इससे भी कम तनख्वाह ले कर भूखे रह कर भी काम करने को तैयार हैं, लेकिन जब वह यह देखते हैं कि बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले तो अपना एक पैसा भी कम करना नहीं चाहते, तो वह भी उतनी तनख्वाह का मतालवा करते हैं जिस में वे अपनी गुजर बसर कर सकें ।

पिछले दिनों पंजाब में और शायद सेंटर में यह सवाल उठा कि जो लोग ७५० से ऊपर तनख्वाह लेते हैं उन का महंगाई भता कम कर दिया जाय तो हम ने देखा कि किसी तरह उस प्रपोजल का विरोध हुआ और नतीजा यह हुआ कि वह प्रस्ताव किसी भी प्रान्त में पास नहीं हो सका । उन लोगों ने जो ७५० रुपये से ऊपर तनख्वाह लेते थे, उन्होंने इस बात का जबर्दस्त विरोध किया और कहा कि उन के मंहगाई भत्ते के अन्दर कमी न की जाये और उसका नतीजा हय हुआ कि हम बिलकुल चुप हो रहे और शान्त हो रहे लेकिन जिस समय लो पेड सर्वेन्ट्स की पे में २ रुपये की बढ़होत्री का भी सवाल पेश आता है, या वह मांग करते हैं कि अगर तन्ख्वाह नहीं बढाई जा सकती तो हमें लोकल एलाउंस के ही तौर पर कुछ दे दीजिये, कोई ऐसी चीज चाहते हैं जिस से कि एक या दो रुपये की तरक्की हो जाये या तो कोई उन को सुविधा ज्यादा मिल जाय, उस वक्त जितना हमारा बजट का नक्शा है वह सामने आ जाता है और हम उनके सामने सारा नक्शा खोल कर रख देते हैं कि आप ही बतलाइये, हमारे देश में पैसा कहां पर है । दरअसल यह विषमता जो हम ने कर रखी है, वह पहले पे कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर नहीं है बल्कि वह हमारे दिमागों से निकली है । हम लोग नये आदर्शों

को, समाजवाद के आदर्शों को ऊपर ऊपर से स्वीकार तो करते हैं लेकिन हमारे दिमागों के अन्दर वह विषमता भरी पड़ी है और वह विषमता हमारे दिमागों से निकली नहीं है । मैं आशा करता था कि यह प्रस्ताव जोकि मेरे दोस्त श्री डी० सी० शर्मा ने पेश किया है, यह दरअस्ल हमारी सरकार की तरफ से आनी चाहिए थी और मैं अब भी आशा करता हूं कि इसको हमारी सरकार की तरफ से मान लिया जायगा। इस बारे में मेरे दिल में एक गिल्टी कांशेसनेस है । मैं अपने दिल में गिल्टी कांशेसनेस अनुभव करता हूं और जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा कि दरअस्ल हमारे आदर्श कुछ और थे और हम यह चाहते थे कि देश के सामने यह नमूना रखें कि देश में पैसा कम है, देश गरीब है, गरीब से गरीब जनता के पास जाकर हम कह सकें कि तुम्हारी हम सेवा करेंगे, तुमसे कम खायेंगे और तुम से कम कपड़ा पहनेंगे, तम्हारी हम हर प्रकार से सेवा करेंगे, लेकिन सेवा इस तरह से नहीं होती अगर हम उनसे ज्यादा शान में रहते हैं, हम तो शाननगर और माननगर में रहें और सेवा नगर में चपरासी और मजदूर रहें और फिर उनको जाकर यह कहें कि तुम अपने गुजारे लायक और पैसा नहीं मांगे और देश के लिए मुफ्त काम करो, ऐसा कहना उनको शोभा नहीं देता है । देश के लिए सब को मशक्कत करनी चाहिए और मैं चाहता हूं कि सब लोग काम करें और मैं चाहता हूं कि हमारे मजदूर लोग ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी करें, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब सब लोग ऐसा करें और वह बड़े लोग जो बड़े अफसर हैं और जो सरकार और देश का काम चलाते हैं वह भी कुर्बानी करें और नीचे वालों के लिए आदर्श उपस्थित करें और यह कहें कि जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां देश की सेवा खातिर हम अपना खून बहायेंगे। लेकिन अगर वह स्पिरिट नहीं है, तो आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि उन लोगों के अन्दर जो पहले से काम करते हैं, पहले से आधे पेट खाना खा कर, बच्चों को भूखा रख कर, बच्चों की दवा दारू की परवाह न करके किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं, वह देश के लिए कुर्बानी करेंगे । हम देखते हैं कि आज आप देश के अन्दर योजना अर्थात प्लैनिंग की भावना पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वह किस तरह से हो ? आज हम देखते हैं कि दूसरे देशों के अन्दर लोग खुद ही पागल रहते हैं, जोश से भरे रहते हैं, कि देशकी प्रगति करनी है। वह स्पिरिट हमारे देश में पैदा नहीं हो सकती है, जब तक हम काम करने वालों के अन्दर यह भावना न पैदा करें कि हमारे यहां कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, जो अच्छी पोजीशन में हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं, उनको देश की उतनी ही ज्यादा सेवा करनी है, जो कम पैसे लेते हैं वह उसी हिसाब से कम काम करेंगे । जब तब आप कुछ आदर्श अपने सामने नहीं रखेंगे तब तक जो मेन्टैलिटी आप पैदा करना चाहते हैं वह नहीं पैदा हो सकती है । आज सोसायटी के अन्दर जो ज्यादा हैसियत वाले हैं, ज्यादा पैसे पाते हैं उन की भावना को हमें तब्दील करना होगा । जब तक हम उन की भावना को तब्दील नहीं करेंगे तब तक हमारे देश के अन्दर समाजवादी वृत्ति नहीं आयेगी । आज हमारी सरकार या हम कितनी ही समाजवाद की बातें कहें, जब तक हम उस के लिये सक्रिय कदम नहीं उठायेंगे तब तक हमारा देश इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकेगा ।

मैं समझता हूं कि सरकार आज इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करेगी और इस को स्वीकार कर लेगी । इस के अन्दर सिर्फ यह

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

कहा गया है कि एक कमिशन मुकर्रर किया जाय। यह नहीं कहा गया कि इतनी तनख्वाह किसी की कर दें या डिस्पैरिटी का इतना स्केल बना दें कि वह १:१०० या १:५० या १:१० से ज्यादा न हो। इस के अन्दर कोई ऐसी बात कह कर सरकार के हाथ नहीं बांधे गये हैं। इस के अन्दर तो सिर्फ यह कहा गया है कि सरकार एक कमिशन मुकर्रर कर दे, वह तमाम बातों को देखे और सारी मौजूदा अवस्थाओं पर विचार करने के बाद, जो दरिद्र लोग हैं और जो जनता की और सारे देश की सेवा करने वाले लोग हैं, उन की अवस्थाओं पर विचार करने के बाद, वह अपने सुझाव दे। आप को इस प्रस्ताव ने कहीं पर बांधा नहीं है। यह तो एक बिल्कुल मुख्तसर सी चीज़ रखता है। अगर हम इस को भी स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह देश के अन्दर एक बहुत बड़ी निराशा पैदा करेगा, विशेष कर उन लोगों के अन्दर जिन की सेवा के बल पर हम अपने देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं। जैसा मैं ने कहा, जो लोग मजदूरों के अन्दर काम करते हैं, उन से मिलते जुलते हैं, वह उन के अन्दर एक नई भावना पैदा करना चाहते ह, लेकिन उन के अन्दर सरकार की उदासीनता से एक रुकावट पैदा हो जाती है। उन व्यक्तियों की भावनायें मजदूरों के दिलों को प्रोत्साहित करते करते जैसे सहसा रुक जाती हैं।

हमारे पास इस का कोई जवाब नहीं होता जब वह पूछते हैं कि आप ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें देश की सेवा करनी है, हम कुर्बानी करन के लिये तैयार है, हम नंगे और भूखे रह कर काम करेंगे, लेकिन आप यह बताइये कि जो आप के बड़े बड़े दफ्तरों के बड़े बड़े आदमी हैं, बड़ी बड़ी ऊंची कोठियों में रहते हैं, क्या वह देश के लिये जरा भी कुर्बानी नहीं कर सकते ? वह आखिर आगे क्यों नहीं आते ? मैं चाहता हूं कि जब हम लोग महात्मा गांधी की भावनाओं और आदर्शों को ले कर आगे चले हैं तो हम उन को अमली तौर पर भी चलायें, क्रियात्मक रूप में उन का परिचय दें, तभी हम देश को इन उसूलों पर चला सकेंगे। अगर हम उन का परिचय व्यवहारिक रूप से नहीं देंगे तो देश इन उसूलों पर नहीं चल सकेगा।

यह कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मैं कल अपना सशोधन प्रस्तुत कर ही चुका हूं।

इस सम्बन्ध में सभा में बहुत से तथ्य प्रस्तुत किये जा चुके हैं इसलिये मैं अधिक बातें नहीं कहूंगा बल्कि मैं तो यहीं तक सीमित रहूंगा कि समस्या का हल किस प्रकार किया जाय। हमारे प्रधान मंत्री सदैव कहते है कि बड़े बड़े प्रश्नों को बड़े तरीकों से हल किया जाये—किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटे प्रश्नों को भी बड़े तरीकों से और खुले दिल से हल किया जाये क्योंकि व भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी सम्बन्ध में केन्द्रीय वेतन आयोग ने कहा है कि आने वाले परिवर्तनों के विचार से सेवाओं में यह धारणा हो गई है कि उन का वेतन बढ़ाया जाये और इसी दृष्टिकोण से उस बात पर विचार भी किया जाना चाहिये।

यह दृष्टिकोण १९४६ में आयोग ने रखा था। उस के बाद के दस वर्षों की अवधि म बड़े बड़े परिवर्तन हो चुके हैं और बार बार समाज के समाजवादी ढंग पर बनाये जाने की चर्चा भी हो रही है—यद्यपि इस समाजवादी प्रणाली की वास्तविकता हमें ज्ञात ही है। मुझे आशा है कि सरकार इस देश के वेतन के ढांचे के परीक्षण के लिये

गंभीरतापूर्वक कार्यवाही करेगी। पहली संसद् म मैं ने गवर्नर जनरल के वेतन के बारे में प्रश्न उठाया था किन्तु प्रधान मंत्री ने कहा था कि राज्य की गारिमा इस बात की आज्ञा नहीं देती कि गवर्नर जनरल का वेतन कम किया जाये। इस के बाद वेतन कम किया भी गया। मैं नहीं जानता कि क्या सरकार का रवैय्या अब भी वैसा ही है अथवा कुछ बदल गया है। आज तक भी वह राज्य की गरिमा के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। मेरे संशोधन का प्रयोजन यह है कि निम्नतम वेतन अवश्य ही निर्धारित किया जाये। जहां एक सचिव को ३ हजार से ४ हजार रुपये तक वेतन मिलता है, वहां पर एक शिक्षित क्लर्क ५५ रुपये प्रति मास लेता है और सेवा से निवृत्त होने तक १३० रुपये उसे मिलते हैं। वार्षिक वेतन-वृद्धि केवल तीन रुपये है जो इतनी कम है कि कलकत्ता बम्बई आदि नगरों में चाय देने वाले नौकर एक दिन में इस से कहीं ज्यादा पालते हैं।

मैं ने पिछली बार १९५० में यह प्रश्न संसद् में उठाया था जबकि रेलवे आयव्ययक पर चर्चा हो रही थी। श्री सन्थानम् ने उस समय इसे असंभव बताया था। मैं ने कहा था कि कम से कम सरकार इस नीति के सम्बन्ध में घोषणा तो कर दे और इसे चाहे बाद में ही क्रियान्वित करे—किन्तु सरकार ने ऐसा करने से भी इन्कार कर दिया था। मैं अब दोबारा यह मांग करता हूं कि निम्नतम वेतन १०० रुपये निर्धारित कर दिया जाये—मैं यह नहीं कहता कि अभी से इसे आरंभ कर दिया जाये, किन्तु कोई आश्वासनप्रद घोषणा तो की जानी चाहिये।

श्री जगजीवन राम ने पुरानी संसद् में निम्नतम मजूरी के बारे में एक विधेयक रखा था—किन्तु इसे सभी उद्योगों पर लागू नहीं किया गया—इस में भी देर की जा रही है—यह बड़ ही खेद तथा दुख की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के आठ वर्ष बाद तक भी यही स्थिति रहे और सरकार इस ओर ध्यान तक न दे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): सरकार ने कोई कार्यवाही न करने का निर्णय कर लिया है।

श्री कामत : इसलिये जब वह समाजवादी ढाँचे का नाम लेती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब झूठ बात है।

कल ही श्री कानूनगो ने कतिपय ऐसे विशेषज्ञों के दिये जा रहे पारिश्रमिकों के आंकड़े सभापटल पर रखे थे जिन्हें भारत सरकार यहां पर विदेशों से रंग चित्र आदि की दुकानें स्थापित करने के लिये बुलाती है। हमारे देश में ही कलाकारों की कोई कमी नहीं है। सरकार तीन तीन हजार रुपया प्रति मास इन लोगों को दे रही है और इस प्रकार देश का रुपया लुटाया जा रहा है। उन का खाना पीना सब कुछ मिला कर यह रकम ७/८ हजार रुपये तक बैठ जायेगी। इसलिये ऐसी तमाम बातें अब बन्द होनी चाहियें।

आज मैं ने एक सूचना समाचार पत्रों में पढ़ी है कि सरकार एक मजूरी आयोग नियुक्त करने जा रही है जो यह देखगा कि क्या वर्तमान मजूरी का ढांचा समाजवादी ढाँचे के अनरूप है अथवा नहीं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर प्रकाश डालें कि क्या यह सच है अथवा नहीं।

वास्तव में निम्न मजूरी को अर्थशास्त्री महंगी मजूरी कहते हैं क्योंकि अन्त में यह महंगी पड़ती है। ज्यादातर काम में खराबी तथा अपटुता इसी कारण से होती है। आप सोचें कि एक क्लर्क ५५ रुपये ले कर ५ या ६ बच्चों के साथ किस प्रकार निर्वाह कर सकता है। उधर बड़े बड़े लोग हैं, कुछ बैंकों के संचालक हैं जोकि १५ से ले कर २०

[श्री कामत]

हजार तक का वेतन प्राप्त करते हैं । इस-लिये अब समय आ गया है कि निम्नतम वेतन १०० रुपये निर्धारित कर दिया जाये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं और श्री एन० बी० चौधरी के संशोधन का समर्थन करता हूं । इस का समर्थन डाक व तार विभाग के कर्मचारियों ने भी किया है । मेरी इच्छा है कि सरकार इसे स्वीकार कर ले ।

इस संकल्प द्वारा किसी अप्राप्य वस्तु की मांग नहीं की जा रही है---बल्कि एक ऐसी मांग की जा रही है जोकि यक्तियुक्त है । पहले वेतन आयोग के बाद से बहुत से परिवर्तन हो चके है और परिस्थितियों में एक महान अन्तर पड़ चुका है । उस वेतन आयोग ने यह समझा था कि कीमतें स्थिर रहेंगी किन्तु ऐसा नहीं हुआ ह । जिन अनु-मानों पर उस आयोग ने अपनी सिफारिशें आधारित की थीं जब उन्हीं में परिवर्तन हो गया तो आवश्यक है कि उन सब बातों का पुनरीक्षण किया जा ा चाहिये ।

साथ ही मैं द्वितीय योजना के प्रारूप की ओर भी निर्देश करना चाहता हूं । इस का सरकार ने अनुमोदन किया है । इस के पृष्ठ १० पर लिखा है कि अब जबकि समाज-वादी ढांचे का लक्ष्य स्पष्टतया स्वीकार किया जा चुका है तब द्वितीय योजना अवधि में इस दिशा में वास्तविक कार्यवाही करनी होगी ।

"कार्यवाही करनी होगी" ये शब्द उसमें प्रयुक्त किये गये हैं । मैं सरकार से इन विशेष शब्दों की व्याख्या चाहता हूं । इस संकल्प के द्वारा हम यह सुझाव दे रहे हैं कि एक वेतन-आयोग की स्थापना की जाय जोकि वेतन के सम्बन्ध में अधिकतम और निम्नतम सीमाओं को निर्धारित करे ।

वेतन आयोग ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ २७ में लिखा है कि सरकार से नियुक्तियों के समय वेतन के सम्बन्ध में किसी नैतिक सिद्धान्त के अपनाने की आशा है परन्तु हम देखते हैं कि आज सरकार किसी भी नैतिक सिद्धान्त को नहीं अपना रही है ।

इस प्रकार से उस वेतन आयोग की सिफारिशों में अनेक प्रकार की त्रुटियां थीं । इसीलिये मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि एक नया वेतन-आयोग स्थापित किया जाय जिस में कि श्रमिकों के सच्चे प्रतिनिधि सम्मिलित किये जायें । पिछले वेतन-आयोग में श्रमिकों के सच्चे प्रतिनिधि नहीं थे, और फिर उस समय तो असैनिक विमान-चालन विभाग का जन्म ही नहीं हुआ था और आज उस का चारों ओर विस्तार हो चुका है । क्योंकि उस समय सरकार के कुछ अभि-करणों पर विचार ही नहीं किया गया था इसीलिये आज एक नवीन वेतन-आयोग की स्थापना की आवश्यकता है ।

हम जानते हैं कि उस वेतन-आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार ने किस प्रकार से अप्रभावित करने का प्रयत्न किया है । सरकार ने बहुत कुछ ऐसा कार्य भी किया है जो वेतन-आयोग की सिफारिशों के विरोध में है । कर्मचारियों को आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन नहीं दिये गये हैं । इस के अतिरिक्त आयोग ने जिन सुविधाओं के दिये जाने की सिफारिश की थी, वे सुविधायें भी नहीं दी गई हैं । अत: आज सरकार के लिये यह अत्यावश्यक है कि वह इस का अनुभव करे और स्थिति को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही करे । कराधान जांच आयोग ने भी अपने प्रति-वेदन में इस बात पर बल दिया है कि आज देश में इस बात की आवश्यकता है कि सभी को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समान अवसर प्रदान किया जायें ।

१९५५-५६ के आय-व्ययक विवरण से ज्ञात होता है कि पदाधिकारियों के वेतन और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन में कितना अधिक अन्तर है । उदाहरणार्थ, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में एक सचिव के लिये तो ४८,००० रुपयों का और अन्य १३४ अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये ५७,३०० रुपये का उप न्ध किया गया है । अन्य मंत्रालयों की भी यही दशा है । इस प्रकार से वेतनों में इतना भारी अन्तर रखा हुआ है । कराधान जांच आयोग यह चाहता है कि साधारण अंधीनस्थ कर्मचारियों से ही कर के रूप में अधिक धन प्राप्त हो । इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि सरकार यह चाहती है कि लोग देश और समाज के नव-निर्माण के लिये त्यागवृत्ति दिखाये तो यह त्याग भी न्याय बुद्धि पर ही आधारित होना चाहिये ।

अब मैं इस बात की ओर निर्देश करना चाहता हूं कि किस प्रकार विदेशी विशेषज्ञों को इतने अधिक वेतन दिये जा रहे हैं । दामोदर घाटी निगम के एक अमरीकन मुख्य इंजीनियर को वार्षिक वेतन २०,००० अमरीकन डॉलरों के अतिरिक्त निःशुल्क सुसज्जित निवास भवन, एक मोटर कार, ड्राइवर और न जाने क्या क्या मिला हुआ है । अतः आज आवश्यकता है कि वेतनों की इस भारी असमता को शीघ्रातिशीघ्र दूर कर के देश में एक सुन्दर अर्थ व्यवस्था का निर्माण किया जाय । हमारा यह संकल्प वेतन-आयोग तथा कराधान जांच आयोग की सिफारिशों के अनुकूल है । अतः मुझे आशा है कि सरकार इस संकल्प को अवश्य स्वीकार करेगी और मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में एक ऐसी घोषणा करेंगे जोकि न केवल सभा के सदस्यों को ही अपितु बाहिर की सारी जनता को भी सन्तुष्ट करेगी ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : वेतनों की अधिकतम और निम्नतम सीमाओं के परस्पर अन्तर को कम करने के सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इस के बारे में तो केन्द्रीय वेतन-आयोग ने अच्छी प्रकार से विचार किया था और नये वेतन-स्तर निर्धारित किये थे । उस ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के बारे में भी कई सिफारिशें की हैं । वेतन आयोग की नियुक्ति न केवल वेतन क्रम निर्धारित करने के लिये नही होती है अपितु उसे भर्ती से लगा कर सेवा निवृत्ति तक के समस्त पहलओं पर विचार करना होता है । वेतनों से सम्बन्ध रखने वाले इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें दो बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये । प्रथम यह कि सरकारी कर्मचारी कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के घटक नहीं हैं और द्वितीय यह कि उन के वेतनों का अ-कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनों से सम्बन्ध होना चाहिये ।

जिस समय वह वेतन-आयोग स्थापित किया गया था उस समय तो दूसरी ही सरकार थी । परन्तु फिर भी जो परिस्थितियां उस समय थीं वह अब भी हैं अतः उस आयोग द्वारा की गई सिफारिशें आज भी हितकर सिद्ध हो सकती हैं । अतः एक नवीन वेतन-आयोग को स्थापित करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है । जब तक निजी समवायों में दिये जाने वाले वेतनों को नियंत्रित नहीं किया जायेगा तब तक केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतनों को नियंत्रित करने के लिये आयोग स्थापित करने से कोई लाभ नहीं है ।

केन्द्रीय वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिये बहुत कुछ किया है । १९४६ से पूर्व निम्नतम वेतन १५ रुपये था और अधिकतम ४,००० रुपये था । केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि निम्नतम वेतन १५ के स्थान पर ३० रुपये होना चाहिये और उस सिफारिश के परिणामस्वरूप इसे ३०

[श्री गाडगील]

रुपये कर दिया गया । अधिकतम वेतन १८०० रुपये निर्धारित किया गया था परन्तु कुछ पुराने कर्मचारियों के लिये ३००० रुपये की सिफारिश की गई थी । इस प्रकार से अधिकतम और निम्नतम वेतन स्तरों में अन्तर २२६ गुने से घटा कर ६० गुना कर दिया गया था ।

वेतन आयोग ने वेतनों के सम्बन्ध में यह सिफारिश की थी कि कर्मचारियों के मूल वेतन तो निश्चित कर दिये जायें और महंगाई भत्ता नित्य प्रति काम में आने वाली वस्तुओं के मूल्य के अनुसार घटता बढ़ता रहे । छोटे वेतनों में तो महंगाई भत्ता बढ़ता जाये, परन्तु १००० रुपये से अधिक वेतनों पर कोई भत्ता न दिया जाये । अतः जब तक मूल्य स्थिर न हो जायें और आर्थिक स्थिरता न आ जाये इस प्रश्न पर पुनर्विचार करना वांछनीय नहीं होगा । परन्तु मैं चाहता हूं कि वेतनों के इस अन्तर को और भी कम करने का प्रयत्न किया जाय । इस का सर्वोत्तम उपाय यह है कि कम वेतन वाले कर्मचारियों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि की सुविधायें प्रदान की जायें । कांग्रेस के अवाडी अधिवेशन में मैं ने कहा था कि वेतनों में अनुपात एक और २० का होना चाहिये । इस के लिये केवल वेतन को ही नहीं अपितु सामाजिक सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये । सन् १९४६ से अब तक कठिनाई केवल उन व्यक्तियों को उठानी पड़ी है जिन के वेतन कम थे क्योंकि वेतन में तो वृद्धि की गई थी परन्तु महंगाई भत्ता समय समय पर बदलता रहा । कर्मचारियों को विशेष कठिनाई तो उस समय उठानी पड़ती थी जबकि वे सेवा से निवृत्त हो जाते थे । इसी समस्या को हल करन के लिए सरकार ने एक समिति बनाई थी । उसमें मैं ने यह सिफारिश दी थी कि ७५० रुपये तक के वेतन पर महंगाई भत्ते का पचास प्रतिशत मूल वेतन में ही मिला दिया जाय । इस के परिणामस्वरूप सेवा से निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को बहुत ही लाभ हुआ ।

अतः हमें केवल सरकारी नौकरियों में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी वेतन सम्बन्धी इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करना चाहिये । हमें निजी समवायों में दिये जाने वाले वेतनों को भी नियंत्रित करना चाहिये अन्यथा हमें अपेक्षित योग्यता स्तर के व्यक्ति नहीं मिलेंगे । निजी क्षेत्र में न केवल अर्जन की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये अपितु वेतनों इत्यादि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये ।

अतः मेरा सुझाव यह है कि यह संकल्प वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है और इस प्रकार के एक आयोग की नियुक्ति तब तक हितकर नहीं होगी, जब तक कि आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं हो जाती है । इस से सामाजिक व्यवस्था में उथल पुथल हो जाने का भय है । इसीलिये तो मैं यह निवेदन करता हूं कि कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों को धन के रूप में नहीं अपितु आवास, चिकित्सा, शिक्षा आदि के रूप में सहायता दी जानी चाहिये, और इस का उन के सामाजिक जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं ने इस वादविवाद में सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये सभी विचारों को बड़ी रुचि से सुना है । प्रस्तुत संकल्प में अन्तर्निहित इन विचारों से तो सरकार की पूर्ण सहानुभूति है कि वेतनों की वर्तमान असमता को दूर किया जाय और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाय । परन्तु मुझे यह भय है कि सरकार इस कथन

से सहमत नहीं हो सकती कि इस प्रकार के आयोग की नियुक्ति इस समस्या का हल कर सकेगी और न ही हम इस बात से सहमत हैं कि समस्या को हल करने का यही एक मात्र उपाय है ।

सभा को भली प्रकार से ज्ञात है कि १९४६ में केन्द्रीय वेतन आयोग नियुक्त किया गया था । उस ने इन सभी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया था और अन्त में जनवरी, १९४७ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । सरकार ने आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में से दो के अतिरिक्त अन्य सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था । उन दो सिफारिशों में से प्रथम तो यह थी कि कर्मचारियों को शिक्षा सम्बन्धी विशेष सुविधायें दी जायें और द्वितीय यह थी कि सेवा निवृत्त व्यक्तियों को भत्ता सम्बन्धी कुछ सुविधायें दी जायें । इन सभी सिफारिशों को स्वीकार कर के सरकार ने ३० करोड़ रुपये का व्यय बढ़ाने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया । आयोग ने सेवा की शर्तों के वैज्ञानिकन और उन के कर्तव्यों और वेतनों से सम्बन्ध रखने वाली सारी समस्या पर अच्छी प्रकार से विचार किया था । उस समय जीवन निर्वाह का देशनांक लगभग २८५ था । आयोग ने यह सिफारिश की थी कि न्यूनतम वेतन ३० रुपये होना चाहिये और उस का महंगाई भत्ता २५ रुपये होना चाहिये अर्थात् कुल ५५ रुपये होना चाहिये ; बाद में और भी अतिरिक्त महंगाई भत्ते दिये जाने थे । सरकार ने वे सभी सिफारिशें स्वीकार कर लीं । १९४६ से पूर्व अर्थात् १९३६ से १९४६ तक तो वेतनों का यह अन्तर लगभग १ और ३०० का था । औसत न्यूनतम वेतन १२ रुपये था और अधिकतम वेतन ४,००० रुपये था, और यह ४००० रुपये का वेतन आयकर देने के उपरान्त ३,३०० रुपये रह जाता था । इस प्रकार से वेतनों का यह अन्तर लगभग १ और २८० का था । वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये जाने और केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त यह अन्तर लगभग १ और ३० का रह गया । आज न्यूनतम वेतन ७० रुपये है । जब यह देखा गया कि जीवन निर्वाह देशनांक के सम्बन्ध में किया गया अनुमान ठीक नहीं उतर रहा है तो उस समय गाडगील समिति नियुक्त की गई । इस ने इस बात की सिफारिश की कि महंगाई भत्ते का ५० प्रतिशत मूल वेतन में जोड़ दिया जाय और शेष महंगाई भत्ते के रूप में समझा जाये । अतः अन्य भत्तों के बिना भी आज एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ७० रुपये प्राप्त कर रहा है और अधिकतम वेतन ३,००० रुपये है और आय कर निकाल कर २,२०० रुपये रह जाता है अतः वेतनों का अन्तर लगभग १ और ३१ है । इस संकल्प का सम्बन्ध न केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से है, अपितु इस में निजी व्यापार-उद्योग कृषि आदि से सम्बन्ध रखने वाले सभी कर्मचारी आ जाते हैं । यह तो देश के लिए एक महान परीक्षण होगा, अतः इस बात पर पहले भली प्रकार से सोच विचार करना होगा कि क्या एक नवीन आयोग की नियुक्ति इस समस्या को हल भी कर सकेगी । यदि हम केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ही लें और उन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किय गये संशोधनों पर विचार करें तो उन में से एक संशोधन यह कहता है कि अनुपात १ और १५ का होना चाहिये ; एक अन्य संशोधन में यह है कि यह १ और १० का होना चाहिये ; एक और संशोधन में यह है कि अधिकतम वेतन १,००० रुपया होना चाहिये, और श्री कामत का संशोधन यह था कि न्यूनतम वेतन १०० रुपये होना चाहिये । हमें इन सभी संशोधनों के बारे में अच्छी प्रकार से विचार करना चाहिये । आज लगभग १५ लाख सरकारी कर्मचारी

[श्री एम० सी० शाह]

हैं। मैं केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या बता रहा हूं। केन्द्रीय सरकार में ३,००० रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या ५७ है; २,००० रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करन वालों की संख्या ३८३ है; १,५०० और २,००० रुपये के मध्य वेतन प्राप्त करने वालों की संख्या ४९७ है; ७५१ और १,५०० रुपये के मध्य वेतन प्राप्त करने वालों की संख्या ३२६० है; २०१ और ७५० रुपये के मध्य वेतन प्राप्त करने वालों की संख्या ५०,२१५ है ; १०१ और २०० रुपये के मध्य वेतन प्राप्त करने वालों की संख्या १,५६,४७६ है ; १०० और ५१ रुपये के मध्य वेतन प्राप्त करने वालों की संख्या ४,२०,८३९ है और ५० रुपये से कम वेतन पाने वालों की संख्या ८,१४,९९५ है ।

यदि १,००० रुपये से अधिक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की गिनती की जाये, तो उन की संख्या कोई २५०० के लगभग है। यह कहा गया है कि उच्च वेतन क्रमों के कर्मचारियों का वेतन घटा कर १,००० रुपये तक कर दिया जाये और उस बचत से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया जाये। इस का क्या परिणाम होगा ? इस २५०० के आधार, अधिक से अधिक १५ लाख रुपये प्रति मास के लगभग बचत होगी——संभवतः इस से कुछ कम हो। सारे वर्ष भर में लगभग १८० लाख रुपये की बचत होगी। यदि इन १५ लाख कर्मचारियों में से २५०० को छोड़ कर शेष में यह राशि बांटी जाये, तो प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिमास औसतन एक रुपया मिलेगा। अतः यह वांछनीय नहीं है।

दूसरा तर्क यह दिया गया है कि १००० रुपये से अधिक वेतन पाने वालों के वेतन-क्रमों में कोई परिवर्तन किये बिना ही, हम वेतन में ३० रुपये के लगभग वृद्धि कर दें। यह बात मेरे माननीय मित्र श्री कामत तथा अन्य सदस्यों ने कही है। यदि आप आंकड़ों को देखें, तो मालूम होगा कि यह राशि प्रति वर्ष २८ करोड़ रुपये से अधिक की होगी।

यदि हमें वेतन क्रमों में ठीक ३० रुपये बढ़ाने हैं, अर्थात् कम से कम १०० रुपये वेतन करना है, तो हमें कुछ अन्य वेतन क्रमों को भी बढ़ाना होगा जो २५० रुपये तक जाते हैं। इस पर भी और कई करोड़ लगेंगे। क्या इस समय वेतन क्रम बढ़ाने के लिये इतना रुपया निकालना हमारे लिये संभव होगा ?

वास्तव में, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने पहले कहा है, वेतन क्रमों का सम्बन्ध राष्ट्रीय आय से अवश्य होना चाहिये। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या है ? यदि हम उसे देखें तो १९५१-५२ में यह २७४·५ रुपये के लगभग थी, १९५२-५३ में लगभग २६७·४ रुपये थी। १९५३-५४ के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार यह २८३·९ रुपये थी। यदि किसी परिवार में चार सदस्य मान लिये जायें, तो यह १,१५० रुपये के लगभग होती है। यदि हम इस बात पर विचार करें, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले वेतन बहुत कम नहीं हैं। साथ ही अब हम दूसरी पंचवर्षीय योजना को आरंभ करने वाले हैं। हम देश को विकसित करना चाहते हैं, हम राष्ट्रीय आय को लगभग २५ प्रतिशत बढ़ाने के लिये ५,००० करोड़ रुपये से अधिक खर्च करना चाहते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये हम जितना बचा सकते हैं उसे इकट्ठा करें और अपने समस्त संसाधनों को जुटायें। इसलिये हमें इस प्रश्न को इस दृष्टि से भी देखना होगा,

इसलिये इस समय न्यूनतम वेतन १०० रुपये किये जाने के प्रस्ताव से सहमत होना बहुत कठिन है। साथ ही, जब समस्त भारत के सब नागरिकों का जीवन-स्तर ऊंचा हो जायेगा, तो उस का इन कम वेतन वाले कर्मचारियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं अपने माननीय मित्र श्री गाडगील से इस बात में सहमत हूं कि वेतन का अर्थ केवल नगदी से नहीं है। जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने भी स्वीकार किया है, इस से अन्य सुविधायें भी अभिप्रेत हैं। आजकल सरकार इन कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सस्ते आवास, डाक्टरी चिकित्सा, तथा अन्य सुविधाओं के रूप में अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करने का प्रयत्न कर रही है। हम उन को प्रतिकरात्मक भत्ता, नगर भत्ता, पर्वत भत्ता आदि देते हैं, और इन को वेतन ही समझना चाहिये। यदि अब केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ही लिया जाये तो भी न्यूनतम १०० रुपये वेतन के सुझाव को स्वीकार करना बहुत कठिन होगा।

राज्यों के बारे में भी प्रश्न उठा था। आजकल राज्य सरकारों के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है। वस्तुस्थिति यह है कि हमारे पास राज्य सरकारों से शिकायतें आई हैं कि यदि हम वेतन क्रम बढ़ायेंगे तो उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन का कहना है कि वे अपने कर्मचारियों को उतना वेतन नहीं दे सकते हैं और वहां सदा असन्तोष रहता है। जब कभी किसी राज्य में कोई केन्द्रीय कार्यालय होता है और पास ही कोई राज्य का कार्यालय होता है, तो वेतन क्रमों में अन्तर होता है और इस कारण वहां सदा असन्तोष बना रहता है। वे केन्द्रीय सरकार से अर्थ सहायता ले कर अपने वेतन क्रम बढ़ाना चाहते ह। अब प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को वेतन क्रमों को बढ़ाने के लिये अर्थ-सहायता दे सकती है। कतिपय राज्य सरकारों ने वेतन क्रमों का परीक्षण करने के लिये पहले से समितियां नियुक्त कर रखी हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था कि पाठशालाओं के अध्यापकों को कम वेतन मिलता है। इस में कोई सन्देह नहीं है। परन्तु शिक्षा मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि यदि अध्यापकों का वेतन बढ़ा कर १०० रुपये न्यूनतम कर दिया जाय, तो १९५१-५२ में खर्च किये गये ३६ करोड़ रुपये के स्थान पर ७२ करोड़ रुपये खर्च होगा। ऐसा करना अब बहुत कठिन होगा।

जब हम गैर सरकारी क्षेत्र पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि उच्च कोटि के सब लोगों को बहुत अधिक वेतन दिया जाता है। गैरसरकारी क्षेत्र में इतना अन्तर सदा ही रहता है। गैर सरकारी क्षेत्र में सेवा की अस्थिरता सदा बनी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को उस संस्था अथवा उस के प्रबंधकों की इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाना पड़ता है। केवल चोटी के लोगों को ऊंचे वेतन प्राप्त होते हैं। परन्तु हम उन को कैसे रोक सकते हैं। क्या अभी, जब कि हम समस्त देश का औद्योगिक तथा अन्य प्रकार का विकास करना चाहते हैं, ऐसा करना संभव हो सकता है? हमें समस्त समस्या पर यथार्थ दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ाने से जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, और उस का वेतन क्रमों पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि कम वेतन पाने वालों की अवस्था को सुधारने या जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के प्रश्न को छोड़ दिया गया है। यह प्रश्न तो सदा सरकार के सामने है और वह हमेश इस समस्या पर विचार करती है तथा यथा-संभव इस को हल करने का प्रयत्न करती है। इसलिये जो संकल्प रखा गया है उसे

[श्री एम० सी० शाह]

कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता है, और वह उचित हल नहीं है। मैं प्रस्तावक महोदय से इस संकल्प को वापिस लेने की अपील करूंगा।

समाज की समाजवादी व्यवस्था के बारे में भी कहा गया है। न्यूनतम या अधिकतम आय निश्चित कर देने से आय का अन्तर नहीं मिट सकता है। राजकोषीय उपायों से यह समस्या हल नहीं हो सकती है। वास्तव में, हम ने समाज की समाजवादी व्यवस्था लाने के लिये, एक के बाद दूसरे, कितने ही राजकोषीय उपाय किये हैं। हम ने सम्पत्ति शुल्क अधिनियम पहले ही पारित कर रखा है। हमने आय कर की दर बढ़ा दी है और अब समवाय विधि विधयक हमारे सामने है, जिस में हम प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं, तथा प्रबन्ध निदेशकों आदि को दिये जाने वाले पारिश्रमिकों को नियंत्रित कर रहे हैं। आयव्ययक के समय की गई आयकर प्रस्थापनाओं से पता चलता था कि आयकर की दरें आय के बढ़ने के साथ बढ़ती जायेंगी। ४२०० रुपये तक कोई आयकर नहीं है परन्तु उस से ऊपर यह १·८ प्रतिशत से ले कर ८७·४ प्रतिशत है। अतः अन्तर को कम करने के लिये राजकोषीय उपाय अत्यन्त आवश्यक हैं और सरकार इस दिशा में सभी सम्भव कार्यवाहियां कर रही है। मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार जो भी कार्यवाही करती है, उस में इस बात को ध्यान में रखती है कि क्या यह समाज में समाजवादी व्यवस्था लाने में, जो कांग्रेस के अवाडी संकल्प में भारत का लक्ष्य बनाया गया है, और जिसे संसद् तथा सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है, सहायक होगा।

इसलिये नवीन वेतन आयोग की नियुक्ति से यह समस्या बिलकल हल नहीं होगी। यह मेरा निष्कपट एवं स्पष्ट मत है। सरकार भी अनभव करती है कि यह ठीक रास्ता नहीं है, इसलिये मैं माननीय सदस्य से यथार्थ रूप से विचार रखने और अनावश्यक आशायें न रखने के लिये कहूंगा। जैसा कि मैं ने कहा, यदि केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ा कर १०० रुपये कर दिया जाता है, तो इस से लगभग २८ करोड़ रुपये का व्यय बढ़ जायेगा। यदि समस्त देश के अध्यापकों की समस्या ली जाये, तो लगभग ३८ करोड़ रुपये का खर्च और बढ़ जायेगा। यदि राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों का प्रश्न उठाया जाये, तो इस पर और भी अधिक खर्च होगा। यदि हम इन सब बातों पर ध्यान दें, तो लगभग १०० करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। क्या हम इस समय इतना धन इस काम के लिये निकाल सकेंगे? क्या इस राशि को विकास योजनाओं पर खर्च करना अधिक अच्छा नहीं होगा? हमें इन सब संसाधनों को दूसरी पंचवर्षीय योजना की सफल कार्यान्विति के लिय खर्च करना चाहिये, ताकि भारत के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें इस समस्या पर समस्त देश की प्रति व्यक्ति आय का ध्यान रखते हुए विचार करना चाहिये। इस समय इस संकल्प पर आग्रह करना उचित नहीं है।

संगठित मजदूर अपनी मांग को वार्तालाप अथवा न्यायनिर्णयन के द्वारा पूरा कर सकते हैं। श्रमजीवी मजदूरों के लिये हम ने कुछ विधान बनाये हैं—न्यनतम मजूरी अधिनियम, आदि—और यह कतिपय व्यक्तियों पर लागू होते हैं। दूसरे लोगों के बारे में हम उन्हें उचित मजूरी दिलाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए माननीय सदस्य को और इस सभा को यह स्पष्ट हो जायेगा

कि श्री डी० सी० शर्मा के संकल्प को स्वीकार करना संभव नहीं है, और मैं उन से संकल्प को वापिस ले लेने की अपील करता हूं। मैं उन को और इस सभा को विश्वास दिलाता हूं कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के हित सदा सरकार के सामने रहते हैं और वह सभी संभव उपायों से उन की अवस्था सुधारने का प्रयत्न करती है।

आवास के बारे में मैं उन को बताना चाहता हूं कि हम ८० प्रतिशत क्लर्कों और कम वेतन पाने वालों को मकान देने का प्रयत्न कर रहे हैं। डाक्टरी चिकित्सा के बारे में बात यह है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, चालू की गई है, जिस में सब व्यक्तियों को डाक्टरी सहायता मिलती है। हम ने सेवा निवृत्ति लाभों में पहले से ही पर्याप्त सुधार कर दिया है। छुट्टी की सुविधायें बढ़ाने के लिये भी कुछ उपाय किये गये हैं, और भी कई प्रकार से हम इन सब कर्मचारियों की अवस्था को बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यथासंभव इन कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की अवस्था को सुधारने के लिये हम सदा भरसक प्रयत्न करते हैं।

अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बारे में मैं ने पहले कह दिया है कि केवल ५७ को तीन हजार रुपये से अधिक वेतन मिलता है क्योंकि कुछ श्रेणियों के कर्मचारी ४,००० रुपये वेतन पाने के अधिकारी हैं। हम १८००–२००० रुपये के वेतन क्रम से सहमत हैं। १९३१ के पश्चात् नियुक्त होने वाले संयुक्त सचिवों को २२५० रुपये मिलेंगे जैसाकि वेतन आयोग ने सिफारिश की है। हमारा प्रयत्न है कि ३००० रुपये से अधिक वेतन वाले पदों को कम किया जाय। किन्तु साथ ही, हमें एक महत्वपूर्ण बात को भी ध्यान में रखना होगा––कि हम विकास, कार्यों पर करोडों रुपये खर्च कर रहे हैं जिस के लिये कुछ विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम पंच वर्षीय योजना की समाप्ति पर हम २१०० करोड़ खर्च कर चुके होंगे और भविष्य में ५००० करोड़ रुपये खर्च करने का विचार करते हैं। अतः हमें कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी, जिन्हें कुछ अधिक वेतन देना पड़ेगा।

विदेशी शिल्पिकों के बारे में एक सदस्य ने प्रश्न उठाया था और यह प्रश्न कई बार उठा है। यदि देश के उद्योगों का विकास करने के लिये कुछ विदेशी विशेषज्ञ रखना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है, और हमें उन्हें कुछ अधिक वेतन देना पड़ता है, तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये क्योंकि वह उद्योग देश के लिये लाभप्रद हैं, और जब बिल्कुल अनिवार्य ही हो जाता है और किसी विदेशी विशेषज्ञ के बिना काम ही नहीं चलता है, तो हमें कुछ शर्तों को मानना पड़ता है। मैं समझता हूं कि सभा पर विरोधी दल के कुछ सदस्यों द्वारा कही गई इन बातों का कि हम इन विदेशी विशेषज्ञों को बहुत अधिक वेतन दे रहे हैं, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः मैं इस तर्क का कोई कारण नहीं समझता। यदि हम अपने देश को विकसित करना चाहते हैं, तो निश्चय ही हमें वह मूल्य चुकाना होगा जो समस्त देश के विकास की तुलना में बहुत कम है। अतः मैं माननीय सदस्यों से, जिन्हों ने संकल्प प्रस्तुत किया है और संशोधन रखे हैं, अपील करूंगा कि वह मेरी बातों पर विचार करते हुए इसे वापिस ले लेंगे।

श्री एन० बी० चौधरी : मंत्री महोदय ने अधिक वेतन देने के पक्ष में दूसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति का आश्रय लिया है, मैं कहना चाहता हूं कि क्या क्लर्क मजदूर आदि इस योजना की सफलता में योग नहीं देंगे ? क्या इस के लिये उन्हें

[श्री एन० बी० चौधरी]

कम से कम १०० रुपया मासिक देना आवश्यक नहीं है ।

श्री एम० सी० शाह : मैं ने पहले ही निवेदन किया है कि प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने और जीवन स्तर के ऊंचा उठ जाने से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी इस का प्रभाव पड़ेगा । क्या देश के विकास के लिये और कुछ बड़े उद्योगों के लिये कुछ पद बनाने के लिये विशिष्ट कामों के लिये योग्य व्यक्ति नियुक्त करना उचित नहीं है ? इस में सन्देह नहीं कि हमें भूतपूर्व सैक्रेटरी आफ स्टेट सर्विस के कुछ कर्मचारियों और १९३१ के पूर्व सेवा में आने वाले कतिपय व्यक्तियों को लगभग ४००० रुपये देने पड़ते हैं

श्री कामत : क्या सरकार ने मजूरी आयोग नियुक्त करने का विचार किया है या नहीं ?

श्री एम० सी० शाह : श्री कामत को यह प्रश्न श्रम मंत्री से पूछना चाहिये ।

सभापति महोदय : यह प्रश्न श्रम मंत्रालय से सम्बन्धित है । अब मैं श्री डी० सी० शर्मा को भाषण देने के लिये बुला रहा हूं ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्हों ने मेरे संकल्प का समर्थन किया है । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जिन व्यक्तियों की आय पर्याप्त नहीं है उन के वेतनों में वृद्धि की जाये । उन्हें सामाजिक कल्याण की कुछ सुविधायें भी प्रदान की जायें । सस्ते मकान दिये जायें, चिकित्सकीय सहायता दी जाये और बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष भत्ता दिया जाये । मैं ने यह कभी नहीं कहा कि उन को यह सुविधायें न दी जायें । मैं भत्तों को भी वेतन में ही सम्मिलित करता हूं । मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन को अधिक वेतन तो दिया जाये परन्तु कल्याणकारी राज्य में दी जाने वाली इन सुविधाओं से वंचित रखा जाये । मैं ने केवल यही कहा था कि वेतन में मासिक पारिश्रमिक और भत्ता दोनों सम्मिलित किये जाने चाहियें । इसी लिये मैं एक वेतन आयोग की नियुक्ति चाहता हूं । मैं मानता हूं कि यह एक जटिल प्रश्न है और मैं ने इस सम्बन्ध में जो उपक्रम किया है वह ठीक ही है । मैं ने इस सभा का ध्यान वेतनों की असमता की ओर दिलाया है और जो कुछ प्रयत्न मैं ने किया है वह हमारे संविधान के निदेशक तत्वों के अनुकूल है और जिस प्रकार के समाज को हम बनाना चाहते ह उस के लिए सर्वथा उपयुक्त है ।

हम समस्याओं पर पुनः विचार करने लगे हैं । हम ने राज्य पुनर्संगठन आयोग नियुक्त किया है । हम ने विधि आयोग नियुक्त किया है, केवल इसीलिये क्योंकि हम समस्याओं पर पुनः विचार करना चाहते हैं । हम ने हिन्दी आयोग नियुक्त किया है, और भी कई आयोग नियुक्त किये हैं । आज देश में इन समस्याओं पर पुनः विचार किया जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आता कि इस समस्या पर भी क्यों न पुनः विचार किया जाये ।

एक माननीय सदस्य ने संकल्प का विरोध करते हुए, परन्तु वास्तव में वह मेरा समर्थन कर रहे थे, कहा कि १९४६ के वेतन आयोग से पहले कम से कम और अधिक से अधिक वेतन में १ और ३०० का अनुपात होता था और वेतन आयोग ने उसे कम कर के १ और ८० कर दिया । मेरा कहना यह है कि इस असमता को और भी कम किया जाये, और इसे कम करने का एक मात्र तरीका एक वेतन आयोग की नियुक्ति है । उन्हीं माननीय सदस्य ने यह भी

कहा था कि इस से हमारे व्यय में १०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की वृद्धि हो जायेगी। संभव है कि ऐसा हो, परन्तु हम ने राजस्व के भी तो नये स्रोत ढूंढ निकाले हैं। आजकल देश में आयकर का न जाने कितना अपवंचन होता है, और हम अपवंचकों को खोज निकालने में असमर्थ रहे हैं। कुछ आयकर देते ही नहीं हैं, कुछ उस विभाग को धोखा देते हैं। हम उन से आयकर वसूल करने की चेष्टा क्यों नहीं करते हैं? लोगों ने तो सम्पदा शुल्क अधिनियम तक को चकमा देने की तरकीबें ढूंढ निकाली हैं। हमारी राष्ट्रीय आय क्यों नहीं बढ़ रही है? राष्ट्रीय आय के बढ़ने से तो प्रत्येक व्यक्ति को हर्ष होना चाहिये।

कुछ व्यक्ति निवृत्ति-वेतन पा रहे हैं। राजप्रमुखों को अच्छा खासा निवृत्ति-वेतन मिल रहा है। वह भी हमारे राष्ट्रपति की भांति अपने निवृत्ति-वेतनों में कटौती क्यों नहीं कर देते हैं? यदि हम आय बढ़ाने के साधनों को खोजना चाहें तो वित्त मंत्रालय को ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

यह कहा गया है कि कुछ राज्यों ने वेतन नियुक्त किये हैं और अध्यापकों के वेतन बढ़ा दिये गये हैं। कुछ को अधिक वेतन मिलने लगा है। मेरा निवेदन है कि इस काम को खंडशः करने के स्थान पर एक सुनिश्चित तरीके से किया जाये। हम समग्र चित्र को अपने सामने रखें और तब परिणाम निकालें। मेरा निवेदन यह है, कि यह काम अखिल भारतीय आधार पर किया जाये, यह न हो कि कुछ राज्य अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। और इस समस्या का व्यापक समाधान केवल वेतन आयोग ही कर सकता है।

मैं ने आज के समाचार पत्र में पढ़ा है कि पाकिस्तान से एक सज्जन पंजाब के किसी नगर में दबाये गये अपने धन को खोज निकालने आये थे। उसे वहां के उस गड़ कोष से लगभग ३०,००० रुपय मिल सके। आज प्रातः ही मैं ने इस प्रकार का समाचार पत्रों में पढ़ा। यहां से पाकिस्तान गये लोगों के उन कोषों की ही बात नहीं, अन्य कई बातें भी हैं। मैं समझता हूं कि भारत में इतने गड़े कोष हैं कि यदि उन का ठीक से पता चले तो हम उन को काम में ला कर लोगों की आर्थिक स्थिति को ठीक कर के उन का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि वेतन आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता है। यहां यह भी कहा गया कि आर्थिक दृढ़ता के आधार पर ही वेतन आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। मैं समझता हूं कि भारत ऐसी स्थिति में से गुज़र रहा है ज आर्थिक दृष्टि से उस को दृढ़ कहा जा सकता है। इस आर्थिक दृढ़ता को और भी दृढ़ बनाने और अभिवृद्धि करने का यह एक तरीक़ा है कि लोगों के वेतनों आदि के बीच की विषमता को हटा दिया जाय। हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये भी पैसा चाहिये—इस बात से किसी को इनकार नहीं। किन्तु यदि आप लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसा कदम उठा कर उन्हें अधिक वस्तुओं को खरीदने के योग्य नहीं बना सकते? आखिर हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपभोग की वस्तुओं पर ही ज्यादा ज़ोर दे रहे हैं। ऐसा करने के लिये लोगों के पास पैसा होना चाहिये। आप तभी लोगों को पैसा दे सकते हैं ज आप उन की क्रय शक्ति बढ़ायें, और क्रय शक्ति बढ़ाने के लिये आप को वेतनों की दरें बढ़ानी पड़ेंगी। इसीलिये वर्तमान वेतन-क्रमों के विषम अनुपात को मिटा देना और भी अधिक आवश्यक है। इस से देश का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं सभा के समक्ष उस के समर्थन के लिये अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : माननीय सदस्य उन आपत्तियों के सम्बन्ध में बतायें जो मंत्री महोदय ने की हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : वह यहां नहीं हैं ।

श्री त्यागी : वह असहमत तो नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं ने उन के नाम का उल्लेख किये बिना उन सारी आपत्तियों की ओर निर्देश किया है, और सभी बातों का उत्तर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने विशद रूप में सभी बातों का उत्तर दिया है । अब मैं सभी संशोधन सभा के मतदान के लिये रखूंगा । यदि कोई सदस्य अपना संशोधन वापिस लेना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है ।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : मैं सभा से अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया ।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री सिंहासन सिंह तथा श्री एन० बी० चौधरी के संशोधन संख्या १ और ४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए)

सभापति महोदय : अब मैं श्री कामत का संशोधन संख्या ५ मतदान के लिये रखूंगा । इस के पक्ष और विपक्ष में जो सदस्य होंगे वे बारी-बारी से अपनी जगहों पर खड़े हो जायें । श्रीमती सुचेता कृपालानी सहित कुल २४ सदस्य इस के पक्ष में हैं और ३२ से अधिक विपक्ष में । अतः यह संशोधन अस्वीकृत हुआ माना जायगा ।

श्री कामत : मैं चाहता हूं कि मेरे इस संशोधन के पक्ष और विपक्ष में रहने वाले माननीय सदस्यों के नाम लिख जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कामत, जिन के नाम में यह संशोधन है, का नाम अभिलिखित किया जाता है ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ६ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मूल संकल्प सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, मैं अपना संकल्प वापिस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संकल्प को एक बार पुरःस्थापित कर के अपनी इच्छानुसार उसे वापिस नहीं ले सकते । उन्हें अब इस प्रकार का प्रस्ताव रखना चाहिये कि "मैं सभा से अपना संकल्प वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।"

श्री डी० सी० शर्मा : मैं सभा से अपना संकल्प वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को संकल्प वापिस लेने की अनुमति दे रही है ?

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी स्थिति में श्री डी० सी० शर्मा का संकल्प ही सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संकल्प मतदान के लिये रखा गया और लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ । पक्ष में २७ थे और विपक्ष में ६९)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूनर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"इस सभा की यह राय है कि सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये जूट, खालें और चमड़ा, नारियल, काली मिर्च, चाय, कपास, रबड़, मगनीज़, अभ्रक, कोयला तथा अन्य कच्ची धातुओं जसी वस्तुओं के विदेशी व्यापार पर तुरन्त ही राज्य का एकाधिपत्य प्रवर्तित करना चाहिये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

अब पांच बजे हैं । माननीय सदस्य अगले अवसर पर भाषण जारी रखेंगे ।

इस के पश्चात लोक-सभा शनिवार, १२ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।